नवम माला,

30 मई, 1990

ज्येष्ठ, 1912 (शक

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 30 मई, 1990/9 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
73	अंतिम पंक्ति	"उपायक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।
102	नीचे से 11	"श्री बेगा राय" के स्थान पर "श्री बेगा राम" पढ़िये।
117	नीचे से 7	"श्री भानवेन्द्र सिंह" के स्थान पर "श्री मानवेन्द्र सिंह" पढ़िये।
178	नीचे से 9	"उपायक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।
184	नीचे से 5	राज्य के स्थान पर "राजपत्र" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 7, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 52, बुधवार, 30 मई, 1990/ 9 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2—17 और 184
राज्य-सभा से सन्देश	17
सभा की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	18
कार्यवाही-सारांश—सभा पटल पर रखा गया	
कोल इंडिया (अन्तरण विनियमन और विधि मान्यकरण) विधेयक	18
पुरःस्थापित	
संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक	19
पुरःस्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले	19—30
(एक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए केरल को अधिक चावल आवंटित किए जाने की मांग	
प्रो० के० वी० थामस	19
(दो) मेघालय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 में ढील दिए जाने की मांग	
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	20
(तीन) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भूमि विकास बैंकों को कार्यात्मक सुधार करने की अनुमति दिए जाने की मांग	
श्री सुधीर गिरि	21
(चार) औषध निर्माताओं को परेशान करने के मामलों की जांच किए जाने की मांग	21
श्री बसन्त साठे	

(पांच) देश के, विशेषकर महाराष्ट्र के, गन्ना उत्पादकों के लिए अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा करने की मांग

श्री बालासाहिब विखे पाटिल 22

(छः) गया रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा वहां से सभी दिशाओं में और रेलगाड़ियां चलाए जाने की मांग

श्री ईश्वर चौधरी 22

(सात) मलिहाबाद, उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाने तथा वहां पर कम ब्याज पर ऋण मिलने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

श्री सरजू प्रसाद सरोज 23

(आठ) उड़ीसा के लिए एक पृथक सहायक कोयला कम्पनी स्थापित किए जाने की मांग

श्री रवि नारायण पाणि 24

(नौ) राजस्थान सरकार को सूखा राहत के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री गुमान मल लोढा 24

संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक 30—79 और 151—176

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गुमान मल लोढा 30 और 51

प्रो० पी० जे० कुरियन 59

श्री शोपत सिंह मक्कासर 64

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री 67

श्री भोगेन्द्र झा 70

श्री राम कृष्ण यादव 74

श्री बी० शंकरानन्द 76

श्री देवी लाल 77

खंडवार विचार 151

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा 169

विषय	पृष्ठ
संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक	*79—150*
विचार करने के लिए प्रस्ताव	79
खंडवार विचार	86
पारित करने के लिए प्रस्ताव	143
श्री राम विलास पासवान	143
अमरीकी कांग्रेस की विदेशी मामलों सम्बन्धी समिति के सभापति श्री एस० सोलार्ज का स्वागत	151
राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक	177—184
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती उषा सिंह	177
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता	178
श्री हरीश रावत	183

लोक सभा

बुधवार, 30 मई, 1990/9 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए वायदा किया गया था लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यह क्या मजाक है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, अभी आप बैठ जायें।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने आपके सामने यह कहा था कि इसको हम जल्द ही कर देंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने सदन को गुमराह किया है···(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके सब बोलें।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। आखिर आप इसको कब लाएंगे ?

श्री कालका दास : सदन में गलत बयानी क्यों होती है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह आज ही होना था लेकिन सदस्यों को सर्कुलेट नहीं हो पाया है, ऐसे में मेम्बरों को ऐतराज होता। इस बारे में आपसे बात हो गई है···(व्यवधान)···

श्री मदन लाल खुराना : आप हाउस की इजाजत लेकर इसको अब बांट दीजिए। 12 अप्रैल को कहा गया था कि 1-2 दिन के अन्दर यह हो जाएगा। 12 अप्रैल को निकले काफी दिन हो गए हैं और उस समय हमें कहा गया था कि 1-2 दिन के अन्दर हो जाएगा लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। कल सैशन का आखिरी दिन है। आप इसे फिर कब करोगे ?

श्री कालका दास : होम मिनिस्टर साहब ने कल कहा था कि यह हो जायेगा लेकिन कुछ नहीं हुआ है। यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा है।

श्री मदन लाल खुराना : अगर आज आप इसे पेश कर देंगे तो कल इस पर डिसकशन हो जाएगा। आप इसके लिए सप्लीमेंटरी एजेंडा निकाल दें। (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो सरकार आज ही इसे लाने के लिए तैयार है। सरकार की ओर से कोई अड़चन नहीं है। हम इसे आज ही लाने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि यह सदस्यों के हाथ में भी आ जाना चाहिए। चेम्बर में मुझसे मिनिस्टर ने बात की थी और मेरा यह कहना है, कल यह बिल सुबह आप के हाथ में आ जाएगा, कल इन्ट्रोड्यूस होगा, आप चाहे तो कल पारित करें। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा यह कहना है कि आज शाम तक सप्लीमेंटरी एजेण्डा इश्यू करके शाम तक इसको आप करवा दीजिए।

श्री कालका दास : सप्लीमेंटरी एजेण्डा इश्यू करके इसको शाम तक आज इन्ट्रोड्यूस करवा दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : कल यह कैसे होगा, कल तो लास्ट डे है।

11.5½ म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय परियोजना सन्निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय परियोजना सन्निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना सन्निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 1038/90]

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला, क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर आदि के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षायें

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1039/90]

(3) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, राउरकेला के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, राउरकेला के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1040/90]

(5) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1041/90]

(7) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 35 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1042/90]

(9) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 29 के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1043/90]

(11) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्कण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1044/90]

(13) (एक) इण्डियन काउन्सिल आफ फिलासाफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन काउंसिल आफ फिलासाफिकल रिसर्च नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 1045/90]

(14) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रति-वेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1046/90]

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एज्यूकेशनल कन्सलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एज्यूकेशनल कन्सलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1047/90]

(17) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1048/90]

(19) (एक) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1049/90]

(21) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1050/90]

(23) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 1051/90]

(24) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 1052/90]

(25) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 1053/90]

(26) (एक) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(27) (एक) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह के वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (26) से (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1054/90]

(31) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1055/90]

(33) (एक) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 1056/90]

(35) (एक) सरदार वल्लभ भाई क्षेत्रीय इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभ भाई क्षेत्रीय इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 1057/90]

(37) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1058/90]

(39) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1059/90]

(41) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1060/90]

(43) (एक) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1061/90]

(45) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1062/90]

(47) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1063/90]

(49) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1064/90]

(51) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1065/90]

(53) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 1066/90]

(55) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1067/90]

(56) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1068/90]

(57) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1069/90]

(58) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1070/90]

(60) (एक) राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1071/90]

(62) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये सं० एल० टी० 1072/90]

(63) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 1073/90]

(65) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 1074/90]

(67) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 1075/90]

(69) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 1076/90]

(71) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 1077/90]

(73) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 1078/90]

(75) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1079/90]

(77) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1080/90]

(79) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी 1081/90]

(81) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 39, जो 20 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के परिनियम 1 में कतिपय संशोधन किए गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 1082/90]

(82) (एक) खुदा बख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1083/90]

(84) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 की धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1084/90]

(86) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1085/90]

(88) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1086/90]

(90) (एक) विश्वश्वेरैया क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वश्वेरैया क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1087/90]

(92) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1088/90]

(94) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 1089/90]

(96) (एक) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) उपर्युक्त (96) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० '090/90]

(98) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, सूरतकल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, सूरतकल के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1091/90]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं श्री सुबोध कांत सहाय की ओर से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या यू० 14011/160/90-दिल्ली, जो 5 मई, 1990 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू० 14011/160/89-दिल्ली में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1092/90]

डाक घर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1990, राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1990 और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1990, जो 23 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 507(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1093/90]

(2) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1990, जो 23 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 508(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 1094/90]

(3) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) 27 अक्तूबर, 1986 तक यथासंशोधित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारी) विनियम, 1974, जो 12 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10/87 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या 6/87, जो 9 मई, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारी) विनियम, 1974 के विनियम 138 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) अधिसूचना संख्या 14/87, जो 26 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारी) विनियम, 1974 के विनियम 33(2) तथा 117 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) अधिसूचना संख्या प्रशासन 135/88-157, जो 8 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारी) विनियम, 1974 के विनियम 3(क) तथा 66 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1095/90]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौ० जगदीप धनखड़) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 24 —चौथा सत्र, 1985

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1096/90] आठवीं

(2) विवरण संख्या 27 —पांचवां सत्र, 1986 लोकसभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1097/90]

(3) विवरण संख्या 19 —आठवें सत्र, 1987 का दूसरा भाग

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1098/90]

(4) विवरण संख्या 18 —नौवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1099/90]

(5) विवरण संख्या 16 —दसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1100/90] आठवीं

(6) विवरण संख्या 12 —ग्यारहवां सत्र, 1988 लोक

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1101/90] सभा

(7) विवरण संख्या 9 —बारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1102/90]

(8) विवरण संख्या 8 —तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1103/90]

(9) विवरण संख्या 5 चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1104/90]

(1) विवरण संख्या 3 —पहला सत्र, 1989 नौवीं
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1105/90] लोक
(2) विवरण संख्या 2 —दूसरा सत्र, 1990 सभा
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1106/90]

11.07 म० पू०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 29 मई, 1990 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 मई, 1990 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए स्वर्ण (नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 1990 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

11.07½ म० पू०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 24 मई, 1990 को हुई बैठक के कार्यवाही-सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

11.08 म० पू०

कोल इण्डिया (अंतरण विनियमन और विधि मान्यकरण), विधेयक*

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोल इण्डिया लिमिटेड में या किसी समनुषंगी कम्पनी में निहित भूमि के या भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा किसी कोयला खान, कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयन्त्र के सम्बन्ध में अधिकार, हक और हित के कोल इण्डिया लिमिटेड की किसी समनुषंगी कम्पनी या किसी अन्य समनुषंगी कम्पनी को अन्तरण का निदेश देने और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अन्तरणों का विधिमान्यकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोल इंडिया लिमिटेड में या किसी समनुषंगी कम्पनी में निहित भूमि के या भूमि में या उस पर के अधिकारों अथवा किसी कोयला खान कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयन्त्र के सम्बन्ध में अधिकार, हक और हित के कोल इंडिया लिमिटेड की किसी समनुषंगी कम्पनी या किसी अन्य समनुषंगी कम्पनी को अन्तरण का निदेश देने और ऐसी भूमि या अधिकारों के कतिपय अन्तरणों का विधिमान्यकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 30-5-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

11.09 म० पू०

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक*

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक): मैं श्री पी० उपेन्द्र की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद अधिकारी वेतन औरभ त्ता अधिनियम, 1953 में और सशोधम करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए केरल को अधिक चावल आवंटित किये जाने की मांग

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : केरल में सांविधिक राशनिंग व्यवस्था जारी है, इस लिए केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए पूरी मात्रा में चावल देना पड़ता है। पूरी मात्रा में राशन देने के लिए, अर्थात 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन—केरल को हर महीने 1,65,000 टन चावल की आवश्यकता होती है। वर्ष 1989 में केन्द्रीय सरकार ने हर महीने एक लाख टन चावल आवंटित किया। क्योंकि चावल की वसूली पर्याप्त नहीं थी। उस समय यह वचन दिया गया था कि अब नवम्बर में वसूली सुधार होगा, तो केरल को पूरा कोटा दिया जाएगा। जनवरी, 1990 से चावल का कोटा 1,25,000 टन तक चला गया है। फरवरी में केरल सरकार तथा केरल के सभी संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार से 1,65,000 टन चावल आवंटित करने का अनुरोध किया, क्योंकि चावल की वसूली में सुधार हुआ था। खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि मई, 1990 से 1,60,000 टन चावल आवंटित किया जाएगा। लेकिन, अभी तक उतनी मात्रा में केरल को चावल आवंटित नहीं किया गया है। मैं केन्द्रीय सरकार से केरल को तत्काल 1,65,000 टन चावल आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पीटर जी० मरबानें आंग।

---

* दिनांक 30-5-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री सुल्तानिली अली (कानपुर) : महोदय, शून्यकाल का क्या हुआ ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या जीरो आवर ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यहां सरकारी तौर पर कोई शून्य काल नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब लोग रेज करना चाहते हैं । हम लोगों ने लिस्ट के लिए स्टैंड किया है, वह जरूरी है । आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैंने आपको बताना है कि मैं ऐसा मामला उठाना चाहता हूं जिसके बारे में सभी चिंतित हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल बाबू, मैं जानता हूं कि जो विषय आप उठाना चाहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है ।

[हिन्दी]

क्या किया जाए ।

[अनुवाद]

मैं अब नियम 377 के अधीन मामलों को ले रहा हूं । अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

11.12 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

—जारी

(दो) मेघालय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 में ढील दिए जाने की मांग

श्री पीटर जी. मारबनियांग (शिलांग) : मेघालय खूबसूरत, हरियाली और वन्य प्राणियों का प्रदेश है । राज्य में कानून और व्यवस्था की शांतिपूर्ण स्थिति है और लोगों का एक दूसरे के मैत्री-

भाव है। राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। पर्यटन से शिक्षित बे-रोजगार युवकों को स्व-रोजगार मिलेगा। यद्यपि, मेघालय विदेशी *(संरक्षित क्षेत्र)* आदेश, 1958 के तहत विदेशियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बना हुआ है। यह विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ही गैर-प्रोत्साहजनक रहा है और इससे देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा नहीं मिली। इस आदेश के कारण देशी पर्यटकों के मन में भी मेघालय जाने के लिए भय समाया रहता है। सभी पर्यटकों को शामिल करने के लिए, इसमें तत्काल ढील दिए जाने की आवश्यकता है। उनके लिए मेघालय के सभी भाग खोले जाने चाहिए। यदि आज्ञा पत्र लेना आवश्यक हो तो यह दिल्ली और कलकत्ता में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों से उपलब्ध होने चाहिए तथा राज्य में भी इनके जारी किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें बेहतर यह होगा कि 1979 से पहले प्रचलित नियमों में ढील दी जाए।

(तीन) बैंक कारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भूमि विकास बैंकों को कार्यात्मक सुधार करने की अनुमति दिए जाने की मांग

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : भूमि विकास बैंक लम्बे समय से लोगों विशेषकर समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को दीर्घावधि विकास ऋण उपलब्ध करा कर ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा कर रहे हैं। बैंकिंग गतिविधियों में अनेक एजेन्सियों के आ जाने से इन बैंक को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। यदि देश के सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं, तो भूमि विकास बैंकों को इस समय बहुत ही गंभीर प्रतियोगिता का सामना करते हुए, इनसे वंचित क्यों रखा जाए।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भूमि विकास बैंकों को अपने कार्यकरण में सुधार किए जाने की अनुमति देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

(चार) औषध निर्माताओं को परेशान करने के मामलों की जांच किए जाने की मांग

श्री वसंत साठे (वर्धा) : ऐसा पता चला है कि रसायन विभाग ने 1979 से 1987 के बीच के डी० पी० ई० ए० के मामलों की जांच फिर से चालू कर दी है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में औषध निर्माताओं को परेशानी हो रही है। डी० पी० ई० ए० के पीछे मूल विचार यह था कि देश में स्वदेशी उत्पादन को ऐसे समय बढ़ावा दिया जाए, जबकि देश में बल्क औषधियों का बहुत कम उत्पादन हो रहा था। डी० पी० ई० ए० का विचार था कि उन निर्माताओं को मुआवजा दिया जाए जिनकी उत्पादन लागत आयातित माल की तुलना में स्वभाविक रूप से अधिक होगी। जब एक निर्माता ऐसे माल का उपयोग करता है जिनके लिए विभिन्न मूल्य निर्धारित किए गए हों और जब इस प्रकार का माल फार्मूलेशन के लिए उपयोग किया गया हो, उसके मूल्य भी कच्चे माल की ऊंची दरों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे, तो सरकार को समकरण के प्रयोजन के लिए निर्माताओं को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए उपयुक्त नियमों पर विचार करना चाहिए, जिसमें कि फार्मास्युटिकल्स उत्पादों के मूल्यों को स्थिर रखा जा सके। मुझे यकीन है कि सरकार बहुत बड़ी संख्या में औषध निर्माताओं के साथ, उनके मामलों में गुण दोष के आधार पर लाभ करेगी।

यह सही है कि कुछ निर्माताओं को कम लागत के कच्चे माल की खपत की वजह से लाभ हो

रहा है, जबकि बहुत सी बल्क औषधियों और उनके फार्मूलेशनों के मूल्य प्रशासनिक बाधाओं की वजह से निर्धारित नहीं किए गए हैं तथा जब कभी इस तरह के मूल्य निर्धारित किए गए, कुछ मामलों में इनका सही निर्धारण नहीं किया गया। मुझे यकीन है कि सरकार इन सभी मामलों की गंभीरता से जांच करेगी।

(पांच) देश के विशेषकर महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों के लिये अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा करने की मांग

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपर गांव) : महोदया, महाराष्ट्र में चीनी उद्योग ने गन्ने की पिराई का काम जल्दी शुरू कर दिया है और यह जून महीने के अन्त तक चलता रहेगा। परन्तु गन्ने की पछेती पिराई के लिए जो प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिए गए हैं, वह काफी नहीं हैं। सरकार पहले ही एक तथ्य से अवगत है कि गन्ने की वसूली 11% से कम होकर 8·5% रह गई है और सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रोत्साहन चीनी कारखानों तथा किसानों का घाटा पूरा करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हैं। जून के पहले सप्ताह में, गन्ने की वसूली की दर घट कर 7% तक पहुंचने वाली है। किसानों की सहायता करने के लिए चीनी की 100% खुली बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी पर शतप्रतिशत उत्पाद शुल्क माफ कर दिया जाना चाहिए ताकि चीनी कारखानों द्वारा उठाए गए घाटे को कम किया जा सके तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाया जा सके।

पछेती पिराई मौसम के लिए सरकार को अतिरिक्त नये प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा करके के लिए सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए अन्यथा 10 लाख टन से भी अधिक गन्ने की पिराई अगले पिराई मौसम तक लंबित जायेगी जिससे कि किसानों की हालत और भी खराब हो जायेगी। इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है कि सरकार का बिना समय गंवाए लाखों किसानों को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(छः) गया रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधायें प्रदान किए जाने तथा वहां से सभी दिशाओं में और रेलगाड़ियां चलाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत गया अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है। आजादी के बाद से इस क्षेत्र में रेल द्वारा विकास न होने के कारण गया-वासियों में घोर असंतोष है। इस सम्बन्ध में वर्षों से रेल प्रशासन से बराबर मांग करते रहने के उपरांत भी कुछ भी नहीं हुआ है। इसी वजह से तंग आकर लोकतंत्रीय पद्धति के अनुसार 3 जुलाई, 1990 को गया जिले की जनता निम्नलिखित मांगों को मनवाने के लिए विशाल धरने द्वारा रेल रोको अभियान कई सांसदों और विधायकों के नेतृत्व में करेगी जिसका उत्तरदायित्व रेल प्रशासन पर होगा। हमारी मांग है :—

— महत्वपूर्ण गया स्टेशन से बुद्धा-विष्णु एक्सप्रेस सभी दिशाओं में छोड़ी जाये।

— गया-पटना 98 कि०मी० सिंगल लाईन को विद्युतीकरण करते हुए डबल किया जाए।

— गया-क्यूल सिंगल लाईन को डबल किया जाये तथा एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जाएं।

— गुमटी नं० 1-2 और बागेश्वरी गुमटी से ओवरब्रिज भारी भीड़भाड़ को एवं दुर्घटनाओं को देखते हुए शीघ्र बनाया जाए।

— सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म एवं शेड का निर्माण किया जाये।

— गया एवं मानपुर जंक्शन के बीच मानपुर बाजार हाल्ट खोला जाये।

— रेल पुलिस के सहयोग से मुगलसराय डिवीजन के अन्तर्गत भारी मात्रा में गया एवं अन्य स्थानों पर प्रतिदिन रेल सामानों की चोरी को रोका जाये।

— गया स्टेशन को सभी दृष्टि से आधुनिक बनाया जाये।

— गया स्टेशन के पश्चिम डेल्हा पर टिकट बुकिंग खोला जाये।

— राजधानी एक्सप्रेस को दो मिनट के लिए रोका जाये जैसाकि 19 मई, 1990 को गया में रुकी थी।

— गया स्टेशन से सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में एक बोगी अलग से लगायी जाये।

— फल्गु नदी पर ग्रैंड कार्ड रेलवे लाईन के फुटपाथ की दयनीय दशा में सुधार कर दुर्घटनाओं को रोका जाये।

— गया, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद रोड स्टेशन के प्रत्येक प्लेट फार्म पर ठंडा पानी पीने हेतु व्यवस्था कूलर द्वारा की जाये।

— राजगृह से गया, बोध गया, शेरघाटी, चतरा, हजारीबाग, पलामूं, रांची रेल लाईन बिछाई जाये।

— धनबाद से गया, मुगलसराय तक एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जायें।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे तथा यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये जिससे 3 जुलाई को होने वाले आंदोलन को टाला जा सके।

(सात) मलिहाबाद, उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाने तथा वहां पर कम ब्याज पर ऋण मिलने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

श्री सरजू प्रसाद सरोज (मोहनलालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के द्वारा सरकार का ध्यान माल मलिहाबाद, उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर बुनकरों की तादाद अत्याधिक है। ये लोग घरों में कालीन चिकन की कारीगरी और मोटा कपड़ा बनाने का काम करते हैं जिनकी देश और विदेश में काफी मांग है।

इसके अतिरिक्त हसनगंज अब्बास खेड़ा, उत्तर प्रदेश में भी हड्डियों के द्वारा कंघी, बटन, कलम, किताब और चूड़ियां इत्यादि बनाई जाती हैं जिनको कि विदेशी लोग मांग करते हैं। लेकिन यहां पर बिजली के अभाव व कमी और साधनों के न होने के कारण, इन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन स्थानों पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हो और सरकार द्वारा इन लोगों को कम ब्याज पर धनराशि दिलाई जाये, जिससे कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना होने से इन क्षेत्रों के हजारों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिल सके और इन उद्योगों का विकास हो और प्रोत्साहन मिले।

(आठ) उड़ीसा के लिए एक पृथक सहायक कोयला कंपनी स्थापित किये जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री रवि नारायण पाणि (देवगढ़) : महोदय, तलचर तथा इब घाटी के कोयला क्षेत्र सात आठ दशक पहले राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए हैं, जब यह खोज की गई थी कि एशिया में कोकिंग कोल के सबसे बड़े भंडार इन दो मुख्य कोयला क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। 3189 वर्ग किलोमीटर कोयला क्षेत्र में से केवल 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भौगोलिक खोज का कार्य किया गया है। कोयला विभाग द्वारा कोयले के संसाधनों के विकास और कोयला उत्पादन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इन कोयला क्षेत्रों के विकास तथा कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उड़ीसा में एक अलग कोयला कम्पनी स्थापित करना आवश्यक है। परन्तु सरकार ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि अलग कोयला कम्पनी तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि कोयले का उत्पादन बढ़कर 2 करोड़ टन तक नहीं पहुंच जाता। परन्तु यह मानदण्ड उस समय नहीं अपनाया गया जब कि सिंगरौली और आसाम में एक अलग कोयला कम्पनी स्थापित की गई जहां पर कि कोयला कि उत्पादन क्रमशः 100 लाख टन से 120 लाख टन तथा 50 लाख टन के लगभग था। इसलिए यह तर्क न्यायोचित नहीं है।

11.22 म० पू०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

राज्य में अलग कोयला कम्पनी स्थापित करने से सन 2000 तक लगभग 20,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोयले के संसाधनों के विकास का कार्य भी कम्पनी की सीधी देखरेख में ठीक ढंग से किया जा सकेगा।

इसलिए मेरी यह मांग है कि उड़ीसा राज्य के लिए एक विशेष सहायक कोयला कम्पनी स्थापित की जाए।

(नौ) राजस्थान सरकार को सूखा राहत के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, मैं हजारों "नील गायों" के उत्पात के फलस्वरूप उत्पन्न हुई गम्भीर समस्या की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये "नील गायें" देसुरी, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, पाली जिले की बाली तहसील में खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट कर रही हैं। गेम सैक्चुरी और आरक्षित वनों ने इस क्षेत्र में आदिवासियों और ग्रामीणों को

जल, भूमि और पेड़ों तथा खेती-वाड़ी से वंचित करके उनको इस समस्या की ओर बढ़ा दिया है। हजारों आदिवासी और कृषक, गेम सैंक्चुरी के क्षेत्र में बिस्तार और आरक्षित वनों की घोषणा के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि मन्दिर को जाने वाली सड़कों को भी आरक्षित वन अधिकारियों ने बन्द कर दिया है और लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए केन्द्रीय सरकार से शीघ्र कार्यवाही कराने के लिए आंदोलन करने वाले हैं क्योंकि हजारों लोग जलाभाव और सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं और वहां कोई सिंचाई की सुविधाएं भी नहीं हैं जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि राहत के लिए राजस्थान सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए और वन अधिकारियों तथा गेम सैंक्चुरी के अधिकारियों को आदेश दें कि ये आदिवासियों और किसानों को वन कानून से छूट दें ताकि वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें और अपने भूमि और जंगल की लकड़ी का उपयोग कर सकें।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 66वें संविधान संशोधन पर बहस जारी है, ढाई बजे के लगभग दोनों पर एक साथ वोटिंग कर दी जाए। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : तब तक क्या करेंगे?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : तब तक भूमि सुधार कानून पर डिसकशन होगा, वोटिंग दोनों पर ढाई बजे हो जाएगी। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया क्या आप अपनी बात दोहराएंगे?

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : 66वें संविधान संशोधन पर बहस चल रही है, यह बहस पूरी हो जाने के बाद, मन्त्री जी का जवाब हो जाने के बाद दोनों संविधान संशोधनों पर एक साथ वोटिंग कर ली जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि सदन को यह सुझाव स्वीकार होगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आज सब लोग आएंगे, आप लोग जा सकते हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हितों की रक्षा के लिए हम सफीशिएंट हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए हम काफी हैं। आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं।

[हिन्दी]

श्री शान्तिदयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल सदन में कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी किया, उसके लिये आज उनके मन में अत्यन्त खेद है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन का समय बर्बाद मत करिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल दो सदस्यों श्री दिनेश सिंह और श्री अमल दत्त को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दे रहा हूं जैसाकि मुझे अध्यक्ष द्वारा कहा गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : समय बर्बाद मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, आज टाइम्स आफ इण्डिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। (व्यवधान)। मैं प्रधानमन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दें। आज 'टाइम्स आफ इण्डिया' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें से कुछ अंश मैं उद्धृत कर रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अमल दत्त, कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : मैं यह कह रहा था कि आज 'टाइम्स आफ इण्डिया' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसके कुछ अंश मैं उद्धृत करता हूं :

> "प्रधानमन्त्री, वी० पी० सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का सरकार द्वारा गरीबों की सहायता के लिए उठाए गए विधायी कदमों में सहयोग न करने का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि गरीब लोगों के लिए उनकी सहानुभूति केवल ऊपरी है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि..."

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रहिए।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : उनके प्रधान मंत्री ने जो कहा है, वे उसे भी सुनने को तैयार नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री दिनेश सिंह : मैं सभी माननीय सदस्यों को प्रधान मंत्री के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का समय दे रहा हूं। (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : निष्ठा आप के दल में होती है। वह इस तरफ नहीं आती। इस तरफ मैत्री है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : निष्ठा केवल उनके दल में होती है। वह इधर नहीं आती। इस तरफ मैत्री है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं सदन में खड़ा हूं। मेरे विचार में अब संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से हम सब में शून्य काल के सम्बन्ध में तालमेल स्थापित हो गया है। अगर आप शून्य काल का मामला फिर से उठायेंगे तो बहुत सी समस्याएं सामने आ जाएंगी और हम कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यह इस तरह से लटकता जाएगा हमारे पास केवल एक दिन बाकी है। इसलिए, अगर आप सब में समझौता हो जाए तो हम शून्य काल को समाप्त करके कार्यवाही आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने श्री दिनेश सिंह के बोलने की अनुमति दी थी···

श्री मदन लाल खुराना : मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अगर आप बोलेंगे तो सभी 500 सदस्य बोलना चाहेंगे फिर मैं क्या कह सकता हूं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, आपने एक मुद्दा उठाया जिसका मंत्री जी ने उत्तर भी दिया था। कृपया मेरे से सहयोग कीजिए। प्रत्येक की अपनी समस्याएं हैं। मैं श्री दिनेश सिंह के बोलने की अनुमति इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो उन्होंने कहा था कि नियम 377 के अन्तर्गत मामलों के पश्चात वे श्री दिनेश सिंह और श्री अमल दत्त को बोलने के लिए कहेंगे। इसलिए मैंने उनका नाम पुकारा। कृपया, मुझसे सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हर चीज की सीमा होती है। अगर आप इसी तरह से व्यवस्था का प्रश्न उठाते रहेंगे तो कोई भी किसी भी मुद्दे पर यह प्रश्न उठा सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह जो कह रहे हैं, मैं उसे सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : इनका स्पष्टीकरण है तो यह अखबार से क्यों पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अगर कोई कोट करना है तो हाउस की कार्यवाही से करें, क्योंकि हाउस की कार्यवाहीं आफिशियल मानी जाएगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। वह कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। श्री दिनेश सिंह अपनी बात जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए इसे पढ़ रहा था। कठिनाई यह है कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर भी माननीय सदस्य सुनने को तैयार नहीं हैं। वे सभी प्रधान मंत्री के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित करना चाहते हैं, इसलिए, कोई दूसरा क्या कह रहा है, वह उसे सुनने को तैयार नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : आपकी लायलिटी का हमें पता है, आपकी लायलिटी पर हम तरस खा रहे हैं। (व्यवधान)

यह सदन में अखबार पढ़ेंगे या अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान)

खुद इन्होंने छपवाया होगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : मुझे खेद है कि श्री राम धन बहुत अधीर हो रहे हैं। उन्हें विधेयक के पारित होने के लिए 2.30 बजे तक इंतजार करना होगा। इसलिए, वे इस बीच हमारी बात सुन सकते हैं। (व्यवधान) मैं आज के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित एक समाचार के बारे में कह रहा था जिसमें यह कहा गया है और सभा की सुविधा के लिए, चूंकि बीच में कुछ व्यवधान पैदा हो गया था, मैं सारांश में उसे पुनः पढ़ रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : कृपया दुबारा न पढ़ें।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया गया।

श्री दिनेश सिंह : ठीक है, तब मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से मैंने छोड़ा था। (व्यवधान) ऐसा बताया गया है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि वह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है चूंकि दल के प्रतिनिधि श्री दिनेश सिंह ने 25 मई को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इन विधेयकों को समर्थन देने का वायदा किया था। इस सभा तथा प्रधान मंत्री जी को यह बता दूं कि मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं हूं, मैंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग नहीं लिया था और मैंने कार्य मंत्रणा समिति में कोई वायदे भी नहीं किए। महोदय, इसमें कठिनाई यह है कि कोई प्रधान मंत्री को गलत सूचनाएं देता है और वे उसी आधार पर अपने वक्तव्य देते रहते हैं। (व्यवधान) मैं कोई विशेषाधिकार का मामला नहीं उठा रहा हूं। मैं इस सभा तथा प्रधान मंत्री को केवल यह बताना चाहता हूं कि इस तरह इस सभा तथा देश को गुमराह करने का कोई फायदा नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने किसी को गुमराह नहीं किया है। मैं समझता हूं कि उनके पढ़ने में कोई गलती हुई है। (व्यवधान)

सभा में किसी सदस्य के वक्तव्य को पढ़ने के लिए सभा की कार्यवाही वृत्तांत ही एक मात्र उचित दस्तावेज हो सकता है न कि समाचार पत्र। मैं माननीय दिनेश सिंह जी को यह बता दूं कि मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है? मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने कैसे मान लिया कि मैंने उनके नाम का जिक्र किया है। आप यहां कार्यवाही वृत्तांत देखें। आपको गृह मंत्रालय जाकर कार्यवाही वृत्तांत देखने चाहिए। (व्यवधान)

मैंने आपके नाम का जिक्र यहां भी नहीं किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी यह धारणा कैसे बनी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री अमल दत्त। बोलें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है।

सभापति महोदय : आप भी स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, दें। यदि सभी सदस्य आपकी बात सुनना चाहें तो मैं भी आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस मामले को उठाने के लिए क्या आपने सूचना दी है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अभी सूचना दे रहा हूं।

सभापति महोदय : आप सूचना दें, फिर हम उस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केवलजी ने मंडल आयोग का मुद्दा उठाया है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि विगत छः माह के अन्दर, हमने राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदे बहुत कुछ तक पूरे कर दिये हैं और आगामी छः माह में मंडल आयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी (व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं सदन के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का

जिक्र करना चाहता हूं। वायुदूत एअर लाइन्स में चल रही अव्यवस्था के बारे में बहुत ही चिंताजनक और भयोत्पादक सूचना मिली है···(व्यवधान)····मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और नागर विमानन के प्रभारी मंत्री इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें चूंकि इसमें यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न है। वायुदूत में अनुभवी अभियंता नहीं हैं और रख रखाव की सुविधाएं भी अच्छी नहीं और जो भी सुविधा उपलब्ध है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए यात्रियों का जीवन बहुत खतरे में पड़ा हुआ है। क्या सरकार किसी हवाई दुर्घटना का इंतजार कर रही है ? मैं सरकार को यह सचेत करता हूं कि जब तक अव्यवस्था तथा फिजूल खर्जी को रोकने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाएंगे, यात्रियों का जीवन खतरे में रहेगा। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत से प्रभावशाली लोगों की नियुक्ति की गई और वे अब भी वैसा ही कर रहे हैं, जैसा वे पहले से करते रहे हैं। अतः सरकार इन बातों पर गौर करे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ करे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाऊं या आप की हर बात को सुनूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमारी सारी बातें नहीं, पर महत्वपूर्ण बातों को सुनें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सीधे सदन की कार्यवाही शुरू कर रहा हूं।

11.44 म० पू०

संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक—(जारी)

सभापति महोदय : यह सभा अब श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा 29 मई, 1990 को लाये गए संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी। श्री गुमानमल लोढा आगे बोलें।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : सभापति महोदय····(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यदि आप श्री साठे को बोलने की अनुमति देते हैं तो हमें भी आपको बोलने की अनुमति देनी होगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा जो सभा में चर्चा के लिए स्वीकार मुद्दे पर बोलना चाहते हैं यानि केवल संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक पर और इसके अलावा कुछ भी नहीं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : यदि आप श्री साठे को बोलने की अनुमति देते हैं तो हमारे पास भी कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : साठे जी, क्या आप संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक पर कुछ कहना चाहता हैं ?

श्री वसंत साठे (वर्धा) मैं सदन की कार्यवाही पर अपने दल का रवैया व्यक्त करना चाहता हूं···(व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)

सभापति महोदय : उनका प्रश्न व्यवस्था पर है। मैं केवल उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुनूंगा।

श्री वसंत साठे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सभा की कार्यवाही शुरू किए जाने से पहले और सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर प्रधान मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे बोफोर्स सम्बन्धी दस्तावेज सदन के सभा पटल पर रखने के लिए सहमत हों···(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता। आप सदन के समक्ष चल रही कार्यवाही पर ही बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : यदि आप बोफोर्स सम्बन्धी दस्तावेज सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत नहीं करते···(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं श्री लोढा से अपना भाषण जारी रखने को कह रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें। मैंने केवल श्री लोढा को बोलने को कहा है।

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय, मैं अपने कांग्रेस के साथियों को पण्डित जवाहरलाल नेहरू के वे शब्द याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने संविधान के प्रथम संशोधन के समय, भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पास होते समय कहे थे। उन्होंने कहा था कि भूमि सुधार के कामों में एक दिन का विलम्ब करना भी इस देश के करोड़ों किसानों के हितों के साथ विश्वासघात करना होगा। (व्यवधान) पंडित नेहरू ने इसी सदन में यह बात कही थी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न रद्द कर दिया है। कार्यसूची में शामिल दूसरे मामले पर विचार हमने शुरू कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : जब तक हम अपनी बात नहीं कह देते, तब तक हम बैठेंगे नहीं। इस तरह से ये हमें बहका कर बैठा नहीं सकते। पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा : इन कांग्रेस के लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया है। सभापति महोदय, भारत की जनता कभी भी इनको माफ नहीं करेगी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि

लैंड रिफार्म का जब प्रथम संशोधन प्रस्तुत किया गया था, तो पं० जवाहर लाल नेहरू ने इसी सदन में खड़े होकर कहा था कि ऐसे भूमि सुधार के संशोधन गरीब और भूमिहीन मजदूरों के लिए आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य हैं। जमींदारों और ठेकेदारों ने गरीबों और दलितों का शोषण किया है। सभापति महोदय, मैं इन कांग्रेस वाले भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको कम से कम पंडित जवाहर लाल नेहरू से तो शिक्षा लेनी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो०पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम अवरोध पैदा नहीं कर रहे हैं। ये तो वे लोग ही हैं जो सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आप श्री साठे को बोलने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री वसंत साठे : महोदय मेरा यह कहना है··· (व्यवधान)

महोदय, मुझे अपनी बात कहने दी जाये। हम उन्हें भी बोलने देंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सर, यह सदन अभी इनकी जायदाद नहीं बना है। जितना हक इनको अपनी बात कहने का है, उतना ही हक हमको भी अपनी बात कहने का है। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, फिर आपको जो करना हो करिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

हम सदन की कार्यवाही तब तक चलने नहीं देंगे, जब तक उन दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखा जाएगा। (व्यवधान) मुझे आप चुप नहीं कर सकते (व्यवधान)

[हिन्दी]

हमारी बात सुनो, अब भागने से बात नहीं बनेगी। हम यहां से नहीं जाते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे बैठ जाएं। मैं पुनः सभा से तथा सभी माननीय सहयोगियों से निवेदन करता हूं कि यदि वे यह चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही चलने दी जाए, तो आपको सभापति का सहयोग करना होगा···

श्री वसन्त साठे : वे सहयोग नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : जब तक मन्त्री महोदय क्षमा नहीं मांगते या अपना वक्तव्य वापस नहीं लेते··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इन सभी बातों की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई भी माननीय सदस्यों को बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता। यह सभा सब की है। ऐसा कोई नहीं कह सकता। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)···*

सभापति महोदय : कोई भी माननीय सदस्य किसी को भी बाहर जाने को नहीं कह सकता। यदि किसी ने भी ऐसा कहा है, तो वह गलत है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पासवान, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मन्त्री जी, कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)*

12.00 मध्याह्न

सभापति महोदय : श्री रामधन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वसन्त साठे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)*

श्री वसन्त साठे : हम चाहते हैं कि माननीय मन्त्री जी इसके लिए क्षमा याचना करें। क्या मंत्री जी यह कह सकते हैं या तो हमें समर्थन में मतदान करना चाहिए, या बाहर चले जाना चाहिए ? हम यहां उनकी दया पर नहीं हैं (व्यवधान) यह सभा उनकी सम्पत्ति नहीं है।

श्री बी० शंकरानंद (चिक्कोडी) : मन्त्री जी को यह अधिकार [illegible] है कि वह इस तरह बर्ताव करें। (व्यवधान) हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें; कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वसन्त साठे : दो या तीन बार उन्होंने इसे दोहराया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : क्या प्रधानमन्त्री इसकी अनुमति देंगे ? मैं जानना चाहूंगा। महोदय, कृपया प्रधानमन्त्री से पूछें। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : पहले कृपया अपने स्थान पर बैठिए; आप सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठें।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री कमल चौधरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें···

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं। कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें। हमें काफी काम करना है। किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य से यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह बाहर जाए, क्योंकि प्रत्येक को यहां होने का अधिकार है। इस शोर में, मैं नहीं सुन सका कि क्या हुआ। इतने ज्यादा शोर के कारण मैं नहीं जानता कि क्या कहा गया, जिसने भी यह कहा है, यह गलत है। मैं यही कह सकता हूं। शोर के कारण मैंने नहीं सुना। मैं नहीं सुन पाया। बस यही है। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जिसने भी यह कहा है, गलत है। इसलिए, मैं एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पीठासीन अधिकारी से सहयोग करने की कोशिश करें, ताकि काम हो सके।

(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने हमें बाहर जाने के लिए कहा है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : तभी तो वहां यह मांग है। यह गलत बात है, अगर ऐसा हुआ है तो।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह गलत बात है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : बहुत ज्यादा शोर के कारण मैंने नहीं सुना। मैं नहीं जानता।

(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मेरे ख्याल में आपको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। चाहे वह मन्त्री हो, चाहे कोई और हो···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया। इसलिए, उन्होंने जो भी कहा, मैंने नहीं सुना।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए नहीं बुलाया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कृपया मन्त्री को सुनें। श्री यादव।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : सभापति जी, बहुत तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूं कि राम बिलास जी ने जो बात कही, जिस सेंस में हमारे अपोजीशन के सम्माननीय सदस्य उसको ले रहे हैं, हम उस तरह उनकी भावनाओं के साथ किसी तरह से हट नहीं करना चाहते, न किसी तरह का असम्मान करना चाहते हैं···(व्यवधान)···मैं उनके बारे में थोड़ा बता रहा हूं। उन्होंने इतना ही कहा कि इस बिल को यदि आप सपोर्ट करें तो बहुत है अच्छा और यदि सपोर्ट नहीं करना है तो···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : उन्होंने कहा, यदि आप इसका समर्थन नहीं करना चाहते, तो बाहर चले जाओ। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सभापति जी, मैं आपसे साफ निवेदन करना चाहता हूं, बिल्कुल विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कल हाथ जोड़कर के कहा···· (व्यवधान)···कल हाऊस में प्राइम मिनिस्टर ने फोल्डेड हैंड से यह कहा कि इसमें हमको झगड़े में नहीं लाना चाहिए। आज भी···(व्यवधान)···साठे जी, जरा सुनिए तो सही, आप इतनी देर से बोल रहे हैं····(व्यवधान)···साठे जी, मैं आपसे कह रहा हूं। हम कहना चाहते हैं कि पूरी सरकार की यह मंशा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग यदि इसमें सहयोग करेंगे तो हम लोगों को जितनी खुशी होगी उसका हम बयान नहीं कर सकते इसलिए मेरा निवेदन है कि····

श्री वसन्त साठे : गवर्नमेंट की तरफ से प्रधान मन्त्री जी के अलावा कोई नहीं बोल सकता, आप बोलने वाले कौन हैं, आपको क्या अधिकार है ? आप किसके बिहाफ पर बोल रहे हैं ?

श्री शरद यादव : मैं सरकार के बिहाफ पर बोल रहा हूं।

श्री वसन्त साठे : सरकार के बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बैठा हो तो दूसरा मिनिस्टर नहीं बोल सकता, आप कहना क्या चाहते हैं, आप बैठिए। जरा प्राइम मिनिस्टर को बोलने दीजिए या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उन्होंने कहा : 'यदि आप इसका समर्थन नहीं करना चाहते' तो बाहर चले जाओ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : हम गरीबों के लिए हाथ भी जोड़ेंगे और जरूरत होगी तो संघर्ष भी करेंगे। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा तो लड़ेंगे भी। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : आप सरकार में तो पहले संघर्ष कर लो। हिम्मत है और आपकी ताकत है तो पहले ताऊ से संघर्ष कर लो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमको लगता है कि उत्तर नहीं चाहते तो मैं बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया प्रधानमन्त्री की बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : एक फतेहपुर का संघर्ष, दूसरा स्वीडन का संघर्ष और तीसरे ताऊ का संघर्ष—तीनों संघर्ष देखे आपके।··· (व्यवधान)

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : साठे जी, सुनिए तो, सुनने में क्या तकलीफ है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : साठे जी, नॉर्मल हो जायें, तो मैं बोलूं। (व्यवधान)

मान्यवर, संघर्ष की बात उठाई, साठे जी, बहुत संघर्ष गिनाए, लेकिन वे पहले वाला भूल गए, जिसके नतीजे हाउस के सामने हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रधान मन्त्री बोल रहे हैं। उन्हें सुनिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय साठे जी ने जो बिंदू उठाए हैं, उन पर टिप्पणी कर रहा हूं। मैंने तो उठाई नहीं संघर्ष की बात, उठाई तो उन्होंने है। अगर संघर्ष का जवाब मिल जाता, तो चुप हो जाते। (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : संघर्ष लफ्ज का इस्तेमाल आपने किया था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : पहले अपने मन्त्री से क्षमा मांगने को कहें।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दूसरे मान्यवर, शायद यह भ्रम हो गया है, जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, निजी काम के लिए हाथ जोड़ा है, तो उनको यह भ्रम हो गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप जरा शांत हो जाएं, तो मैं बोलूं। (व्यवधान)

मान्यवर, इनके सुनने की इच्छा नहीं है, ये सुनना नहीं चाहते तो मैं बैठ जाता हूं।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलिन नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

12.17 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री बसंत साठे : बोफोर्स के कागजात रखो, सिर्फ तभी सदन की कार्यवाही चलेगी···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि वे थोड़े उद्विग्न हैं क्योंकि रामविलास जी ने कुछ कह दिया है। मैं नहीं जानता कि उन्होने मतदान में भाग लेने के लिए अपने नेता से अनुमति ली है अथवा नहीं····(व्यवधान) किन्तु इससे पहले कि वे रामविलास जी से माफी मांगने को कहें, क्या वे इस सदन से और इस देश की जनता से, खास कर गरीब जनता से, हरिजनों और जनजातियों से अपने कल के व्यवहार के लिए माफी मांगेंगे ?···(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हमने इस विधेयक का विरोध कभी नहीं किया।···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज एक अखबार में जो भी छपा है, वह मेरे एक वक्तव्य को गलत तरीके से पेश किया गया है कि मैंने कहा था कि उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा था "जनता ने उन्हें पहले से ही अपदस्थ कर दिया है।" इसलिए, उन्हें इस देश की जनता और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से क्षमा मांगनी चाहिए। लोग भूमि सुधार संबंधी कानून को इस सभा द्वारा पारित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यदि उन्होंने अपने नेता से अनुमति नहीं ली है, तो कम से कम इस प्रकार परेशान करने से पहले वे पता तो लगा लें। इस बचकाने व्यवहार का अन्त होना चाहिए।···

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, जब बोफोर्स के कागज माननीय सदस्य के घर थे, तब नहीं अटके। जब इस सदन के अन्दर और मसले आये, इसी सरकार के बजट और फाइनेंस बिल आये, उनमें बोफोर्स के कागज नहीं अटकाये गये। जब गरीबों की समस्या है··· (व्यवधान) आप जवाब दें, आप जवाब दें, जब बजट आया, और बिल आये, फाइनेन्स बिल आया, तब आपने इस मसले को नहीं अटकाया। जब सरकार के और काम आये तो इसे नहीं अटकाया। जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति का मामला आया या भूमि सुधार का मामला आया तो आप इसे बोफोर्स कागज की तोप से उड़ाना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी बोफोर्स तोप गरीबों को उड़ा देगी, तो गरीबों को नहीं उड़ा पायेंगे, आप अपनी बोफोर्स तोप से। गरीबों ने आपको पहले ही उड़ा दिया है, आज अब फिर उड़ा देंगे। इसलिए शांति से इस बिल को पास होने दें। (व्यवधान) मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि श्री रामविलास पासवान ने जो कहा है उससे माननीय सदस्यों की किसी भावना को ठेस लगाने की बात नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि हम लोग गरीबों की ओर से चुन कर आये हैं, और आप भी आए हैं। अगर हम गरीबों का काम यहां नहीं कर सकते हैं तो हमें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारे माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि अगर कोई बात आपको कहनी है तो आप जरूर यहां खड़े होकर कह सकेंगे, मगर एक-दूसरे की बातें अगर होती रहेंगी तो यहां के काम में बहुत सारी अड़चनों का निर्माण हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे बिनती रहेगी, इस तरह से न हो। दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरी समझ है, दूसरों की समझ दूसरी हो सकती है। शायद दोनों तरफ से ही इसको पास करने का काम हो रहा है तो कोई ऐसे शब्द दोनों ओर से न कहे जायें, जिसकी वजह से इसमें कोई अटकले हों। यहां पर राजकीय बातें भी होती हैं, उत्तेजन में आकर भी बातें होती हैं, सारी चीजों को ध्यान में रख कर हर समय काम चलाना मुश्किल हो जाता है। आप सब सदस्यों से मेरी बिनती यह रहेगी कि इसका महत्व समझ कर जो भी आपको करना है, करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दिनेश सिंह जी को बोलने का मौका दे रहा हूं। कृपया वे क्या कहने जा रहे हैं, आप सुनिएगा और इसके बाद आपको जो कुछ कहना है, कहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप थोड़ी देर शांत रहें तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि यह सत्य नहीं है कि हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बात पूरी करने दें।

श्री दिनेश सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम इस विधेयक, जो श्री रामविलास पासवान द्वारा लाया गया है के पक्ष में हैं। महोदय, जैसाकि मैंने कहा है, हम राम धन विधेयक के पूरी तरह पक्ष में हैं। किन्तु, उन्हें 2.30 म० प० तक वह पाने

के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जो वह चाहते हैं··· (व्यवधान) । महोदय, सरकार के पास इन विधेयकों को पारित करने के लिए पर्याप्त बहुमत है । अगर हमारा इरादा इन विधेयकों का विरोध करना होता, तो हमने इसके खिलाफ मतदान किया होता। किन्तु हम इसके खिलाफ मतदानन हीं कर रहे हैं, इसी तथ्य से पता चलता है कि अगर सरकार के पास बहुमत है, तो वह इन विधेयकों को पारित कर सकती है । हमारा मुद्दा यहथा कि अगर इन विधेयकों को पारित करने के लिए सरकार सहयोग चाह रही है तो यह सहयोग 'ाने का प्रश्न है और चूंकि सभा में उनके पर्याप्त सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो हम भी बोफोर्स के कागजात सभा पटल पर रखने के लिए सरकार से सहयोग चाह रहे हैं···· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कार्य सूची में जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, वे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने और भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में रखने के लिए हैं । यह कार्यसूची है । आप जो कह रहे हैं, वह एक अलग मुद्दा है । उस पर आप समय निर्धारित कर सकते हैं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं । किन्तु, इस क्षण हमें इस मुद्दे पर सदन का समय नहीं लेना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : महोदय, हमें बहुत खुशी होगी यदि इस पर चर्चा करने के लिए आप समय निर्धारित कर दें···· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस समय आप इस पर जोर क्यों दे रहे हैं ? अब आप इसे यहां क्यों उठा रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : प्रधान मन्त्री जी ने जो कहा है, ठीक वहीं मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बहस हो तो हम बहुत खुश होंगे, बशर्ते हमारी पहुंच उन कागजातों तक हो जिन्हें प्रधान मन्त्री दबाये हुये हैं । और पिछले सत्र के खत्म होने पर, प्रधान मन्त्री ने एक सारांश पढ़ा था तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने जो कुछ कहा था उसका सारांश पढ़ा था । हमने उनसे अनुरोध किया था कि उस कागज को फाइल के साथ-साथ सभापटल पर रखें । प्रधान मन्त्री ने वादा दिया था किन्तु, अभी तक यह नहीं रखा गया । इसलिए, महोदय, शेष फाइल से लिया हुआ सारांश मेरे पास है, जो सिद्ध करेगा कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने कि कोई भी एकतरफा निर्णय नहीं लिया था । इसके लिए पूरा आधार था ।

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : कृपया मेरा नाम न लें, यह बात इनको बता दीजिए। मैं उनकी पोल खोल दूंगा, अगर ये मेरा नाम लेंगे ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप भटक रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : उस समय सौदा रद्द करने का अर्थ यह होता कि हमें 300 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता और इसके अतिरिक्त और कुछ भी हमें बोफोर्स को देना पड़ता । महोदय, अतः, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं । अगर वे सभा पटल पर कागजात रखते हैं, तभी हम एक अर्थपूर्ण बहस कर सकते हैं । अगर हमें कागज उपलब्ध नहीं हों तो हम बहस नहीं कर सकते । मैं यही

कह रहा हूं। महोदय, यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें, तो मुझे इन पत्रों को सभापटल पर रखने में प्रसन्नता होगी।

श्री हरीश रावत : उन्हें इन पत्रों को सभापटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, कृपया···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई सदस्य सभा पटल पर कोई दस्तावेज अथवा कागजात रखना चाहता है, तब सर्वप्रथम उसे एक नोटिस देना होता है, दूसरे उसे अपने नोटिस को प्रमाणित कराना होता है तथा तत्पश्चात् आपको उन्हें अनुमति देनी होती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने उन्हें सभा पटल पर यह दस्तावेज रखने की अनुमति दे दी है। यदि ये दस्तावेज रखे जाते हैं, तब हमें भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार ही कागजात सभापटल पर रखे जा सकते हैं। श्री सैफुद्दीन चौधरी जी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, प्रधानमन्त्री जी का यह कहना कि यदि निर्धनों के लिए इन दोनों विधेयकों को पारित कराने में हम असफल हो जाते हैं···· (**व्यवधान**) तब इस सदन में होने का हमारा कोई अर्थ नहीं हैं, उनकी यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः, इस प्रकार के वक्तव्यों से न केवल कांग्रेस (आई) को नुकसान ही होगा अपितु जनता का हमारे ऊपर से विश्वास भी उठ जाएगा। यहां पर बाहरी मामले लाकर वे लोग वास्तव में हमारे लिए गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं···(**व्यवधान**) महोदय, हमारा एक और विधेयक है जिसे कल प्रस्तुत किया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों····(**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,··· (**व्यवधान**)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या आपने इन कागजातों को देखा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : थोड़ा रुकिए। आप कागजातों से भी कहीं ज्यादा देखेंगे। महोदय, इस समय बहुत ज्यादा शोर किया जा चुका है। क्या मैं माननीय पांजा जी से पूछ सकता हूं जो कि इस समय इतना शोर कर रहे हैं कि जब विपक्ष के लोग पहले इस तरफ बैठते थे, अर्थात जब वे सत्ता में थे, तब उन्होंने उस समय ये कागजात क्यों नहीं प्रस्तुत किए। इस संबंध में इतना अधिक शोर करने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि शंकरानन्द जी, आपने उन कागजातों को देखा था। आप उन्हें पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए थे। इन्हीं कागजातों के आधार पर वर्तमान सरकार ने स्विस अधिकारियों के पास जाकर बैंक-खाते अवरुद्ध कराए थे। अतः, उन्हें इस देश को इस बात का उत्तर देना है कि पिछले तीन वर्षों से वे स्वयं इन्हीं कागजातों को लेकर वहां क्यों नहीं गए तथा उन्होंने इन बैंक खातों को अवरुद्ध क्यों नहीं कराया। इसका क्या कारण था? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तीसरे, महोदय, वर्तमान सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप ही हम स्वीडिश लेखा रिपोर्ट के भी गुप्त भाग को प्राप्त कर सके थे।

यह तथ्य पूर्व सरकार को उजागर कर देता है कि जो कुछ भी संभव था, उस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे करना चाहते ही नहीं थे, उन्होंने करने का प्रयत्न ही नहीं किया। हमने यह सिद्ध कर दिया है। इस तथ्य के अनुसार वास्तव में उनका भण्डाफोड़ हो गया है कि जिन कागजातों के आधार पर हम सभी बैंक खातों को अवरुद्ध कर सके थे उन्हीं कागजातों के आधार पर स्वयं क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर सके तथा यही कारण है कि उन्हें देश को इसका जवाब देना है। ये वह व्यक्ति नहीं हैं, जिन्हें इन कागजातों के बारे में जानकारी ही नहीं है। कल ही मैंने कहा है कि स्वीडन की सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वे कागजात जो उन्होंने भेजे हैं तथा जिनमें जानकारी दी हुई है, यदि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाता है तब वे आगे कोई और सूचना नहीं दे पाएंगे तथा हमने उनसे प्रश्न पूछे हैं। यह टेलेक्स से बताया गया है जो मैंने इस सभा में पढ़ा है तथा इसमें कहा गया है··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे नहीं चाहते कि आगे और सूचना प्राप्त हो। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने 26 मई को स्वीडन सरकार को एक तार भेजा था कि हम सभा पटल पर उनके द्वारा भेजी गई उस गुप्त रिपोर्ट को रखना चाहते हैं, तब स्वीडन सरकार से हमें उत्तर मिला था···· (व्यवधान)

यदि भारत सरकार उन कागजातों के बारे में बताती है, तब स्वीडन सरकार हमारे द्वारा बोफोर्स के सम्बन्ध में जो कमीशन दिया गया है, कमीशन की राशि कितनी है, तथा किस-किस को दिया गया है इत्यादि प्रश्नों के बारे में हमें आगे और सूचना नहीं भेज सकेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि "यदि आप इसे उजागर करेंगे तो हम आगे और सूचना नहीं देंगे।" वे हमारी सूचना प्राप्त करने के स्रोत को खत्म कर देना चाहते थे। संक्षेप में उनकी यही चाल है। संक्षेप में, वे यही चाहते हैं। (व्यवधान) अगर हम इन खातों को अवरुद्ध करा सके तो उन्होंने यह कार्य क्यों नहीं किया ? वे छिपाना चाहते थे··· (व्यवधान) महोदय, क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? जब नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने लगातार पूर्व सरकार से कागजात तथा फाइलें मंगवाई, तब उन्होंने नहीं भेजीं। उन्होंने इसका विरोध किया था। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात हमने बोफोर्स सम्बन्धी सभी फाइलें नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दी थीं। उन्होंने उन सब कागजातों को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को क्यों नहीं भेजा। उन्होंने ऐसा करने से क्यों इंकार किया। उन्हें सभा के समक्ष इसका उत्तर देना है। जब नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक फाइलें मांग रहे थे, तब उन्होंने बोफोर्स सम्बन्धी कागजात तथा फाइलें क्यों नहीं भेजीं ? जब हम सत्ता में आए तो हमने सभी कागजात भेज दिए थे। हमने कुछ नहीं छिपाया और इन सभी फाइलों को नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को भेज दिया। इस समय उनका उद्देश्य हमारी सूचना के स्रोतों को खत्म करना है तथा स्वीडन की सरकार के मन में संदेह उत्पन्न करना है तथा उस सच्चाई के ऊपर पर्दा डालना है जब वे स्वयं सत्ता में थे तथा यही खेल खेल रहे थे। आज विपक्ष में बैठने पर भी वे यही खेल खेल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : कल संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो यहां पर कहा था, उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं तथा मैंने यह महसूस किया था कि यह बात आसानी से समझ में नहीं आ रही कि हम केवल स्वीडन की सरकार की अनुमति देने के पश्चात ही इन कागजातों को सदन में क्यों देखें। कल मेरा यह कहना था तथा आज भी उस आम व्यक्ति की हैसियत से कह रहा हूं जिसने उस मांग के आधार पर चुनाव लड़ा था कि हम इस बोफोर्स मामले के बारे में हमें पूरी जानकारी

मिलनी चाहिए। (**व्यवधान**) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस देश की जनता बोफोर्स के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहती है तथा यदि वे यह सच्चाई जानना चाहते हैं तब यह केवल उत्सुकता के कारण नहीं है तथा न ही यह केवल राजनैतिक वाद-विवाद के कारण है बल्कि वे यह चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस मामले में दोषी हैं, उन्हें उसके लिए दंड दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है जब मैंने प्रधानमन्त्री जी को पिछली शाम इस सदन में इस मामले पर कहते हुए सुना था, जिसे स्वीडन सरकार ने भारत सरकार के पास भेजा था तथा जिसमें अत्यन्त स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा कुछ तथ्यों की छानबीन की जानी है तथा जिसमें वह हमारी मदद करना तभी पसन्द करेंगे, जब इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट को गुप्त रखें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तब यह समझा जाएगा कि भारत सरकार ने उनके विश्वास को तोड़ा है। अब इस प्रकार की स्थिति में केवल वह व्यक्ति जो यह देखने के लिए उत्सुक है कि अब इस सम्बन्ध में और कोई सूचना प्राप्त नहीं हो··· (**व्यवधान**)

महोदय, मैं अभी भी श्री साठे जी से अर्ज करूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि श्री साठे का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। (**व्यवधान**) अतएव मैं श्री साठे से निवेदन करूंगा कि कृपया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रश्न को बोफोर्स से मत जोड़िए। (**व्यवधान**) मैं आपको बताता हूं कि यह केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की खातिर ही मैं ऐसा नहीं कहता हूं बल्कि मैं यह आपके हित में भी कह रहा हूं। (**व्यवधान**) यद्यपि कांग्रेस पार्टी इस समय सत्ता से बाहर है तथापि, मैं चाहूंगा कि वह अपनी भूमिका एक जिम्मेवार विपक्षी दल के रूप में निभाए तथा यदि वे ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करते हैं जैसा कि कल हुआ था तथा जो वह आज भी करते हुए प्रतीत होते हैं, तब विपक्ष के नाम का रह ही क्या जाएगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, अतएव मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक इस सदन के संरक्षक का संबंध है, सदन के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है कि मतदान म० प० 2.30 बजे तक किया जाएगा तथा इस पर पहले ही चर्चा आरम्भ की जा चुकी है। श्री गुमान मल लोढा को इस सदन में बोलने के लिए बुलाया गया था। चर्चा को जारी रहने दीजिए तथा यदि इस चर्चा को विपक्ष द्वारा नहीं चलने दिया जाता, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2.30 बजे दोनों विधेयकों को मतदान हेतु प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से जिस तरह से कांग्रेस गरीबों से वोट लेकर भी गरीबों के बिल के खिलाफ··· (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसमें अनेक व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है। उनसे पूछताछ की जानी है तथा सम्भवतः श्री विन चड्ढा से भी पूछताछ की जाएगी। इस समय यदि प्रत्येक बात को सार्वजनिक बना दिया जाता है, तब यह दोषी व्यक्ति इससे फायदा उठाकर अपना बचने का तरीका ढूंढ़ सकते हैं तथा इससे यह मामला सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं समझता हूं कि हमें यह लाभ उन व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए जिनके खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : **महोदय**, प्रधानमन्त्री जी ने इस प्रतिवेदन के बारे में भी

कुछ कहा है, मैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह, जब वे यहां विपक्ष में थे, ने विशेष रूप से श्री राजीव गांधी का खाता स्विटजरलैंड में होने का आरोप लगाया था, इन्होंने उस खाते की संख्या भी बताई थी। इन्होंने यह भाषण संसद के बाहर दिया था। समाचार पत्रों में भी यह प्रमुखता से छपा था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : यह बात कहने के लिए राजीव गांधी को बुलाइए। यह उनकी वकालत कर रहे हैं अपने नेता की। वे यहां सदन में बात करने आएं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, हमने श्री वी० पी० सिंह को अपनी बात पर अड़े रहने या इसे प्रमाणित करने और संसद में यह आरोप लगाने की चुनौती दी। वे पीछे हट गये और संसद में आना छोड़ दिया। चुनावों के बाद अब वे यहां आए हैं। तीन वर्षों तक श्री वी० पी० सिंह और उनके दल ने केवल एक ही विषय, जिस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं, बोफोर्स और एस० एन० ए० बी० (स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो) प्रतिवेदन पर अपना अभियान जारी रखा। हमें रिकार्ड सीधे ही प्राप्त करना चाहिए। एस० एन० ए० बी० का अधूरा प्रतिवेदन सरकार को दिया गया था। यह प्रतिवेदन अब सरकार के पास उपलब्ध है। वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने, जो उस समय विपक्षी दल था, दिन रात यह मांग की कि एस० एन० ए० बी०, का पूरा प्रतिवेदन प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं और इसे प्रस्तुत किया जाए। इन्होंने कई दिनों तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। इस दौरान···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन कागजों पर क्या आप बैंक खाते सील करा सके ?

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करनी है। मैं अपना भाषण रोक कर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) महोदय, कृपया उन्हें बैठने के लिए कहें। वे उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? मैं बेकार में अपना गला खराब नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री और वित्त मन्त्री महोदय को मुझे सुनना होगा। वे मुझे किस तरह से रोक सकते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम, अब हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) कृपया इस तरह से न उठें। प्रो० रंगाजी, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। एक वाक्य पूरा होने से पहले आप निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हैं ? मैं आपको बोलने देने के लिए प्रय,स कर रहा हूं। माना एक मुद्दा उठाया गया है, किसी ने कुछ कहा है और आप इसका उत्तर दे रहे हैं, तो आपको उसका उत्तर संक्षेप में देना चाहिए। मैं अन्य सदस्यों को भी कुछ कहने के लिए अनुमति दे रहा हूं। परन्तु आप निष्कर्षों से ही विचलित होकर स्वयं को परेशान कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : महोदय, आपको इन्हें अवसर देना चाहिए। आपने प्रधान मन्त्री जी को तीन बार अनुमति दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इससे क्यों परेशान हो रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, श्री एन० राम और कुमारी चित्रा सुब्रमणियम के अनुसार अक्तूबर 1989 में जो उन्होंने प्रकाशित किए थे, वे एस० एन० ए० बी० प्रतिवेदन के कुछ अंश थे और तत्पश्चात सदन में स्वीडन से सारा प्रतिवेदन प्राप्त करने की मांग की गई। पिछली सरकार ने ही स्वीडन सरकार को यह लिखा था कि अब 'दी हिन्दू' ने···· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए जो बिल लाया गया है, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिल आने वाला है, लेकिन यहां बोफोर्स की चर्चा की जा रही है, जो आज के अजैण्डे में कहीं नही है, मैं पिछले दो घण्टे से इन लोगों की बातें सुन रही हूं, ऐसा लगता है कि ये लोग देश के अनुसूचित जातियों/जनजातियों या महिलाओं के हित की बात करने नहीं देना चाहते। महिला आयोग बिल पर हम सभी महिलाएं अपने अपने विचार सदन के सामने रखने के लिए उत्सुक हैं परन्तु उस पर चर्चा न हो सके, ऐसी व्यर्थ की बातों को यहां उठाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि आप बोफोर्स विषय से सम्बन्धित किसी बात को सदन में उठाने की अनुमति मत दीजिए ताकि दूसरे महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, इस सदन में जैसा आप कहती हैं, असल में दो विधेयकों पर चर्चा जरूर चल रही है, मगर उसके बाद दूसरा विषय यहां पर निकला उस पर भी कुछ सदस्यों के अपने विचार व्यक्त किए और तीसरा पाइंट आफ आर्डर है। हमारी कोशिश यह है कि हम पहले पर आ जाएं, दूसरे और तीसरे विषय को छोड़ दें। इसलिए पाइंट आफ आर्डर आप ज्यादा रेज न करें।

(व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप चिदम्बरम जी को बैठाइए। हम चिदम्बरम जी को नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्यों नहीं चिदम्बरम जी को बोलने देंगे। आखिर हम भी चुनकर आए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है। मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। कृपया इन्हें बैठने के लिए कहें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं आप अपनी बात पूरी करें।

श्री पी० चिदम्बरम : पिछली सरकार ने स्वीडन सरकार को पूर्ण एस० एन० ए० बी० प्रतिवेदन देने के लिए कहा। (व्यवधान) प्रधान मन्त्री जी अपने सदस्यों को नियन्त्रित नहीं कर सकते हैं।

परसों श्री राम ने 'दी हिन्दू' को यह कहते हुए एक लेख भेजा कि सरकार ने जो प्रति प्राप्त की है वह बिल्कुल वही है जो उन्होंने अक्तूबर 1989 में प्रकाशित की थी और स्वीडन ने भी इसे

प्रमाणित किया है कि श्री राम और चित्रा सुब्रामणियम द्वारा 'दी हिन्दू' में जो भी लिखा गया है, वही है। महोदय, अब…

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह क्या हो रहा है ? क्या हमें बोफोर्स की पूरी कहानी सुननी पड़ेगी ? (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : इनके पास एस० एन० ए० बी० का प्रतिवेदन है। (**व्यवधान**) इस प्रतिवेदन में कांग्रेस दल का कोई भी व्यक्ति नहीं है। यही कारण है कि वे डरे हुए हैं। वे प्रतिवेदन को क्यों नहीं रख रहे हैं ? 'दी हिन्दू' के पास यह प्रतिवेदन है। 'इण्डियन एक्सप्रेस' के पास भी यह प्रतिवेदन है। प्रधानमन्त्री के पास भी है। यदि उन्हें यह प्रतिवेदन चाहिए था और अब इसे प्राप्त भी कर लिया है तो इसे सदन के पटल पर रखें।

31 दिसम्बर को इन्होंने इसे……रखने का वचन दिया था…(**व्यवधान**)

श्री राम धन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं केवल व्यवस्था के प्रश्न के लिए अपनी बात रोक रहा हूं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। पहले आप मेरा पाइन्ट आफ आर्डर सुनिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हां, राम धन जी, बोलिए आपका क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

(**व्यवधान**)

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय श्री तम्बि दुरै, सभापति की कुर्सी पर थे, तो उन्होंने आज के एजेण्डे के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी और माननीय गुमान मल लोढा को कहा कि आप नौवें शेड्यूल में भूमि सुधार कानून में संशोधन करने वाले विधेयक पर अपना भाषण करें। उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया और उसके बाद ये कांग्रेस वाले यहां शोर कर रहे हैं जिससे कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास न हो सके, जो कल इन्होंने किया, वही आज भी कर रहे हैं। ये अनुसूचित जाति, जनजाति के दुश्मन जैसे काम कर रहे हैं। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ये बिल पास न हो सकें। इनकी सारी कोशिश यही रही है कि सदन की कार्यवाही को न चलने दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की कार्रवाई एजेण्ड के मुताबिक जिस प्रकार से शुरू हुई थी, उसी के मुताबिक चले। (**व्यवधान**)

श्री बबन राव ढाकणे (बीड) : इस सदन में बहुत से नए सदस्य पहली बार आए हैं। इस सदन में श्री साठे बड़े नेता हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसा लोग सुनते थे, मानते थे लेकिन साठे जी हर वक्त उठते बैठते और बोलते हैं। इस सदन में जो कारोबार चलता है वह कानून के आधार पर चलना चाहिए। हम जिन्दगी भर अपोजीशन में काम करने वाले वर्कर हैं, हमें अपोजीशन में रहकर कभी दुख नहीं हुआ। लेकिन साठे जी थोड़े दिन पावर में नहीं हैं तो अस्थिर हो रहे हैं।

(**व्यवधान**)

मैं इनको समझाने के लिए अपना पाइंट डेवलप कर रहा हूं। हाउस में कुछ नियम होते हैं, कुछ परम्परा होती है। जब लीडर आफ औपोजीशन बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सब सदस्य बैठ जाते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बोलने के लिए खड़े होते हैं तब सब सदस्य, चाहे कोई भी हों, बैठ जाते हैं। लेकिन दो दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे सब साथी बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

मेरा पाइंट आफ आर्डर मान लीजिए क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता। जो उठता है उसको मौका मिलता है, पावर में हो या नहीं हो। हम साठे जी को रिक्वेस्ट करते हैं, वे इस सदन के सदस्य हैं, उन्हें नियम मालूम हैं बोफोर्स का मामला लाना है तो दूसरी तरह से ला सकते हैं। सदन की कार्यवाही तो चलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका पाइंट समझ लिया है।

श्री बबनराव ढाकणे : उपाध्यक्ष जी, नियम से काम चलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निर्णय मत मांगिए, मेरा निर्णय आपके फेवर में जाने वाला है, ऐसा नहीं है। (व्यवधान) फर्स्ट आफ आल, आप हर चीज को प्रोसीजर की तरह से दें तो फिर आप पाइन्ट आफ आर्डर पर बोल सकते हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : श्री गुमानमल लोढा ने बोला, आपने ऐलाऊ किया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठ जाइए।

श्री फूलचन्द वर्मा : आप इस चर्चा को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनके साथ चर्चा करें, मेरे साथ चर्चा क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए। मैं सारे पाइन्ट आफ आर्डर को एक ही बार ले लूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : क्या ये व्यवस्था का प्रश्न उठा चुके हैं ? मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इस हाउस में जब कोई निर्णय अध्यक्ष दे देते हैं तो फिर वह मुद्दा जो कल उठाया गया था, बोफोर्स के बारे में इधर से जवाब दिया गया था, दुबारा क्यों उठा रहे हैं ? अध्यक्ष ने एक बात पर निर्णय दे दिया है फिर उस मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपका पाइन्ट आफ आर्डर समझ गया।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : क्या ये व्यवस्था का प्रश्न उठा चुके हैं ?

श्री इन्द्र जीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं आपसे मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए कह रहा हूं।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बसु जी एक मिनट बैठ जाइए। जो पाइन्ट आफ आर्डर यहां उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

मेरा विचार है कि उनमें कुछ सार है।

[हिन्दी]

मैं चिदम्बरम जी को कहूंगा कि वह अपनी बात 1-2 मिनट के अन्दर खत्म करें। उसके बाद इन्द्रजीत गुप्त जी को बुलाऊंगा और उसके बाद लोढा जी बोलना शुरू कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : एस० एन० ए० बी० का प्रतिवेदन··· (व्यवधान) यह सब क्या है? मुझे बोलने की अनुमति दी गई है। (व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : नियम 74 विधेयक पर विचार से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 74 का कौन सा भाग ?

श्री चित्त बसु : नियम 74 के अनुसार :

> "विधेयक जब पुरःस्थापित किया जाए तब या उसके बाद किसी अवसर पर भारसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात्—
>
> (एक) कि उस पर विचार किया जाए।"

अब संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव अब सदन के समक्ष है। जब तक इसे नहीं निपटाया जाता तब तक अन्य असम्बद्ध विषय क्यों उठाए जा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना विनिर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं। शायद आपने इसे नहीं सुना है कि मामला सम्बन्धित होना चाहिए। केवल तभी इस पर विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक पर विचार किया जा रहा है। अब

तक कि इस प्रस्ताव को नहीं निपटाया जाता, कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ चिदम्बरम ने कहा है वह संगत है ? (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप यह कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ प्रधानमन्त्री ने कहा है, वह विषय से सम्बन्धित है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। कृपया बार-बार व्यवस्था का प्रश्न न उठाएं कुल मिलाकर मैंने यह निर्णय लिया है कि चर्चा विषय से सम्बद्ध होनी चाहिए। परन्तु यदि सदन में एक सदस्य विषय से अलग कोई मुद्दा उठाता है और यदि दूसरा सदस्य उसका उत्तर देता है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। आप उन बातों पर निर्णय क्यों चाहते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पीठासीन अधिकारी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे संचालन करने दें। मैं सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। मैं इसे नियमित करने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि पहले श्री चिदम्बरम, तत्पश्चात् श्री इन्द्रजीत गुप्त और उनके बाद श्री लोढा बोलेंगे। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों के बीच चर्चा समाप्त हो या नहीं। आप इसमें देरी क्यों कर रहे हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : एस० एन० ए० बी० का अप्राधिकृत प्रतिवेदन **'इण्डियन एक्सप्रेस'** और **'दि हिन्दू'** के पास है। हमें यह अब प्राप्त हुआ है। प्रधानमन्त्री इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रख रहे हैं क्योंकि यह प्रत्येक उस व्यक्ति को दोषमुक्त कर देगी, जिन पर इन्होंने आरोप लगाये हैं। महोदय, प्रधानमन्त्री कार्यालय की फाइल पर 21 दिसम्बर को प्रधान मन्त्री ने सभी कागजात सभा पटल पर रखने का वायदा किया था। देश में प्रत्येक समाचार पत्र ने यह समाचार दिया। अब वे इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रख रहे हैं। स्वीडन की सरकार इस प्रतिवेदन पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। मुझे नहीं मालूम था कि स्वीडन सरकार प्रधान मन्त्री कार्यालय की फाईलों पर भी प्रतिबन्ध लगा सकती है। इस प्रकार इन्होंने दो दस्तावेज सभा पटल पर रखे हैं। उन दो दस्तावेजों का उत्तर एक अलग बात थी। यदि वे फाईलें यहां लाई जाएं तो इनसे पता चलेगा कि प्रधान मन्त्री द्वारा रखे गए दो दस्तावेज तोड़े-मरोड़े और संदर्भ से परे थे और केवल भ्रामक प्रचार जारी रखने के लिए थे। इस प्रचार को रोकना चाहिए। यह भ्रामक प्रचार रोकना चाहिए। इन्हें प्रधान मन्त्री कार्यालय के कागजात यहां रखने चाहिएं। इन्हें एस० एन० ए० बी० प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना चाहिए। इनका यह प्रचार अभी बंद होना चाहिए। इनका यह भ्रामक प्रचार अभी बंद होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, चूंकि आपने श्री चिदम्बरम को बोलने की अनुमति दी है, अत: आप कृपया श्री सोमनाथ चटर्जी को भी बोलने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो चर्चा चल रही है उसे देखते हुए शांति बनाये रखना बहुत ही मुश्किल है। मेरे ऐसा कहने पर आप मुझे क्षमा करेंगे। सदन के सामने 'कार्य सूची' है। और आपने कहा था कि 'सदन में जो कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में मुझे यह निर्धारित करना है कि वह संबद्ध है अथवा नहीं। परन्तु आप मेरे ऐसा कहने पर मुझे क्षमा करेंगे कि जहां तक कार्य सूची का संबंध है, इस सभा में असम्बद्धता के बारे में एक होड़-सी लगी हुई। श्री चिदम्बरम और उनके मित्र इसके लिए दोषी हैं; प्रधान मन्त्री भी इसके लिए दोषी हैं। (व्यवधान) महोदय, मेरे ऐसा कहने का आप बुरा नहीं मानेंगे, आप इस असम्बद्धता को जारी रहने की अनुमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी असम्बद्ध है। सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इसे गलत भावना से न लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे उचित भावना से ले रहा हूं। मैं इसे अनुचित भावना से नहीं ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा कहना यह है कि यहां केवल एक ही प्रश्न है जो पूछा गया है और सम्बद्ध है; वह गोपनीयता का प्रश्न है। (व्यवधान) इसे कल निपटा दिया गया था। स्वीडन की सरकार का संदेश, टेलेक्स संदेश इस सदन में पढ़ा गया है। (व्यवधान) अब यह उनके ऊपर निर्भर है कि वे उसे चुनौती दें। यदि वे इसे चुनौती देना चाहते हैं तो यह कह सकते हैं 'हमें इन सभी गोपनीयताओं की परवाह नहीं है; हम इस बात की भी परवाह नहीं करते कि हमें और अधिक सूचना मिलेगी अथवा नहीं; हम तो इस चर्चा में बाधा उत्पन्न करने के लिए वचनबद्ध हैं।' (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, गत सप्ताह कार्य मंत्रणा समिति में जब विचार-विमर्श किया जा रहा था, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था, तो मन्त्री महोदय के कमरे में जब हमने चर्चा की थी कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए अथवा नहीं तो उस समय विपक्ष के इन माननीय साथियों ने स्पष्ट कहा था कि वे सदन को चार दिन के लिए बढ़ाए जाने का विरोध करते हैं; कि ये दो संविधान संशोधन विधेयक जो कि निश्चित रूप से अविवादास्पद है....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया वहां जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा न करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु उन्होंने गत सप्ताह जो स्वीकार किया था उसमें रुकावट डालने के लिए कार्य सूची में एक अन्य विषय शामिल कर दिया है। (व्यवधान) यहां यही हो रहा है। पीठासीन अधिकारी होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? क्या हम कार्य सूची के मद सं० 10 और 11 पर चर्चा कर रहे हैं अथवा इसे छोड़कर हमने उस विषय पर चर्चा आरंभ कर दी है जिसे विपक्ष शामिल कराना चाहता है? यदि वे इस पर चर्चा कराना चाहते हैं तो यह की जा सकती है। पर यह चर्चा अभी नहीं की जा सकती। अतः, मैं कहता हूं कि यद्यपि मेरे मित्र श्री दिनेश सिंह यह कहे जा रहे हैं कि, 'हम समर्थन कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं' परन्तु वास्तव में वे इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और यह आपका कर्त्तव्य है, मैं विनम्रता से ऐसा कहना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की बातें मत कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ? आप पीठासीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि आपके भाषण के बाद श्री लोढा बोलेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वे कार्य सूची के विषयों पर चर्चा नहीं होने देते हैं तो उन्हें संयमित करने की जिम्मेदारी आपकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी भी यह जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को नियंत्रित करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया ऐसी बातों की अनुमति न दें। पहले ही एक घंटा बीत गया है। **(व्यवधान)** इस देश की जनता तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि बोफोर्स के बारे में सच्चाई का पता नहीं लगा लिया जाता। **(व्यवधान)** इस लूट के माल में जो भी भागीदार होगा, अन्ततः उसका पता लगाया जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। **(व्यवधान)** आपको जांच कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आपको अब इस कार्य को रोकने अथवा बाधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। **(व्यवधान)** आपकी सरकार जिस कार्य को पूरा करने में असफल रही थी, उसे यह सरकार कर रही है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस असम्बद्धता को खारिज कीजिए और इन दो संविधान संशोधन विधेयकों पर आगे चर्चा करने की अनुमति दीजिए जिनके लिए उन्होंने समर्थन का आश्वासन दिया था और अब वे इसमें बाधा डाल रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जब तक श्री राम विलास पासवान अपनी टिप्पणियों को वापिस नहीं ले लेते और सरकार सभी पत्रों को सभा पटल पर नहीं रख देती, तब तक हम सहयोग नहीं करेंगे और सदस्यों की बात नहीं सुनेंगे। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वे सदन को धमकी देना चाहते हैं ?

श्री वसंत साठे : सदन को धमकी देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम चाहते हैं कि पत्रों को सभा पटल पर रखा जाये। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जहां तक इन दो संविधान संशोधन विधेयकों का सम्बन्ध है। उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि उनका असली मकसद क्या है। हमें उनके असली मकसद का पता लगना चाहिए। **(व्यवधान)** आप सदन में अव्यवस्था फला रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे : आप जो कुछ कर रहे हैं उसे पूरा देश जानता है···**(व्यवधान)** हम कोई और बात नहीं सुनना चाहते। पहले पत्रों को सभा पटल पर रखा जाए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। इस प्रकार नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों को उल्लंघन किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे सदन की कार्यवाही रोकने की धमकी दे रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं आपके सम्मुख सदन के सामने संविधान के 66वें संशोधन के बारे में भारत के करोड़ों गरीबों, दलितों और पीड़ितों तथा सदियों से दुखी भूमिहीन किसान, गरीब मजदूर, जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनको आज तक कृषि की जमीन नहीं मिली है, उनका वर्णन कर रहा था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह देश एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश के अन्दर किसानों से संबंधित, भूमि सुधार से सम्बन्धित जो संशोधन वर्तमान जनता सरकार लेकर आई है, उसका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इसके विरोध के अन्दर किसी प्रकार की रुकावट डालना चाहते हैं, वे आज भारत के 80 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। उन्होंने गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पीड़ितों के साथ विश्वासघात किया है। उन गरीब मजदूरों को 42 सालों के अन्दर भूमि एलाट नहीं की है, वे 82 साल के अन्दर भूमि सुधार का नाटक करते थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भूमि सुधार के कई कानूनों को निरस्त कर दिया गया, तो उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू सदन के सामने आए और उन्होंने कहा था, यह बात मेरे मित्र शांति से सुनेंगे :—

[अनुवाद]

इन विधेयकों को पारित करने में प्रत्येक दिन की देरी से लोगों को खतरा पैदा हो जाएगा।

"यदि कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हम पिछली पीढ़ी से ही वचनबद्ध हैं तो वह भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है।

अब, हमारी इस वचनबद्धता के अतिरिक्त, आज विश्व के सर्वेक्षण से, एशिया के सर्वेक्षण से किसी भी समझदार व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाएगा कि एशिया और भारत में जो मुख्य समस्या है वह भूमि सुधार की समस्या है। और अपने आप में अन्याय के अतिरिक्त प्रत्येक दिन के विलम्ब से कठिनाईयों और खतरों को बढ़ावा मिलेगा।"

[हिन्दी]

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र शांति से सुनें। मैं यह कहा रहा हूं :—

[अनुवाद]

अपने आप में अन्याय के अतिरिक्त प्रत्येक दिन के विलम्ब से हमारे लाखों लोगों की कठिनाईयों और खतरों को बढ़ावा मिलेगा।

"उस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम इसे सबसे अच्छे प्रारूप में पेश करने के लिए लाये हैं जितना अच्छा प्रारूप हम दे सकते थे, क्योंकि हमने सोचा था कि इस विधेयक में जो संशोधन बताये गए हैं वे केवल जरूरी ही नहीं हैं बल्कि वांछनीय भी हैं और हमने यह विचार

भी किया था कि यदि ये परिवर्तन नहीं किए गए तो इससे केवल भारी कठिनाइयां ही पैदा नहीं होंगी, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, बल्कि शायद संविधान के कुछ मुख्य उद्देश्य भी समाप्त हो जाएंगे।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अन्दर एक बार नहीं सन् 1951 से लेकर अब तक हमने बार-बार नौवीं सूची का संशोधन किया है और इसलिए किया है कि देश का गरीब काश्तकार भूमि सुधार कानून, जमींदारी अबोलिशन कानूनों के बनने के बाद भी न्यायालयों में फंसा दिया गया। इस कारण से वह उनका फल पाने से वंचित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भूमि सुधार कानूनों से फायदा लेने में वह किस प्रकार से वंचित रहा है। डा० विपुल दास गुप्ता, प्रोफेसर आफ इकोनोमिक्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने आल इण्डिया किसान सभा में कहा था कि 78 लाख एकड़ जमीन में से केवल 45 लाख एकड़ जमीन ही डिस्ट्रीब्यूट की गई है अब तक। यह किसान का, काश्तकार का प्रश्न है, यह खेतिहर मजदूर का प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि—

[अनुवाद]

"...आल इण्डिया किसान सभा ने इस बात को गम्भीरता से लिया कि अभी तक केवल 78 लाख एकड़ जमीन को ही फालतू घोषित किया गया था और उसमें से 45 लाख एकड़ को ही वास्तव में वितरित किया गया था। यह देश में फालतू घोषित कुल कृषि योग्य जमीन का 2.14 प्रतिशत और वास्तव में वितरित की गई जमीन का 1.25 प्रतिशत ही था।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अब तक देश के गरीब किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हमारे मित्रों ने अब तक जो नाइन्थ शेड्यूल का अमेंडमेंट किया उसमें लैंड रिफार्म्स के प्रश्न को नहीं रखा। जबकि सन् 1951 में जो पहला अमेंडमेंट किया गया था उसमें खास तौर से लिखा हुआ था कि नवीं सूची में लैंड रिफार्म के प्रश्न को लाया जाएगा। लेकिन उसकी जगह पर हमारे मित्रों ने उसमें मीसा को लाकर के रख दिया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात के लिए सहमत है कि हम मध्याह्न के समय भी कार्यवाही जारी रखें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजनकाल के दौरान भी बैठक जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मैं निवेदन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है—

[अनुवाद]

"संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निदेश दिया गया है कि समुदाय

की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संविधान में संशोधन करके आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून को लागू किया जाए। इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

[अनुवाद]

भूमि सुधार, 1978 संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट, (कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि विभाग) में कहा गया है कि यह आमतौर पर स्वीकारा गया है कि कृषि जोत-क्षेत्र की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा काश्तकारी के सुधारों को लागू करना ही कृषि संबंधी सुधारों के आंदोलन का मुख्य भाग है तथा एक छोटे से ग्रुप के हाथों में भूमि केन्द्रित रहने से उत्पादन में कमी आती है, गुप्त अथवा अनियमित काश्तकारी को प्रोत्साहन मिलता है तथा इसी के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन की सुविधाओं की प्राप्ति असमान होती है।

[हिन्दी]

उन्होंने इस बात को लिखा है (व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : मैं व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लोढा जी, वह प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मुझे व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न उठाना है। यदि आप मध्याह्न भोजन के समय भी बैठक जारी रखना चाहते हैं तो इस बारे में निर्णय सभा को लेना चाहिए। सभा में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय किसने लिया है। इसमें सभा की सर्वसम्मति कहां ली गई है? क्या मन्त्री महोदय ने इस बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : जी, हां।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, उन्हें एक प्रस्ताव रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इन छोटे मुद्दों पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप इस पर जोर देते हैं तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे मुद्दों पर हम यह प्रक्रिया नहीं अपनाते।

(व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यान्ह भोजनकाल के दौरान बैठक जारी रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि मध्याह्न भोजन के दौरान बैठक जारी रहे ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर मतदान चाहते हैं ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, हम मध्याह्न भोजन के लिए जा रहे हैं तथा बाद में वापस आएंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार और किसान का संबंध होने के कारण मुझे अपने मित्रों से यह कहना है कि राष्ट्र कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी ने जो कहा, जिस प्रकार से राष्ट्र की सारी इकनोमिक और आर्थिक स्थिति किसान के ऊपर आधारित है। वह इस प्रकार है :—

"ये नभ-चुम्बी प्रासाद भवन, जिनमें मंडित मोहक कंचन,
ये चित्रकला-कौशल-दर्शन, ये सिंह-पौर, तोरन, वन्दन,
गृह-टकराते जिनसे विमान, गृह-जिनका सब आतंक मान,
सिर झुका समझते धन्य प्राण, ये आन-बान, ये सभी शान,
वह तेरी दौलत पर किसान ! वह तेरी मेहनत पर किसान !
वह तेरी हिम्मत पर किसान ! वह तेरी ताकत पर किसान !
ये इन्द्रप्रस्थ के राज्य-सदन, पाटलीपुत्र के भव्य भवन,
ये मगध, अयोध्या, ऋषिपत्तन, उज्जैन अवन्ती के प्रांगण,
वैशाली का वैभव महान, काशी-प्रयाग के कीर्ति-गान,
लखनवी नवाबों के वितान, मथुरा की सुख-सम्पत्ति महान,
वह तेरी दौलत पर किसान ! वह तेरी मेहनत पर किसान !
वह तेरी हिम्मत पर किसान ; वह तेरी ताकत पर किसान !
ये बड़े-बड़े साम्राज्य-राज, युग-युग से आते चले आज,
ये सिंहासन, ये तख्त-ताज, ये किले दुर्ग, गढ़ शस्त्र-साज,
इन राज्यों की ईंटें महान, इन राज्यों की नीवें महान
इनकी दीवारों की उठान, इनकी प्राचीरों के उड़ान,
वह तेरी हड्डी पर किसान ! वह तेरी पसली पर किसान !
वह तेरी आंतों पर किसान ! नस की तांतों पर रे किसान !
यदि हिल उठ तू ओ शेषनाग ! हो ध्वस्त पलक में राज्य-भाग,

सम्राट् निहारें, नींद त्याग, है कहीं मुकुट, तो कहीं पाग !
सामन्त भाग रहे बचा जान, सन्तरी भयाकुल, लुप्त ज्ञान,
सामन्त भग रहे बचा जान, सन्तरी भयाकुल, लुप्त ज्ञान,
सेनायें हैं ढूंढ़ती त्राण, उड़ गये हवा में ध्वज-निशान !
मां ने तुझ पर आशा बांधी, तू दे अपने बल की कांधी,
ओ मलय पवन बन जा आंधी, तुझसे ही गांधी है गांधी,
तुझसे सुभाष है भासवान, तुझसे मोती का बड़ा मान,
तू ज्योति जवाहर की महान, उड़ता नभ पर अपना निशान,
वह तेरी ताकत पर किसान ! वह तेरी कुव्वत पर किसान !
वह तेरी जुरअत पर किसान ! वह तेरी हिम्मत पर किसान !
तू मदवालों से भाग-भाग, सोये किसान उठ ! जाग जाग !
निष्ठुर शासन में लगा आग, गा महाक्रान्ति का अभय-राग !"

उपाध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ हुआ और आज मुझे इस कविता से प्रेरणा मिलती है, इसके लिए एक छन्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं :—

"जनता की है यह जन-सत्ता, जय का प्रकाश श्यामा का तत्वज्ञान,
अटल, लाल, लोहिया महान, देवी, प्रताप, मधु, पासवान,
राजीव कांग्रेस का कफन बना, जन्म भूमि का यह अपमान,
जब जाग उठा अजगर किसान, कील लगेगी तेरे कफन में,
गिरिजन, हरिजन का नया ज्ञान हरिजन आयोग संशोधन का,
तुमने जो किया घृणित अपमान, भूमि सुधार संशोधन विरोध से,
विप्लव लावेगा यह किसान, धूल धूसरित हो जावेगी,
मिट्टी में तब मिल जावेगी, यह कुटिल चाल व आन-बान ।"

श्री हरीश रावत : यदि ये इस बात पर तुले हैं कि हमारे साथ अपमानजनक तरीके से व्यवहार करेंगे, तो हम अकेले भी काफी हैं ।

[अनुवाद]

यदि आप हमें चुनौती दे रहे हैं तो हम आपकी चुनौती का भी सामना करने के लिए तैयार हैं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक हैं। हम अपने हितों के मुताबिक चलेंगे। यह ठीक नहीं है। हम उनके निदेशों पर नहीं चलेंगे। (व्यवधान) इस तरीके की बात को आप छोड़िए। आप रूलिंग पार्टी में होने लायक नहीं हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिंदी]

इनमें से कोई मिनिस्टर कहता है "यू गेट आउट"। उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। यह कहां तक ठीक है। यह बिल्कुल तर्कसंगत बात नहीं है। हमारा कोई मेंबर उठ कर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उस तरफ से फबतियां कसी जा रही हैं, गलत बात की जा रही है। यह सदन की गरिमा के लायक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, या तो इनके व्यवहार को डिपलोर किया जाना चाहिए, वर्ना यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, मैं यह पहले ही कह चुका हूं।

श्री हरीश रावत : महोदय, आपने यह नहीं कहा है। वे आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं उस बारे में पहले ही कह चुका हूं।

श्री हरीश रावत : वे आपकी टिप्पणियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : हम चाहते हैं कि आप सब लोग सदन में रहें। सरकार भी चाहती है कि आप सदन में रहें। आपको बाहर करने का हमारा इरादा नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग शामिल हों और इस प्रस्ताव को एक राय से पास कराएं। यह हमारी विनती है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : हमने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : न तो सारे मन्त्री आप जैसे समझदार हैं और आपके आधे से ज्यादा सदस्यों ने अपनी समझदारी को बाहर फेंक दिया है। वे यह समझ रहे हैं कि सड़क पर लड़ रहे हैं। यह सदन है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन की तरह व्यवहार करना चाहिए। आप जो व्यवहार कर रहे हैं यह ठीक बात नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब अपनी बात कह चुके हैं। ये सब बातें दोहराने का क्या लाभ है? क्या आप अपने विरुद्ध अध्यक्षपीठ से टिप्पणी जैसी बात कराना चाहते हैं? मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 31ए और 31सी को समाप्त करने के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। जनता सरकार ने 1977-78 के अन्दर सबसे बड़ा प्रगतिशील कार्य जो किया वह संविधान में राईट टू प्रोपर्टी का किया। धारा 31 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसको समाप्त करने का काम प्रगतिवाद का ढिंढोरा पीटने के बाद भी 40 साल में आप समाप्त नहीं कर सके। लेकिन जनता सरकार ने एक कलम की मार से राईट टू प्रोपर्टी को समाप्त कर दिया। इतना डायनेमिक, प्रैगमैटिक और क्रांतिकारी कदम उठाया, उसकी प्रशंसा करने के स्थान पर वाक-आउट करते हैं, प्वाइंट आफ आर्डर उठाते हैं। सारे भारत की जनता देख रही है, दुनिया की जनता देख रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस समय विभिन्न भूमि सुधार कानून जो प्रदेश में हैं, उनमें जमीन लेकर किसान को देने में क्या रुकावटें हैं, उसके मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। बहुत से गरीब आज भूमि के लिए तरस रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 1 लाख 981 ऐसे भूमि के बड़े-बड़े भू-भाग हैं जो कोर्ट के चक्कर में आ कर भूमिहीन किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। आसाम में 9 लाख 61 हजार 92 हैं और बिहार में एक लाख दस हजार 771 है और इस प्रदेश के अन्दर गरीब काश्तकार एक बार नहीं दो बार···(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (मुम्बई दक्षिण) **:** मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्माननीय सदस्य वहां की जगह छोड़कर यहां आ गए हैं, फिर भी लोढा जी का भाषण सुनने को नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर उनको बोलना है तो अपनी जगह पर से बोल सकते हैं। वहां बैठ सकते हैं लेकिन उनके वहां बैठने से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी गंभीरता की बात है कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में कृषि पर अर्थव्यवस्था आधारित है और प्रगति अर्थव्यवस्था पर आधारित है, वहां भूमिहीन किसान टुकर-टुकर के देख रहा है और न्यायालयों के अन्दर लैंड रिफार्म्स का कानून नहीं लाया गया है इस-लिए स्टे आर्डर होने की वजह से वह भूमि नहीं दी जा सकती। ऐसे मुकदमों की संख्या और ऐसे भूभागों की संख्या एक करोड़ 23 लाख 9986 सारे देश में है और करोड़ों व्यक्ति हैं जो भूभागों के अन्दर रोटी नहीं खा सकते। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे गरीब भूमिहीन किसान पेड़ के ऊपर रहकर, पत्ते खाकर के और झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। जब बहू आती है बाजार के अन्दर तो सासु अन्दर रहती है और अगर सासु आती है तो बहू अन्दर रहती है बगैर कपड़ों के, एक कोने में छुपकर रहती है। हमारे समाज में यह स्थिति है कि भूमि सुधार को लागू नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में यदि यह सरकार भूमिहीन किसानों को संकल्प लेकर आती है तो मैं चाहता था कि यह एक मिनट में ही पारित हो जाता और बोफोर्स वगैरह के झगड़े बाद में होते रहते और यह होता कि····

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल पर बोलिए।

श्री गुमान मल लोढा : मैं यह कहना चाहता था कि मिनर्वा मिल्स के अन्दर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा और उसमें जवाहर लाल नेहरू का कोटेशन दिया है। माननीय न्यायाधीशों ने जवाहर नेहरू को कोट करके कहा :

[अनुवाद]

यह उच्चतम न्यायालय ए० आई० आर० 1980 (खंड 67)—मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम

भारतीय संघ एस० सी० 1789 पृष्ठ सं० 1830 के पैरा 97 में है। इसमें कहा गया है :

"अनुच्छेद 31 ख की नवीं अनुसूची में अनुच्छेद 31क के अन्तर्गत कानूनों के अलावा अन्य कानूनों को सम्मिलित करने का इरादा नहीं था। यह बात संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 पर हुई चर्चा के दौरान विधि मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री के भाषणों से स्पष्ट हो जाती है। डा० अम्बेडकर ने 9वीं अनुसूची के बारे में यह स्वीकारा था कि प्रथम दृष्टि में 'यह एक असामान्य प्रक्रिया है' लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा था कि 'इस अनुसूची द्वारा बचाए गए सभी कानून ऐसे कानून हैं जो अनुच्छेद 31 क के अन्तर्गत आते हैं'— जवाहरलाल नेहरू ने भी संसद को बताया था।"

"ऐसा नहीं है कि हमने किसी महान संतुष्टि अथवा खुशी के लिए इस लम्बी अनुसूची को बनाया है। हम दो कारणों की वजह से इसमें वृद्धि नहीं करना चाहते। एक कारण तो यह है कि सामान्यतः इस अनुसूची में एक विशेष प्रकार का विधान सम्मिलित है तथा इसमें दूसरे प्रकार का विधान सम्मिलित नहीं होना चाहिए···इस श्रेणी के विधान को दोहरी सुरक्षा प्रदान करने का इरादा था, क्योंकि इसे कृषि संबंधी सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था जो कि देश के सामाजिक-आर्थिक स्वरूप में एक क्रांति लाने के लिए इतना अधिक आवश्यक था।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि जब वामन राव मुकदमे के अन्दर यह प्रश्न आया तो स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा और माननीय न्यायाधीशों ने फिर जवाहर लाल नेहरू को कोट किया और यह कहा :

[अनुवाद]

"हम इस सावधानी के बाद अब इसे लाए हैं, हमने इसे श्रेष्ठतम स्वरूप दिया है जो कि हम कर सकते थे, क्योंकि हमने सोचा कि इस विधेयक में वर्णित संशोधन न केवल आवश्यक है बल्कि इन्हें चाहा गया है और हमने यह भी सोचा कि यदि ये परिवर्तन नहीं किए गए तो जैसाकि गत कुछ महीनों में हुआ है, संभवतः न सिर्फ बड़ी-बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी···।"

"···बल्कि संविधान के ही कुछ मुख्य उद्देश्य विफल हो जाएंगे अथवा उनमें देरी होगी।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक निश्चित उद्देश्य की ओर सक्रिय कदम के द्योतक हैं। मूल अधिकार स्थायित्व के द्योतक हैं जो विद्यमान कुछ अधिकारों को बनाए रखने के लिए हैं।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं जमींदारों और जागीरदारों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए उनका सदियों से शोषण किया है। मैं अपनी बात कह चुका हूं। मैंने वामन राय के मुकदमे, भीम सिंह के मुकदमे और मिनर्वा मिल्स के मुकदमे की कोटेशंस इसीलिए दी हैं कि इस—राष्ट्र के अन्दर भूमि सुधारों के द्वारा ही लोगों की काया-कल्प हो सकती है और ये जो बाधाएं, इम्पेडीमेंट्स आई हैं इनको

रोकने के लिए 9वें शिड्यूल को लाना पड़ा। यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें राजस्थान का भूमि सुधार कानून है, बिहार का है और असम तथा सभी स्थानों के भूमि सुधार कानून या टेनेंसी ऐक्ट के तहत उनको अधिकार देने का प्रयास किया गया है। जैसे राजस्थान में कोलोनाइजेशन एक्ट है उसमें गंगा नगर आता है उसमें एक-एक बीघा, एक-एक मुरब्बा एक-एक लाख की पैदावार करता है, लेकिन वहां का जो गरीब भूमिहीन काश्तकार है उसको वह भूमि नहीं मिलती है। इसलिए यदि हमारे हृदय में वास्तव में इस देश के उत्पीड़त, दलित, सदियों से शोषित और जिसको दो जून रोटी भी नहीं मिलती उसको बराबरी का दर्जा देना है तो इस कानून को हमें अवश्य पास करना चाहिए। क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसे दोहरे शासन से प्रभावित रही है, पहले ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, उसके बाद दूसरा राज आया फिर जमींदारों और जागीरदारों द्वारा उन किसानों का शोषण हुआ और वे किस तरह से पीड़ित हैं नाथूराम जी यहां नहीं है, देवी लाल जी हैं, वे जानते हैं कि दाबड़ा कांड कैसे हुआ और उनको कैसे भून दिया गया जो अपने अधिकार मांग रहे थे। लेकिन उनको जब प्रोटेक्शन देने की बात देश में आती है तो हृदय में पीड़ा होती है, वेदना होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अन्य वक्ताओं को पूरा मौका मिले और सब का समर्थन मिले क्योंकि यह प्रगतिशील कदम है। जिससे 9वें शिड्यूल में गरीब भूमिहीनों को, कृषकों की, एग्रीकल्चर लेबर को जिसको न्यूनतम मजदूरी भी मिलती है इसमें लाया जा सके और 13(1) बी का अम्ब्रेला दिया जाए। यही मुझे निवेदन करना है।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : दोनों संविधान (संशोधन) विधेयकों को सभा के सम्मुख मतदान के लिए रखा गया था। ऐसा आभास कराया गया था कि हम इन विधेयकों को पारित होने से रोक रहे हैं। (व्यवधान) इसी कारण, मैं इसमें बाधा नहीं डाल रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पुनः शोर मचाना शुरू कर दिया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वे हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इसमें हमारी रुचि नहीं है। अतः मुझे इसका उत्तर भी देना है।

वे कल इसे पारित कराने के लिए साधारण बहुमत भी नहीं जुटा सके। यदि कल सभा में उनके सभी सदस्य आए होते तो हमारे सहयोग के बगैर ही अनुसूचित जातियां (संशोधन) विधेयक पारित कर सकते थे। अतः जब सरकार अपने विधेयक को पारित करने के लिए अपने सभी सदस्यों की सभा में उपस्थित सुनिश्चित नहीं कर सकती, तब वे हम पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? यहां हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। (व्यवधान) हम चाहते थे आप विधेयक पारित कर लें। (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : लेकिन आप तो सभा में मत-विभाजन चाहते थे। हमने भी यह कहा है। आप आज यह देखेंगे। चाहे आप यहां पर हो या न हों, हम इसे पारित करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कल यह घोषणा की गई थी कि विधेयक 2.30 म० प० पर पारित किया जाएगा। लेकिन वे आवश्यक बहुमत न होने के कारण इसे 4.00 म० प० तक पारित नहीं कर सके थे।

श्री पी० उपेन्द्र : नहीं। यह सही नहीं है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमने 'वाक आउट' किया था।(व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : हम आपको समय देना चाहते थे। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर बाद में आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं तो अपनी पार्टी को दिया गया समय ही ले रहा हूं। कृपया मेरा बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आपके वक्तव्य का खंडन किया है। यह ठीक है। आप अपने मुद्दे पर आइये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इससे सहमत हूं। लेकिन हम तो सभा से उठ कर चले गए थे ताकि वे विधेयक पारित कर सकें। हमने इसमें बाधा नहीं डाली थी। यही मुद्दा है। मैं यही मुद्दा स्पष्ट करना चाहता हूं। हम उनके द्वारा विधेयक को पारित कर लेने हेतु 'वाक आउट' कर गए थे।

डा० बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : आपको इसके लिए हमारा आभारी होना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप उन पर नियन्त्रण क्यों नहीं रखते ? वे अपनी बारी आने पर मेरी बात का उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलेंगे, तब इन मुद्दों का उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, आप अपने मुद्दे पर आइए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं अपने मुद्दे पर ही बोल रहा हूं। अनेक शब्दों में यह कहा था कि हम इस विधेयक से पहले असंगत मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है। उपेन्द्र जी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित करने के लिए एक बैठक की थी। (व्यवधान) मैं अपने मुद्दे पर ही बोल रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री उपेन्द्र यह भली-भांति जानते हैं कि इस विधेयक को पारित करने के प्रश्न पर हम लोगों की एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने हमसे सहयोग मांगा था। आप जानते हैं कि हम अपना सहयोग इस शर्त पर देने को तैयार हुए थे कि वे उन दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखेंगे। (व्यवधान) मैं अपने पार्टी को नियत समय में बोल रहा हूं। यह आपका समय नहीं है। क्या हमारी पार्टी को कोई समय नहीं दिया गया है ?

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह सभा का भी समय है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह हमारी पार्टी का समय है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उनके कथन से सहमत नहीं हैं तो आप उन्हें बाद में जवाब दे सकते हैं। अभी उन्होंने इस विधेयक पर बोलने के लिए समय मांगा है। वह अपनी बात कह रहे हैं। अपने निर्धारित समय के अन्दर वह कतिपय बातें कह सकते हैं। आप उन मुद्दों को नोट कर लें और जवाब देते समय उनका खंडन करें। कृपया हस्तक्षेप नहीं करें।

प्रो० मधु दंडवते : असंगत बातें कहने के अधिकार की गारंटी हमेशा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री उपेन्द्र अच्छी तरह जानते हैं कि इस विधेयक को पारित कराने

के लिए हम लोगों ने एक बैठक की थी। उन्होंने हमसे सहयोग का निवेदन किया था। हमने अपना सहयोग कुछ दस्तावेजों को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की शर्त पर देने की बात कही थी। हमने आज प्रधान मन्त्री की बातें सुनीं थीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सशर्त सहयोग।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हां, हां। आप ऐसा कह सकते हैं। आज प्रधान मंत्री को यह कहते सुना गया कि नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट को स्वीडिश सरकार की आपत्ति के कारण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने केवल उन्हीं दस्तावेजों की मांग नहीं की थी। हमने प्रधान मन्त्री कार्यालय की फाइलों की भी मांग की थी जिनको प्रधान मंत्री ने 31 दिसम्बर को ही सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था। उन दस्तावेजों को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने में न तो स्वीडिश सरकार को और न किसी अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति है। इस बात से सदन भली-भांति अवगत है।

श्री पी० उपेन्द्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पार्टियों को किसी विधेयक विशेष पर बोलने की अनुमति दी जाती है और उस पार्टी के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह उसी विधेयक पर बोलेंगे। कोई यह नहीं कह सकता कि "मुझे चालीस मिनट का समय मिला है। उन चालीस मिनटों तक मैं कविता पढ़ूंगा और कहानियां सुनाऊंगा।" क्या आप उन्हें बोलने की अनुमति देते हैं ? लेकिन यह चर्चा के विषय से असंगत है। आप इसकी अनुमति कैसे दे रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शायद वे अपने पार्टी के पक्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। आप उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का खंडन करने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आपने ही कहा था कि चर्चा कार्यवाही से सुसंगत होनी चाहिए। इसके बावजूद आप उन्हें सब कुछ बोलने की अनुमति दे रहे हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने यह पक्ष क्यों लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप हस्तक्षेप न करें तो आपको उनकी बातों का खंडन करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं समझता हूं कि एक सदस्य होने के नाते मुझे यह स्पष्ट करने का पूरा अधिकार है कि मैं इस विधेयक का समर्थन क्यों करता हूं अथवा क्यों नहीं करता हूं। मैं विधेयक पर बात कर रहा हूं। मैं केवल वही कर रहा हूं···· (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने विधेयक के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा यह मानना है कि मुझे यह बताने का अधिकार है कि मैं

विधेयक का समर्थन क्यों करता हूं अथवा क्यों नहीं करता हूं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हस्तक्षेप करने में क्यों अपनी बुद्धि दिखा रहे हैं ? उत्तर देते समय आप अपनी बुद्धि का परिचय क्यों नहीं देते ?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : कम से कम अब तो सदन में शांति है । हम इसका विरोध नहीं कर रहे है । क्या आप हमारा विरोध इसलिए कर रहे हैं, ताकि हम भी आपका विरोध करें ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप अपनी बात जारी रखें । अन्यथा, आप अधिक समय लेंगे ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह सलाह आप अपने सदस्यों को दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, कृपया आप मुद्दे पर आयें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनका कहना है कि प्रासंगिक बात कहें ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं वही कर रहा हूं । मैंने यहां कोई असंगत बात नहीं कही है । नेताओं की बैठक में आश्वासन दिया गया था कि···· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हीं बातों को दोहराना चाहते हैं जो पहले कही ज। चुकी हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : उनकी सहायता के लिए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समिति की बैठक में जिन बातों पर चर्चा की गई थी, उन्हें यहां उद्धृत नहीं किया जाता ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं प्रधान मंत्री के कथन का उल्लेख कर रहा हूं । उन्होंने कहा था कि नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट पर स्वीडिश सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाया गया है । लेकिन हमने प्रधान मंत्री कार्यालय के फाईल की भी मांग की थी जिसका उन्होंने वायदा भी किया था····

(व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुन रहा हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरे बार-बार कहने के बाद भी, आप वहीं से बैठकर हाउस को कन्ट्रोल करना चाह रहे हैं, आप देख रहे कि जब तब आपने वहीं से बोलने का प्रयत्न किया है, हाउस डिस्टर्ब हो जाता है । फिर यहां चेयर से कन्ट्रोल करने वालों के लिए हाउस कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जाता है । आप चेयर को कन्ट्रोल करने दीजिए, आपको भी टाइम मिलेगा ।

[अनुवाद]

यदि आप हमेशा व्यवधान पैदा करते हैं तो आप सदन की कार्यवाही में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। कृपया इसका ध्यान रखें।

(व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे : प्रधान मंत्री ने विपक्ष से निवेदन किया है कि हम कार्य सूची में शामिल मामलों को पहले निपटा लें और बोफोर्स पर जो भी चर्चा करनी है उसके बारे में बाद में निर्णय करें··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है ?

प्रो० राम गणेश कापसे : यदि वे बोफोर्स का उल्लेख करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष से पहले ही निवेदन किया है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के बारे में आपका क्या प्रश्न है ?

प्रो० राम गणेश कापसे : मेरा व्यवस्था के बारे में प्रश्न यह है कि प्रो० कुरियन द्वारा बोफोर्स संबंधी मामला यहां नहीं उठाया जाना चाहिए और उन्हें केवल विधेयक पर ही बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया हूं। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त कर रहा हूं। यदि वह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वह विधेयक का समर्थन क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं या मतदान में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं तो यह पूर्णतः उनके अधिकार में है और मैं उन्हें इसकी अनुमति दे रहा हूं। यदि आपके पास कोई और मुद्दा है तो आप उसका आपने भाषण में उल्लेख कर सकते हैं। मेरा श्री कुरियन से निवेदन है कि वे अपनी बात थोड़े में समाप्त करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सरकार ने विधेयक को पारित करने के लिए हमारा सहयोग मांगा है। हमने अपने सहयोग का आश्वासन इस निवेदन के साथ दिया था कि नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ प्रधान मंत्री कार्यालय की फाइल भी सदन के पटल पर पेश करें, जिसका वायदा प्रधान मंत्री ने किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश, सरकार और प्रधान मंत्री अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं जबकि स्वीडिश सरकार की ओर से उस फाइल को सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं की गई है। हमारी शिकायत यह है कि सरकार इन फाइलों को छिपा रही है और साथ ही उन्होंने छवि बिगाड़ने का अभियान चला रखा है हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है प्रधान मन्त्री सहित सभी लोगों का यह कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक गरीबों के लिए है और यह उनको अधिकार दिलाने वाला सिद्ध होगा। यह विधेयक क्या है ? यह विधेयक श्री राम धन को संतुष्ट करने के लिए ही लाया गया है। चूंकि श्री राम धन को मंत्रिमण्डल में स्थान नहीं दिया सका था इसलिए उन्हें कुछ उच्च स्थान देने का प्रयास किया गया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हरिजनों अथवा गरीबों का कोई भला होने वाला है। अगर इसमें कुछ है तो आपको उसे स्पष्ट करने की पूरी छूट है। कृपया आप इस विधेयक को पढ़ें। यह केवल श्री रामधन का विधेयक है। और यह कहना कि यह गरीबों और हरिजनों के लिए है, मात्र ऊपरी दिखावा है। मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि ✦ यदि वह हमारा सहयोग सुनिश्चित करना चाहती है तो वह भी हमें कुछ सहयोग दे। हम वह फाईल मांग रहे हैं जिसे सरकार आसानी से सभा पटल पर रख सकती है। कृपया आप हमें सहयोग दें।

दूसरा, उनका यह कहना है कि हम इस विधेयक के पारित होने का विरोध कर रहे हैं। हम इस विधेयक के पारित होने के विरुद्ध नहीं हैं। चूंकि आप हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं इसलिए हम भी आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं। अभी भी समय है कि सरकार मत विभाजन से पूर्व ऐसा सहयोग करें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इन दो विधेयकों, जो भूमि सुधारों के बारे में है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में है, जिस पर आपका समर्थन सशर्त है ताकि हम राष्ट्र के समक्ष यह कह सकें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे मामलों पर भी आपका समर्थन सशर्त है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विधेयक या किसी अन्य विधेयक का प्रश्न नहीं है। हमारा कहना यह है कि सरकार को हमारा समर्थन इन्हीं शर्तों पर निर्भर करता है। हम न तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विधेयक और न भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक के विरोध में है। लेकिन यदि सरकार हमारा समर्थन चाहती है तो उन्हें ये शर्तें माननी चाहिए। लेकिन हम इन विधेयकों का विरोध नहीं करते।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विधेयक पर सशर्त मतदान करेंगे या बिना शर्त के?

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब आपके पास आवश्यक बहुमत होता है तब आप हमारा सहयोग नहीं चाहते है। आप इन विधेयकों को आसानी से पारित कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कल दोनों विधेयकों के विरुद्ध हमने मतदान नहीं किया था। हमने केवल बहिर्गमन किया था। आप इसे पारित कर सकते थे। महोदय, हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें भी बोफोर्स फाइल, ए-320 फाइल, मेहम मामले में न्यायाधीश की नियुक्ति सम्बन्धी विचारार्थ विषय सभा पटल पर रख कर हमारे साथ सहयोग करना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपने माननीय मित्र को केवल यही बताना चाहूंगा कि जब हम विपक्ष में थे और बोफोर्स मामले के विरुद्ध भीषण संघर्ष छेड़े हुए थे उस समय भी जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी विधेयक और ऐसे अन्य विधेयकों को जब प्रस्तुत किया गया उस समय भी हमने बिना शर्त अपना समर्थन दिया क्योंकि समूचे राष्ट्र में हमने इनका साथ दिया है।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस संविधान के 66वें संशोधन विधेयक में 9वें शैडयूल का स्वागत करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। कुछ अरसा पहले एक सैमिनार हुआ था, उस सैमिनार में इस देश के गरीबों की हालत पर जो चर्चा हुई मैं उसकी 2-3 लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा। "सन् 1951 में जनगणना के अनुसार इस देश में कृषि श्रमिकों की सं० 275 लाख थी, सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 644 लाख हो गई। इस देश में सन् 1951 में कृषकों का, भूमिहीनों का, थोड़ी जमीन वाले लघु सीमांत और गरीब किसानों का प्रतिशत 28.3 था, वह सन् 1981 में 38.5 हो गया।" इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में कांग्रेस के 42 साल के शासन में गरीब, चाहे वह गांव में रहता है चाहे कहीं और रहता है, वह और ज्यादा गरीब हुआ है, गरीबों की संख्या और ज्यादा बढ़ी है और अमीरों की संख्या भी और ज्यादा बढ़ गई है। यह इस बात से स्पष्ट है, यह कांग्रेस की सरकार के आंकड़े हैं, इस सरकार के नहीं हैं। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। सन् 1946 में मैं स्कूल

में पढ़ा करता था। हमारे उप-प्रधान मन्त्री चौधरी देवी लाल का गांव चौटाला है। उन दिनों कांग्रेस ने यह नारा दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में आज से साठ साल पहले, कि "जमीन उसकी जो जोते।" उसका असर बिजली की तरह सारे देश में फैला। बटाईदारों, शेयर क्रौपर्स, जो भूमि बटाई पर काश्त करते थे, जो राजाओं की, बड़े-बड़े जमींदारों की जमीनें काश्त करते थे, उन लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ एक बिजली जैसी लहर दौड़ गई कि अगर देश आजाद हो गया तो हम जमीनों के मालिक बनेंगे, क्योंकि उस समय यह नारा था कि "जमीन उसकी जो जोते"। इस नारे के नशे में, इस नारे की भावना के पीछे इस देश के हजारों गरीबों के नौजवान बेटों ने कुर्बानियां दीं। मैं बचपन में था, मुझे वह दिन याद है जब हमें मालूम हुआ कि चौधरी देवी लाल और अरुणा आसफ अली गांव में आ रहे हैं। बटाईदार, शेयर क्रौपर्स, बेजमीन लोगों की प्रबल इच्छा थी कि इस देश से अंग्रेज जाने चाहिएं, इस देश में राजाशाही खत्म होनी चाहिए, फयूडल सिस्टम खत्म होना चाहिए, जमींदारी सिस्टम खत्म होना चाहिए। यही उनकी तमन्ना थी। मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त 50 हजार

2.00 म० प०

पंजाब और राजस्थान के गरीब लोगों को मैंने देखा था। आज जिन लोगों ने इस संशोधन विधेयक का विरोध किया है आखिरकार वह क्या चाहते हैं। कांग्रेस के माननीय सदस्य जो यहां अभी बैठे हुए नहीं हैं, उनकी सब कुर्सियां खाली हैं, वह क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं। आज सवाल बोफोर्स का नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने ईमानदारी से भूमि सुधारों को लागू नहीं किया, सिर्फ घोषणा ही की और उस घोषणा का असर यह हुआ कि बड़े-बड़े जमींदारों ने सारी की सारी जमीन छुपा ली। कांग्रेस ने इसको लागू करने की कभी ईमानदारी से घोषणा नहीं की। जमींदारों को इंडिकेशन दे दिया कि खतरा हो रहा है, अपनी जमीन छुपा लो और कांग्रेस में आ जाओ। अब इनको किसी चीज से कोई परहेज नहीं रह गया है। आज बिड़ला इनकी पार्टी का सदस्य बन गया है। इनमें शर्म किसी बात की रही नहीं है। अब बिड़ला साहब राज्य सभा के लिए इनकी पार्टी की तरफ से चुने गए हैं। पिछली दफा वह इनकी पार्टी से नहीं चुने गए क्योंकि इन्होंने उनको टिकट ही नहीं दिया। उस वक्त इनमें थोड़ी शर्म थी। जिस समाजवाद के लिए नेहरू जी, इन्दिरा जी लड़े और उसके गीत गाए लेकिन राजीव गांधी की लीडरशिप के अन्दर वह समाजवाद नाम से इनको नफरत हो गई है और इनको बिड़ला साहब से बहुत प्यार हो गया। ये सारे के सारे जमीन चोर हैं। ये आज बोफोर्स से डरकर नहीं भागे, इसके पीछे इनका दूसरा कोई मकसद था। जो बड़े-बड़े जमींदार थे उन्होंने गलत नामों से वह जमीनें अपने कब्जे में की। * मेरे पड़ोस में हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। वह मेरे ससुर··· (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : महोदय, इन्होंने औबजैक्शनेबल बातें कही हैं—एक इन्होंने नाम लिया है और दूसरा इन्होंने चोर शब्द का इस्तेमाल किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : * नाम रिकार्ड में नहीं आएगा।

श्री लोपत सिंह मक्कासर : मैं अपने ससुर की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी को अपने ससुर को बदनाम करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : अगर आपको बुरा लगा है तो मैं नाम नहीं लूंगा। मैं कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं जिनके पास एक हजार बीघा बाग हैं। वे आज गरीबों की बात करते हैं। उनका एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों में पंजाब, यू० पी० और राजस्थान में फार्म हैं। जिन के पास पहले जमीनें नहीं थीं और जब वे कांग्रेस में आ गए तो उन्होंने बड़ी-बड़ी जायदादें बना लीं। कांग्रेस के लोगों का आज यहां से भागना इस बात का द्योतक है कि वे और भूमि चाहते हैं। इनको यह भी डर है कि कहीं जमीन इनके हाथ से न निकल जाए। मैं जनता दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप भी सिर्फ बातें मत करें, इसको सख्ती से लागू कराएं। ऐसे में इस देश का गरीब वर्ग आपके साथ होगा। जनता ने आपको पांच साल के लिए यहां भेजा है और इस अवधि में आप जनता की सेवा करें। आप इसे ईमानदारी से लागू करिए। कांग्रेस ने 4 साल में 45 लाख एकड़ जमीन गरीबों में बांटी जबकि कायदे के अनुसार 6 करोड़ एकड़ सरप्लस जमीन उनको मिलनी चाहिए थी। 6 करोड़ एकड़ जमीन गरीबों में बांटी जानी चाहिए थी, उसकी जगह 45 लाख एकड़ जमीन आज तक 40 साल में गरीबों में बांटी गई और वह भी कौन सी जमीन, जो घटिया थी, जिन जमींदारों ने घटिया-घटिया जमीन छोड़ दी, वह जमीन उन गरीबों को मिली है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने सीलिंग को, भूमि सुधार को लागू कितना किया, कितना नहीं किया मगर तमाम बंटाईदारों को इन्होंने बेदखल कर दिया, इस भूमि सुधार के नाम से जो गरीब गुजारा करते थे, जो बंटाई पर काश्त करते थे, उन बंटाइदारों को इन्होंने बेदखल कर दिया। मैं जानता हूं, मैं भी एक जमींदार के परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं कोई अलग से नहीं हूं, बहुत साफ बता देना चाहता हूं। मैंने सन् 1945 में, सन् 1946 में मेरे बचपन में देखा है, बड़े जमींदारों के घरों में भूख हुआ करती थी, जो खुद काश्त नहीं करते थे. उन जमींदारों के घरों में अमूमन गरीबी हुआ करती थी। मैंने देखा है, मेरे घर में गरीबी थी मगर जब से कांग्रेस आई है, आज उन कमजोर ऊंटों और बैलों की जगह सब जमींदारों के घरों में ट्रैक्टर आ गए हैं। जो बड़े-बड़े जमींदार थे उन्होंने बड़े मकैनाइज्ड फार्म बना लिए, आज कोई उनकी जमीनों को छुएगा नहीं। परमात्मा को भी इन्होंने नाबालिग बना दिया। आज हजारों एकड़ जमीन हर देवस्थान के नाम से है, नाथद्वारा के मन्दिर के पास लाखों एकड़ जमीन है, दूसरे मन्दिरों के नाम से लाखों एकड़ जमीन है, उन को गरीब किसान काश्त करते थे, उनको बेदखल कर दिया गया। नाथद्वारा का देवता हमेशा नाबालिग रहेगा, हमेशा के लिए नाबालिग रहेगा, अगर देवता नाबालिग रहेगा तो उसकी जमीन कोई नहीं ले सकेगा। चाहे देवता हजार साल का था, इन्होंने अपनी जमीन की भूख के लिए, जमीन पर कब्जा करने के लिए उस देवता को भी इस सीलिंग कानून में बालक का नाम दिया गया है। इनके देवता जब तक मरेंगे तब तक बालक रहेंगे, जमीन छिपाने के लिए। मुझे याद है, राजस्थान कैनाल जब मेरे इलाके में सन् 1970 के अन्दर गई थी, राजस्थान के अन्दर राजस्थान कैनाल गई तो लाखों एकड़ जमीन वहां पर सरकार की थी, जब वह नहर सन् 1970 के अन्दर गई तो कांग्रेस की हुकूमत पर यहां दिल्ली के अन्दर इन्दिरा जी थीं, जब वह सिंडीकेट से अलग हुई, यह तब की बात है, यहां दिल्ली में समाजवाद का प्रस्ताव पास किया था और भूमि सुधारों की बहुत बड़ी बात की थी, इधर जब इन्दिरा जी की कांग्रेस अलग हुई, सिंडीकेट से अलग हुई और भूमि सुधारों की बात हुई तो उधर उस वक्त स्वर्गीय सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने वहां पर फैसला किया कि हम जमीन की नीलामी करेंगे। हमारी तमाम विरोधी पार्टियों ने, हमने मिलकर कहा कि जमीन की नीलामी नहीं होने देंगे, जमीन किसान की मां है, इसको नीलामी के चबूतरे पर चढ़ने नहीं देंगे, यह भूमि किसान को मिलनी चाहिए, हमने यह आवाज उठाई। सरकार ने कहा, जमीन नीलाम करेंगे इस संदर्भ में आंदोलन के दौरान हमारे 15 बेटे गोलियों के शिकार हुए, हमारे 20 हजार किसान जेलों में गए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां,

हमारी बच्चियां जेलों में गई और जब हम वहां दिल्ली में इन्दिरा जी के पास आए तो मुझे याद है कामरेड गोपालन और कामरेड राममूर्ति उस वक्त पार्लियामेंट के मेम्बर हुआ करते थे, हमारी पार्टी के लीडर कामरेड सुरजीत ने इन्टरवीन किया, उन्होंने उसमें दखल किया, कुछ दूसरे नेता आए, स्वर्गीय चरण सिंह जी ने भी दिलचस्पी ली थी कि वहां पर आंदोलन बंद होना चाहिए, व सरकारी भूमि के गरीब भूमिहीन किसानों में बांटना चाहिए। गंगानगर जिले में मिलिट्री का शासन हो गया था। आखिर में राजस्थान की विधान सभा में सुखाड़िया को यह मानना पड़ा कि मेरे से गलती हुई है, मैं जनता के आगे झुकता हूं और ऐलान किया गया था कि भविष्य में राजस्थान में जमीन नीलाम नहीं होगी। भूमि किसानों में बांटी जाएगी आंदोलन के बाद एक लाख भूमिहीन किसानों को 16 लाख एकड़ सिंचित जमीन दी गई, 17 हजार रुपया पर 25 बीघे के हिसाब से कीमत के ऊपर 20 इन्स्टालमैंट्स में दी गई··· (व्यवधान) ···मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। आज राजस्थान में जनता दल और बी० जे० पी० की सरकार है, आज जमीन विशेष आबंटन के नाम से नीलाम हो रही है, उसको रोकिए, अगर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी है, इसको पास करने में तो आप यह तय कीजिए कि जो भी सरकारी जमीन पड़ी है, उसको हम नीलाम नहीं करेंगे, उसको गरीबों में बांटेंगे, फिर उसके बाद जमीन लेने की बात कीजिए। आज मेरे राजस्थान के अन्दर लाखों बेजमीना किसान बैठा है, लाखों एकड़ जमीन जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके में पड़ी है। आज नहर वहां पर चली गई, पानी वहां पर पहुंच गया उस क्षेत्र में काश्तकार नहीं है, कांग्रेस सरकार उसको आबंटन के माध्यम से नीलाम करवाना चाहती थी। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि आप आज ही समाचार भेजिए, वह जमीन बेजमीन हरिजनों को, दलितों को, पीड़ितों को दी जाए, यह हमारी इच्छा है और इस कानून को सख्ती से लागू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे राजस्थान में अजीब हालत है। मैं बताना चाहता हूं, वहां क्या हो रहा है। मैं हुक्मरान को बताना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार ने क्या किया। हमारे यहां पटवारी फसल को गिरदावी दर्ज करते हैं, वह गिरदावी रिकार्ड में काश्तकार के नाम दर्ज नहीं होते हैं। केवल जमीन के मालिक के नाम होते हैं। दो साल पहले, तीस साल पहले रेवेन्यू मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई और उसमें फैसले लिए कि रिकार्ड में काश्तकार का नाम दर्ज किया जाएगा, पटवारी के कागज में काश्तकार का नाम दर्ज होना चाहिए, तभी आप बटाईदार को बचा सकते हैं, वरना आप कैसे बचा सकते हैं। आज बटाईदार की हालत यह है कि गिरदावी मालिक के नाम से होती है और वह गरीब काश्तकार, खेतिहर मजदूर, बन्धुआ मजदूर की तरह से काम करता है। मर्जी आई तो जमींदार उसको निकाल देता है और मर्जी आती है तो काम करवाता है। यहां तक कि उसको फसल के बीच में निकाल देता है। उसका नाम पटवारी के कागज में रिकार्ड नहीं है और मालिक का नाम दर्ज होता है। इसको आप गंभीरता से लीजिए और इसका फैसला कीजिए। पिछले चालीस सालों में कांग्रेस सरकार ने भूमिसुधारों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, मेहरबानी करके आप इस काम को कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये लोग तो भाग रहे हैं और इनका भागना समझ में भी आता है। अधिकतर ज्यादातर भूमि चोर हैं, इनको डर पैदा हो गया है कि यह कानून पास होते ही इनसे जमीनें छीनी जाएंगी। इसलिए यह करिश्मा दिखाओ, सिर्फ इसको पास ही मत करो बल्कि इसको लागू करके दिखाओ। मेरा आपसे यही कहना है कि इस कानून से देश के करोड़ों बेजमीन खेतिहर मजदूरों को, जो गरीब हैं, छोटे जमीन वाले हैं उनको ताकत मिलेगी और इस सरकार को भी ताकत मिलेगी।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्रांतिकारी विधेयक है, जो इस

सदन में प्रस्तुत किया गया है। देश की आजादी के बाद ही नहीं, बल्कि देश की आजादी से पहले सन् 1930 में करांची में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय देश की जनता को, देश के गरीबों को यह वचन दिया गया था कि अगर देश स्वतन्त्र हो जाएगा तो इस देश में जो भूमिहीन लोग हैं, उनको जमीन मिलेगी। जो बड़े-बड़े भू-स्वामी हैं, बड़े-बड़े जमीदार हैं, जो अपने हाथ से खेती नहीं करते, उनके स्वामित्व से जमीन निकाली जाएगी और उस जमीन पर स्वामित्व उनका होगा, जो सचमुच में जमीन पर पसीना बहाते हैं और जो अन्न का उत्पादन करते हैं। यह बात सन् 1930-31 में कही गई थी। उस समय देश के गरीबों, भूमिहीनों और जो मुसीबतजदा लोग थे, उनके मन में बहुत बड़ी आशा का संचार हुआ और देश की आजादी के संग्राम में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर योगदान दिया और देश आजाद हुआ। उसके बाद देश का संविधान बना, लेकिन संविधान में उस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। उस समय संविधान सभा में जो समाजवादी सदस्य थे, उनको आप स्मरण करना चाहेंगे, सेठ दामोदर स्वरूप और श्री सरनधर दास, इन दोनों महापुरुषों ने संविधान की अन्तिम प्रति में हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। केवल इस कारण से कि सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। उनका यह कहना था कि अगर यह मौलिक अधिकार रहेगा संपत्ति का अधिकार, तो आप देश में कोई भी आर्थिक सुधार नहीं कर पाएंगे तो यह जमीन आप भूमिहीनों को नहीं दे पाएंगे। राजाओं और जमीदारों से जमीन को नहीं छीन सकेंगे, क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहेगा। यह बात आड़े आएगी और इनके हाथ से नहीं छीन सकेंगे। उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। सचमुच में वह बात सही प्रभावित हुई। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ और कुछ दिनों के बाद इस देश में समाजवादियों ने आंदोलन किया कि जो वायदा किया था उसको पूरा किया जाए, जमीन का पुनः वितरण होना चाहिए, कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यह आंदोलन चलता रहा। पहले तो कांग्रेस के नेताओं ने इसकी हंसी उड़ायी और कहा कि···

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरी बातों को छोड़ दीजिए, आप बिल पर ही बोलिए। ढाई बजे वोटिंग होना है। आपको भी बोलना है, और दूसरे मेम्बर भी हैं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा। सन् 19.0 में जिस तरह से कानून बना, उसमें सीलिंग की बात कही गयी थी। श्रीमन् सीलिंग का कानून कागजों पर तो बन गया लेकिन बड़े लोगों की, बड़े जमींदारों की जमीन बाहर नहीं निकली। आज तक वही स्थिति बनी हुई है। एक बार प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पी० एस० अप्पू ने कहा था कि इस देश में सबसे बड़ा फ्राड हुआ है तो वह लैंड सीलिंग लाज के रूप में हुआ है। कहने को तो कह दिया गया कि सीलिंग कानून बना दिए गए लेकिन वे बिल्कुल निरर्थक थे। कोई उनके पीछे इच्छा शक्ति या राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और उनके अन्तर्गत जमीन बांटी नहीं जा सकी। इसलिए जमीन गरीबों को भी नहीं मिल सकी। देश में देखने के लिए कहीं कुछ हो गया लेकिन वास्तव में हजारों एकड़ जमीन के मालिक बड़े-बड़े लोग हैं। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस में फैसला दे दिया कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को इनको करटेल करने का कोई कानून बन ही नहीं सकता। सम्पति का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसको आप हटा ही नहीं सकते थे। उसके बाद में हमारे स्वर्गीय नेता श्री नाथ पै जी ने संविधान में संशोधन करने का विधेयक रखा कि पालियामेंट को फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन करने का अधिकार है। वह बिल पास हुका। उसके बाद में 1977 में जनता पार्टी की सरकार आयी और हम लोगों ने सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया। उसके बाद से रास्ता साफ हुआ। सही मायनों में तब से हम

भूमि सुधार कानूनों को भूतकाल से लागू कर सके हैं। लेकिन वह सरकार नहीं रही। उसके बाद फिर वही होता रहा कि बड़े-बड़े भूस्वामियों ने अपनी जमीनें कुत्तों, अपने रिश्तेदारों और फर्जी लोगों के नाम लिखकर हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा जमाए रखा। कागजों में भी उनके नाम जमीन लैंड सीलिंग के मुताबिक रही लेकिन वे लोगों की आंखों के सामने ही हजारों एकड़ जमीन के मालिक बने रहे। मैं जिस जिले से आता हूं वहां के देशी राजा के नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन है। सबके सामने है। लेकिन पट्टे में, सरकारी कागजों में जाने किस-किस के नाम से लिखी हुई है। यह इतना बड़ा षड्यन्त्र और धोखा देश के सामने होता है और उस पर कार्यवाही नहीं होती।

इस देश में करोड़ों-करोड़ों लोग ऐसे हैं जोकि जमीन से वंचित हैं, सामाजिक न्याय से वंचित हैं। सब गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज देश में 8 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और सब के सब बंधुआ मजदूर हैं। उनके पास में अपना घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है।

सीलिंग के कानून तो हमेशा बनते रहे हैं लेकिन हमारी सरकार ने वह ऐतिहासिक निर्णय किया है कि भूमि सुधार कानूनों को, भूमि सीमा से सम्बन्धित कानूनों को संविधान की नवीं सूची में रखने का संविधान में संशोधन किया है।

अकेले भूमि की सीमा का ही सवाल नहीं है। बटाईदारों को जमीन का हक देने का भी सवाल है। इस सम्बन्ध में बंगाल ने सचमुच में ऐतिहासिक काम किया है। बंगाल को छोड़कर और कहीं पर भी यह काम नहीं हुआ है। इसलिए जितने भी भूमि सुधार के कानून हैं, सामाजिक न्याय देने के कानून हैं उनको नवीं सूची में डाला जाए ताकि वे अदालतों की परिधि से बाहर हो जाएं, ताकि अदालतों में उनको कोई चुनौती न दे सके और गरीबों को न्याय पाने से कोई वंचित न रख सके। इस सिद्धांत के आधार पर इन कानूनों को नवीं सूची में रखने का प्रावधान किया गया है। आज भी हमारे देश में हालत यह है कि इस देश की 70 प्रतिशत जमीन केवल 15 प्रतिशत लोगों के कब्जे में है, 15 प्रतिशत भूस्वामियों के हाथ में है। देश के 85 प्रतिशत भूमिहीन मजदूर, सीमांत कृषक जो हैं उनके पास में केवल 30 प्रतिशत जमीन है। इसीलिए देश में अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जमीन का सही वितरण होने से अनाज का उत्पादन भी बढ़ सकता है, उत्पादकता भी बढ़ सकती है। जहां जमीन कम होती है वहां अनाज का उत्पादन भी बढ़ता है, उत्पादकता भी बढ़ती है। जापान में कम जमीन है, वहां 72 सौ किलोग्राम पर हैक्टेयर की उत्पादकता है। हमारे देश में, पंजाब जैसी जगह में 2200 किलोग्राम पर हैक्टेयर उत्पादकता है, इस देश में लोग समृद्ध नहीं हो सकते, जब तक भूमिहीनों और गरीबों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलेगा। उनको यह अधिकार देने के लिए जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस सदन के सब माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे और हम इसको सर्वानुमत रूप में पारित कर, कानून बनाकर, इस देश के करोड़ों गरीब भूमिहीनों के लिए एक नई आशा की जोत जला सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : मैं प्रक्रिया का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान) हमारे दल की ओर से केवल एक सदस्य ने भाषण दिया है। सदन में हमारी संख्या देखते हुए इस विधेयक पर सदन द्वारा उपयोग किए गए समय के आधे समय को हमें दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि समय हुआ तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा। मैंने श्री कुरियन को बोलने के लिए कहा था। मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जनता दल और अब भारतीय कम्युनिस्ट के एक-एक सदस्य को बोलने का समय दिया। यदि समय हुआ तो मैं आपको भी बुलाऊंगा।

श्री हरीश रावत : यह आपकी इच्छा निर्भर करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक सदस्य खड़ा होकर चुनौती देने लगे तो अध्यक्षपीठ क्या कर सकता है ? यदि समय हुआ तो मैं आपको अवश्य बुलाऊंगा।

"श्री भोगेन्द्र झा ।"

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, 66वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और उसी के साथ माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा के नाम से जो यह संशोधन आया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है ।

उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी राय से पहले यह कहूंगा, जो रावत जी ने समय की मांग की, जो समय बर्बाद हुआ, उसके लिए हमें दंड नहीं मिलना चाहिए । मैं समझता हूं कि इस पर हमें बोलने के लिए समय मिलना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको बुरा-भला जो भी कहना हो, वे कहें और एक मत से इसको पारित करें । भूमि सुधार के मामले पर लोगों ने क्या-क्या कहा है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता । मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आजादी का मामला, भूमि सुधार का मामला 1937-38 से ही मिला हुआ मामला रहा है, इसके इतिहास में हम नहीं जायें और यह भी हम जानते हैं कि सिर्फ कानून बना देने से यह लागू होने वाला नहीं है । जब तक कानून को लागू करने के लिए नीचे से जन आंदोलन मजबूत नहीं होगा, तब तक कानून पड़ा रह जाता है. चूंकि हमारे न्यायालय में, हमारे प्रशासनिक ढांचे में, हमारे राजनीतिक नेताओं में, मेरे भू-स्वामियों का प्रभावशाली तबका है, संख्या में वह बहुत नहीं हैं लेकिन प्रभाव में वे बहुत हैं और इसके लिए कदम-कदम पर कानून बनाने में, कानून को लागू करने में बाधायें होती हैं और जब कानून को लागू करने के लिए लोग उठते हैं तो कानून के नाम पर जो मुस्तहारा आप पा रहे हैं. वह सारी ताकत, जो सरकारें आज तक केन्द्र में बनी हैं, दो-तीन राज्य केरल, बंगाल, त्रिपुरा को छोड़कर, उनकी ताकत कानून तोड़ने वाले भू-स्वामियों के पक्ष में, कानून लागू करने वाले, गरीबों के खिलाफ वे ताकत आज तक लागू होती आई हैं, अभी तक यही इतिहास है । फिर भी मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा 85 ईस्वी में देश भर में राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था, उसमें भारत सरकार की ओर से कुछ निर्णय लिया गया, 86 के नवम्बर में फिर उन निर्णयों की संपुष्टि की गई और 87 में फिर संपुष्टि की गई ।

मैं चाहूंगा जो हमारे मित्र बोलेंगे वे उस पर भी बोलेंगे जो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था क्या उसको लागू करने के लिए एक प्रतिशत भी प्रयास हुआ । वह निर्णय मेरे पास मौजूद है । अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ कर सुना दूंगा । क्योंकि मुझे शंका है कि देश की अखबारों ने उसे छिपाया है, देश के राजनीतिक वातावरण में वह बात नहीं आ पायी है । इसलिए लोगों का जानना जरूरी है । मगर मैं इसको बाद में रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में गत 12 अप्रैल को लिखित प्रश्न के उत्तर में हमारे कृषि मंत्री चौधरी देवीलाल जी ने जो जवाब दिया था मैं उस लिखित जवाब का छोटा हिस्सा पढ़ कर सुना रहा हूं :

"राजस्व मन्त्रियों के 1985 और 1986 में हुए सम्मेलनों में हुई आम राय अब

सरकारों को उनके विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई थी। भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ, उन सभी में से कुछेक के बारे में राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों के साथ शीघ्र ही विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।"

यह उत्तर 12 अप्रैल का है और मई का अन्त होने जा रहा है। मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बीत चुका है, उसमें विचार नहीं हुआ। मुझे सुनने में आया है कि फिर 11-12 तारीख को मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है और यह आशंका भी सुनने में आ रही है कि उसमें भी इस पर विचार न हो। मुझे गहरी आशंका है कि इस मामले पर इधर और उधर, दोनों तरफ से भू-स्वामी जो सरकार में हैं, उनका एकमत यह है कि इसको न लागू होने दें। इधर मायने जो सरकार में हैं और उधर मायने जो विरोधी पक्ष में हैं। बड़े भू-स्वामी एक राय के हो जाते हैं। इसलिए जो एकमत से निर्णय देश के राजस्व मन्त्रियों का हुआ, जिसमें विभिन्न दलों की सरकारें थीं, उसका कार्यान्वयन शून्य के बराबर हुआ है। मैं चाहूंगा कि आज इस सदन में आश्वासन दिया जाए कि उसको लागू करने के लिए कौन से कदम उठाये जाएंगे। कदम उठाने के बारे में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जमीन के बारे में जो हाल का कानून है, 25 एकड़ से फाजिल वाली जो जोत हैं उनमें अभी भी केरल में 4 हजार हैं और पश्चिमी बंगाल में 1 हजार। लेकिन बाकी राज्यों में, आंध्र प्रदेश ऊंची कतार पर है। हमारे मित्र इसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे लागू करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में ऐसी जोत वाले 1 लाख 96 हजार हैं, जिनके हाथ में 23 लाख 94 हजार एकड़ जमीन अभी भी है। ये 25 एकड़ से ऊपर वाले हैं। यह आंध्र की बात है। बिहार में ऐसी जोत वाले 52 हजार हैं, जिनके हाथ में 8 लाख 25 हजार एकड़ जमीन अभी भी है। मैं जमीन चोरी की बात कर रहा हूं, जो कानून के दायरे से ऊपर है। गुजरात में 1 लाख 42 हजार ऐसें जोत वाले हैं, छोटा सा राज्य है, लेकिन इतने जोत वाले हैं, जिनके हाथ में 20 लाख 59 हजार एकड़ जमीन अभी भी है। यह 25 एकड़ से फाजिल वाली जमीन है। हरियाणा प्रमुख है, लेकिन आकार में बहुत छोटा राज्य है। वहां पर बिहार से ज्यादा, 60 हजार ऐसे जोत वाले हैं जिनके हाथ में 9 लाख 2 हजार एकड़ जमीन अभी भी है। वे 25 एकड़ से ऊपर वाले हैं। यह चोरी की जमीन का मामला है।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल का भी बताइए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं इसके बारे में बाद में आता हूं। पंजाब, केन्द्रशासित प्रदेश है, वहां 74 हजार ऐसे जोत वाले भू-स्वामी हैं जिनके हाथ में 97 लाख 90 हजार एकड़ जमीन है। हम सारे संकटों को देख रहे हैं। अभी भी पंजाब में भूमि सुधार कानून लागू करने के लिए कदम उठाया जाए तो मैं समझता हूं कि जो आतंकवादी और विघटनकारी शक्तियां हैं, उनको कड़ी चोट लगेगी और निचले तबके के लोग, आम जनता एक साथ इस पक्ष में चले आयेंगे और देश की एकता के लिए मददगार होंगे। राजस्थान में पांच हजार ऐसे भू-स्वामी हैं जिनके हाथों में 97 लाख 90 हजार एकड़ ऐसी चुराई हुई भूमि है। मैंने इधर के लोगों की सरकार के, उधर के लोगों की सरकार के और वामपंथी दलों की सरकार के राज्यों के उदाहरण रखे हैं। इसलिए रखे हैं कि हमें सोचने का मौका मिले और इसको लागू करने के लिए हम आगे बढ़ें। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि जो सर्व सम्मत का निर्णय है आज सरकार की ओर से एलान हो कि उसको लागू करने की ओर जायेंगे। जो-जो वक्ता बोले हैं वे कहें कि हम अपनी-अपनी राज्य सरकार से लागू करवायेंगे। किसी ने यहां पर नाबालिग के बारे में चर्चा की। उस सुधार कानून में यह भी है जो 1978 में भूमि सुधार कानून पास हुआ था कि उसमें जो नाबालिग थे वे बालिग हुए हैं उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। एकमत से राजस्व मंत्रियों ने 1985

में सुझाव दिया था। जहां-तक बूथों पर कब्जे की बात है ये वही लोग करते हैं जिनके पास चुराई हुई जमीन होती है जो ऊंची जाति के तथाकथित लोग हैं वे सामाजिक अत्याचार करते हैं, लेकिन अब तथाकथित पिछड़ी जाति के लोग भी अत्याचार करते हैं और बेलछी से लेकर अभी तक का मामला उठाकर देख लें, यही लोग शामिल हैं। भूमि का केन्द्रीयकरण यह भूमि चोर तबका सूदखोरी तबका, बैंक से कर्जा लेकर, जाति-पांति का अत्याचार बोटों पर कब्जा इसी समाज के लोग कर रहे हैं। इससे देश के उत्पादन में भी बाधा पड़ रही है। मेरी जानकारी जो देश के बारे में है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि गैर-हाजिर भूमि-मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम विदेश में हैं, हम राजदूतावास में हैं, हम संसद में हैं, जिन्दगी भर राजनीति में हैं या हम कोई सरकारी अधिकारी हैं, हमें खेती से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जमीन से है। हम प्रोविडेंड फंड में, पेंशन में अपने भाई को हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन जमीन में हमारा हिस्सा होगा। यह पूरा पढ़ा लिखा तबका पूरी ईमानदारी के साथ सौ फीसदी बेईमानी कर रहा है और समझता है कि मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके चलते देश का उत्पातन बहुत कम हो रहा है। जो जमीन पर काश्त करने हैं उनके नाम जमीन नहीं है और जो कागजो में जमीन के मालिक हैं वे कभी जमीन पर नहीं गए, न ही उनके बेटे या पोते जायेंगे। यह दुविधा बढ़ती जा रही है खास- तौर से जो मध्यम वर्ग है उसके लिए। बिहार का जो सुझाव था जिसमें बटाई वाले कानून के चलते लाशों के ढेर लग जाते हैं उसको बिहार की सरकार ने छोड़ दिया था, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सरकार इस सुझाव से सहमत हुई और उसने इसको समर्थन दिया। बड़े भूस्वामी इसको मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से एलान हो कि राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलन में लागू किया जाएगा। जहां तक न्यायालयों में झगड़ा न जाए इसको नौवें शिड्यूल में रखना मुनासिब ही है, लेकिन इससे झगड़ा खत्म नहीं होगा। मौलिक अधिकारों में कुछ बातें हैं जिसके नाम पर याचिका दायर करेंगे, जिसके नाम पर आप उनको जाने से नहीं रोक सकते हैं, रोकने के बारे में मैं कह भी नहीं रहा हूं, मेरा कथन यह है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ प्रशासनिक कदम उठाए जायेंगे तो भूमि सुधार को लागू करा लेंगे, नीचे से जन आंदोलन को तेज करके। मैं एक और आग्रह इधर के और उधर के मित्रों से करूंगा जहां इनकी राज्य सरकारें हैं, आप पुलिस से मदद न लीजिए आप निष्पक्ष रहें, गांव के गरीब कानूनों को लागू कर देंगे, भूमि सुधारों को लागू कर देंगे, बटाई कानून को हम लागू कर देंगे। क्योंकि पुलिस और नेताओं की वजह से वहां पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। कानून तोड़ने वालों के बारे में इतना कहना चाहता हूं। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि एक दो का नहीं, कई मिसालों का ढेर क्यों लगा दूं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस संसद में हम इस बिल को एकमत से पारित करेंगे। हमारे उप-प्रधानमन्त्री आ गए हैं। मैंने उनसे आग्रह भी किया था, उसका जिक्र यहां कर देता हूं। जब खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था, जो जवाब मुझे इन्होंने दिया था, आज मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूं। इनके द्वारा अपने आपको "ताऊ" कहा गया था कि गांव के गरीबों के लिए आज एलान करेंगे कि मैं ताऊ हूं तुम्हारा और भूमि सुधार कानूनों को लागू करवाऊंगा और इस बात को लागू करवाऊंगा कि खाद्य मन्त्रियों के सम्मेलन में एकमत से जो तय हुआ था, वह राज्य सरकारों से करवाऊंगा। शुरुआत हरियाणा से हो या अन्य राज्यों से हो, पंजाब से भी हो और मैं चाहता हूं कि सदन में एकमत से पारित किया जाए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए इतना कहकर मैं बैठ रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह निश्चय किया गया था कि मतदान 2.30 म० प० पर होगा। मुझे

बताया गया था कि विपक्षी दल के एक सदस्य एक सहायक वक्तव्य देना चाहते थे। और मेरे पास अन्य सदस्यों की एक लम्बी सूची है जो बोलना चाहते हैं। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सदन दो या तीन और सदस्यों को बोलने की अनुमति देने के लिए सहमत है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा समय बहुत जाया गया, अब और समय नहीं जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनको सहयोग देना है तो अपने आपमें स्वागत योग्य बात है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में ये दो बिल, दोनों विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक हरिजन-आदिवासियों के सवाल से जुड़ा हुआ है और दूसरा भूमिहीनों और छोटे किसानों से जुड़ा हुआ है। अगर इस पर कोई दो-एक सदस्य बात कहते हैं और उनको अवसर दिया जाता है और दोनों बिल सर्वसम्मति से पास हो जाते हैं तो हमको उसको मान लेना चाहिए और मैं विरोध पक्ष के नेताओं और सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कम से कम इस सदन को इन दोनों सवालों पर बांटना नहीं चाहिए, इसमें विभाजन नहीं होना चाहिए। मगर सब मिलकर इसको सर्वसम्मति से पास कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि जितना समय दें, दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह मक्कासर : इन्होंने दो दिन बरबाद किए हैं। हम इनका को-आप्रेशन नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, आप बैठ जाएं। अभी यहां पर सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी की तरफ से जो कहा गया है, मैं उससे सहमत हो रहा हूं और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार भी सहमत है। अच्छी बात है और मैं आप सम्माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि इस बिल पर शायद आप सब लोगों के विचार एक ही प्रकार के हैं। भाषा के प्रयोग से उत्तेजना आगे में तेजी हो जाएगी, इससे एक दूसरे की भावनाओं को ठेस लग रही है, उसे अवायड करना चाहिए और यदि हमको सर्वसम्मति से ये बिल पास करना है तो थोड़ा सा टाईम देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके टाईम दे रहा हूं। इसके बाद इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी जगह बैठ जाएं और एक दूसरे के साथ बातें मत कीजिए। मैं समझता हूं कि इस सदन में कार्यवाही चलने में सब तरह से सहयोग मिलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कापसे साहब ने जो कहा है वह दुरुस्त है कि टाईम फिक्स होना चाहिए। मैं लम्बा टाईम नहीं दे रहा हूं। आप सब लोग यहां बैठे रहिए। थोड़ी देर में भाषण हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी। उससे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारे सदन से अपील कर रहा हूं कि जब कोई सदस्य यहां पर बोल रहे

हों तो आप कृपया अपने विचार अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही प्रकट न करें और ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिसकी वजह से यह चर्चा और ज्यादा लम्बी होती चली जाए।

श्री बसंत साठे। कृपया विदाउट इफ एण्ड बट का प्रयोग करते हुए बोलें।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : उपाध्यक्ष जी, पिछले दो दिनों से हम अपनी भावनाएं इस विषय पर बार-बार प्रकट करते आ रहे हैं और हमने कहा है··· (**व्यवधान**)

हमने स्पष्ट कहा है कि इन दोनों बिलों के बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि ये बिल पास हों। (**व्यवधान**)

साथ-साथ हमें इस बात का दुख जरूर था कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन में आने चाहिए···

(**व्यवधान**)

उन दस्तावेजों को पेश किए जाने के सम्बन्ध में हम आग्रह जरूर करेंगे। आज भी हमारी भावना उसके बारे में वैसी ही है और स्पष्ट है लेकिन साथ-साथ हम देश के जितने गरीब वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके दिलों में यह जरा भी शंका पैदा नहीं होने देना चाहते कि हम किसी तरह से उनके हितों के खिलाफ हैं। (**व्यवधान**)

इसीलिए हमने अपने नेता के साथ आज मीटिंग की है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : बीच में टोकने का यह कोई तरीका नहीं है। आप बैठिए।

श्री बसंत साठे : हमने अभी अपने नेता के साथ मीटिंग की और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन दोनों संविधान संशोधन विधेयकों के पास कराने में मदद करेंगे, हमने यह निर्णय लिया है जिसे मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं और जैसा यहां चन्द्रशेखर जी ने अपील की, अन्य सब लोगों ने अपील की इस बात की मान्यता हमारे दिल में है कि इस विषय पर, गरीबों के हित में सदन में जो बिल आए हैं, उनका तो हम समर्थन करेंगे लेकिन किसी को यह गलतफहमी न रहे कि हमने अपना हक नहीं लेना। मैं आशा करता हूं कि जो पार्टियां हमसे कह रही हैं कि आप इस मामले में हमारा साथ दीजिए, वे हमारा साथ पेपरों को सदन में रखवाने में देंगी, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामकृष्ण यादव।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, बाकी सदन को उनको धन्यवाद देना चाहिए··· (**व्यवधान**) कभी नहीं से देरी भली (**व्यवधान**) डर के कारण वे विधेयक को समर्थन देने को सहमत हो गए हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमने यह कभी नहीं कहा कि हम मतदान नहीं करेंगे। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में और संशोधन लाने के लिए, भूमि सुधार संबंधी जो बिल सदन के सामने लाया गया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से उसका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं। इस देश में सभी पार्टियों की

तरफ से एक नारा दिया गया था कि टिलर ही लैंड का मालिक हो, ओनर हो, लेकिन यहां कुछ सामंतवादी लोगों का प्रभाव होने के कारण, राजे रजवाड़ों का प्रभाव होने के कारण, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव होने के कारण, सारी पार्टियों का वह नारा "टिलर ही लैंड का मालिक हो" फेल हो गया और अमल में नहीं लाया जा सका। आज बड़े-बड़े जमींदारों के पास, राजे-रजवाड़ों के पास, सामंतों के पास, साहूकारों के पास और यहां तक कि बड़े-बड़े नेताओं के पास भी हजारों एकड़ जमीनें हैं। उनकी यह नीयत नहीं है कि जमीन को गरीबों के हाथ में जाने दिया जाए क्योंकि वे जानते हैं कि गरीबों के हाथ में जमीन चली गई, तो देश के पिछड़े, गरीब और भूमिहीन मजदूर जो उनकी जमीनों में काम करते हैं, वे काम करना छोड़ देंगे। इसलिए जमीनें उन लोगों के पास हैं और उनमें काम करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। जिनके पास जमीनें हैं वे खेती में काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते है और सरकार की नीयत नहीं है कि गरीब और पिछड़े लोगों के हाथ में जमीन जाए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने भी ऐसे ही कानून बनाए हैं जिनसे अब तक गरीबों में जमीन का बंटवारा नहीं हो रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आया है, उसकी नीयत बहुत अच्छी नहीं है। इसमें लिखा है कि कुछ अधिनियमों को नवीं सूची में रखा जाएगा। यानी सभी को नवीं सूची में नहीं रखा जा रहा है, कुछ भूमि सुधारों को ही नवीं सूची में रखा जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने जो नारा दिया था, उसको पूरा नहीं कर रही है। बड़े-बड़े राजा लोग यहां बैठे हुए हैं। जनता दल में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। बड़े-बड़े पूंजीवादी बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री राम कृष्ण यादव : मैं फिर कह रहा हूं कि बड़े-बड़े राजा लोग इधर भी हैं और उधर भी हैं। यही कारण है, जब गरीबों को, छोटे किसानों के मतलब की बात होती है, या बिल आता है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लाभ का तो, जो गरीबों का, मजदूरों का पक्ष लेते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार की जो नीयत है वह केवल इस बिल के पास होने से पूरी होने वाली नहीं है बल्कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे सारी जमीनें राजा-रजवाड़ों, सामंतों, बड़े-बड़े साहूकारों, बड़े-बड़े नेताओं और बड़े-बड़े अधिकारियों से ली जा सके और वे जमीनें इस नियम के तहत जो खेती करने वाले लोग हैं, जो जमीन जोतने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग गांवों में रहने वाले हैं, उनको दी जा सकें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई सदन से न जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव : अगर इस देश का अनुसूचित जाति और जनजाति का आदमी खेती में काम न करे, तो एक दाना भी पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे सारी जमीनें वापस ले ली जाएं और जो परती और बंजर जमीनें हैं, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, उसके अनुसार जितनी जमीन जोती जाती है, उससे दोगुनी जमीन अभी तक हल के नीचे नहीं है, ऐसी जमीनों को गरीब किसानों, हरिजनों और गरीबों में बांट दिया जाए। लेकिन नीयत इनकी भी साफ नहीं है। केवल मामूली सुधार लाने से काम चलने वाला नहीं है। अगर नीयत साफ

है, तो ऐसा कानून बनाएं जिससे सारी जमीनें सरकार की हो जाएं और सरकार ही इनको गरीब के हाथों में और मजदूर के हाथ में दें। धनवान, बलवान अपनी शक्ति के बल पर मुकदमा लड़ते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहते हैं और कई वर्ष तक फैसला नहीं होता है। इस बिल को ला कर के और यहां पास कर के थोड़ा सा सुधार अवश्य होगा, लेकिन मौलिक सुधार तब आएगा जब सारी लैंड राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित की जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सुधार होने वाला है। इसलिए यह सुधारवादी कदम तो कहा जा सकता है, लेकिन क्रांतिकारी कदम नहीं कहा जा सकता है। इस सुधारवादी कदम से मौलिक क्रांति नहीं हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानंद (चिक्कोडी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने पूर्णयता यह स्पष्ट कर दिया था कि हम इन दोनों संविधान (संशोधन) विधेयकों का समर्थन करते हैं। हमारे पक्ष से जो सदस्य इस वाद-विवाद में कल बोले थे उन्होंने भी यही कहा कि हम विधेयकों का समर्थन करते हैं। हम में से किसी ने यह नहीं कहा कि हम विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी यह यह सकती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गांधी जी से राजीव गांधी तक जो कांग्रेस ने किया है वह उन्होंने भी किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अच्छे माहौल को खराब न करें।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, यदि ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक अधिकार के सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं पाता। इस समय संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत संवैधानिक प्राधिकारी एक अधिकारी है। संशोधनकारी विधेयक के अनुसार इस एक अधिकारी के स्थान पर इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। इस प्रकार यह एक बहुसदस्यीय प्राधिकरण होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं इस विधेयक में कुछ नहीं पाता, जो इसे अधिक शक्तियां दे। किसी भी रूप में, हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं श्री पासवान को इसका पूरा श्रेय नहीं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन की सहायता करें।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं अवश्य ही यह कहूंगा कि इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कांग्रेस पार्टी और इसके नेतृत्व के प्रति आभारी होना चाहिए। और किसी सरकार ने इन लोगों के लिए इतना अधिक कार्य नहीं किया है, यह इतिहास स्वयं बताता है कि··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : सेन्ट्रल हाल में एक पोर्टरेट तो लगा नहीं सके। नेहरू खानदान की तीन-तीन पोर्टरेट हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में व्यवधान न डालें और सदन की सहायता करें।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं अब भी यह कहता हूं कि इस विधेयक में इस समुदाय के लिए अधिक कुछ नहीं है। यह मेरी चुनौती है। यदि कोई यह कहता है कि इस आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए अधिक अधिकार मिले हैं तो मैं इसको मानने वाला नहीं हूं। प्रधानमन्त्री को यह कहने दें। परन्तु फिर भी, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि इस विधेयक में कोई सार नहीं है तो भी हम इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें यह चाल नही चलने देंगे कि हम इस विधेयक के विरुद्ध हैं।

भूमि सुधारों के बारे में, यह सरकार कोई पहली बार इन विधेयकों को नौवीं अनुसूची में नहीं ला रही है। महोदय, केवल इसी बात से आप यह देख सकते हैं कि यह संख्या 203 से आरम्भ होती है और 257 पर समाप्त होती है। इसका यह तात्पर्य है कि 1951 से लेकर अब तक 202 भूमि सुधार अधिनियम नौवीं अनुसूची में बन चुके हैं। इस सरकार को इनका श्रेय नहीं लेना चाहिए। हमारा यह कहना है कि ये सभी भूमि सुधार पहले से ही संविधान में है। यह सरकार कुछ नया नहीं कर रही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, ये सभी भूमि सुधार पहले से ही संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल हैं और इनकी संख्या 202 है। यह विधेयक 203 से आरम्भ होता है और 257 पर समाप्त होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। परन्तु हमारी शिकायत यह है कि आप इस राष्ट्रीय आयोग को पर्याप्त शक्तियां नहीं दे रहे हैं, जो मेरे मित्र श्री रामधन को एक कैबिनेट मन्त्री के रूप में मिली होतीं। यदि उन्हें मन्त्रिमण्डल में स्थान नहीं मिला तो मुझे इसका खेद है। उन्हें आयोग के अध्यक्ष के रूप में कम से कम पर्याप्त शक्ति दी गई होती। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि शंकरानन्द जी ने मेरे बारे में कुछ कहा है, इसलिए मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि मैं जब इनकी पार्टी का जनरल सैक्रेटरी था तो राज्य सभा में एस० सी०/एस० टी० को टिकट न देने के विरोध में मैंने उसको ठुकरा दिया था। राजीव गांधी जी बैठे हुए हैं। वह इस बात को जानते हैं···· (व्यवधान) ···

उप प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री (श्री देवी लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि सन 1936 में हमने स्पीकर के खिलाफ भी एजिटेशन शुरू की थी। उन दिनों में टैनेंसी मर्जीमाफिकार कानून हुआ करते थे। जब मर्जी होती थी मालिक उनको निकाल देता था। * मेरे रिश्तेदार हैं। हमने अपने रिश्तेदार की जमीन पर भी कब्जा करा दिया था क्योंकि वह मुजारे को निकाल दिया करते थे और एवसंटी लोगों को लाकर बैठा दिया करते थे।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय,···सदन के सदस्य नहीं हैं। उनका नाम सदन की कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, यह कार्यवाही में नहीं जाएगा।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : मुझे बड़ी खुशी है कि स्पीकर की मौजूदगी में यह बिल पेश हो रहा है और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि आज से कोई 25 दिन पहले हमारी नेशनल फ्रन्ट की मीटिंग जब हुई थी उसमें हमारे लीडर साहब ने कहा था कि हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और लैफ्ट और राइट के भरोसे से चल रही है, ऐसे में मैंने उनको जवाब दिया था कि हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं मैजॉरिटी गवर्नमेंट है जिसका सबूत आज के फैसले से मिल रहा है। मैंने उस वक्त यह भी कहा था कि 442 सदस्यों के हाउस में 318 सदस्य गांव वाले हैं और कांग्रेस के 193 सदस्यों में से 80 सदस्य ही केवल गांव वाले हैं। उन्होंने बगावत करके इस बात का सबूत दे दिया है कि वे गरीबों के पक्षधर नहीं हैं। अगर वह अनुसूचित जातियों गरीबों और पिछड़े वर्गों का भला चाहते तो मुखालफत नहीं करते। अपोजीशन की तरफ से बोफोर्स-बोफोर्स का सवाल यहां उठाया गया। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि बोफोर्स की आड़ लेकर आप गरीबों की क्यों दुर्दशा करते हो, यह सवाल तो बाद में भी उठाया जा सकता है। वह आज बोफोर्स की आड़ लेकर गरीबों को पिछड़ा रखना चाहते हैं ताकि उनको कोई मदद न दी जा सके।

इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। हमारे गुमान मल लोढा जी ने जो फैक्ट्स एण्ड फीगर्स दी थीं उसके मुताबिक एक करोड़ 23 लाख 99 हजार मुजारे सारे हिन्दुस्तान में हैं, जिनके खिलाफ स्टे आर्डर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की भी उन्होंने मिसाल दी थी। वहां 1 लाख 32 हजार हैं। बड़े-बड़े मोतबर साहिबान इनकी मर्जी से और इनके पैसे के बल-बूते पर इनकी मदद करते हैं। गरीब बेचारा वहां तक पहुंच नहीं पाता है।

राम विलास पासवान जी ने जो बिल पेश किया है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई कमी नहीं है। इनकी तरफ से जो एतराज आ रहे हैं, वह भी सुन लिए। उन्हें तो एक ही एतराज था कि किसी बहाने से गरीब को यह मदद न मिल सके और आज यह किसी तरह से लम्बी चली जाए, क्योंकि, इन्हें इसका स्वाद मिल गया। ओम प्रकाश के लिए इन्होंने दो दिन तक हाउस नहीं चलने दिया, हमारी कमजोरी थी, हमें सबूत दिखाना था कि हम कमजोर नहीं हैं, हम यह भी दिखा सकते हैं कि इस्तीफा दे देते हैं लेकिन तुम अमेठी से इस्तीफा नहीं दोगे इसलिए फिर से उसी सवाल को उठा रहे हैं कि शायद उसी तरह से गरीब की मदद का कानून पास नहीं हो सके तो मैं समझता हूं कि इनको मुबारकबाद दे दूं, कुछ इनके साथी गांव के रहने वाले, गरीब पिछड़े वर्ग के हैं, उन्होंने आज दबाव डाला इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि बायकाट करके यहां से चले जायें। पहले तो वाक आउट इन्होंने किया लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा जो पिछड़ा इलैक्शन लड़ा गया, उसमें बोफोर्स ही अकेला नहीं था, बोफोर्स की कामयाबी मिलती तो आंध्र में ये न जीतते, बोफोर्स से काम-याबी मिलती तो कर्नाटक में ये न जीतते। यह जीते हैं किसान की समस्या लेकर हरियाणा में हमने एक नक्शा पेश किया था और जिसके मुताबिक .0 हजार रुपए तक के कर्जे माफ हुए, जिसके मुता-बिक हर आदमी को सौ रुपए पेंशन मिली, हर आदमी को आने जाने की सहूलियत का कार्ड मिला और उसका एक असर सारे उत्तरी भारत में पड़ा और गांव की जनता में एक जागृति आई और उस जागृति के बलबूते पर आज हाथ खड़े करते हो, उस हाथ को तोड़ने वाले बैठे हैं, ये उनकी हिमायत करने वाले नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, फैसला आपकी तरफ से ढाई बजे हुआ था और आपने इनको बड़ा मौका दिया है, इन्होंने भी अपने ख्यालात आपके सामने रखे, मैं

समझता हूं इसमें देर की बजाय राय ले लेनी चाहिए ताकि इनका भी पता लगे, कितने हमदर्द हैं।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेहम में लोग मारे गए प्रजातन्त्र की हत्या हुई है।···(व्यवधान)···जहां तक बिल का सवाल है पहले भी हमने जहां जनहित की बात थी वोट दिया है। देवी लाल जी का यह कहना कि हरियाणा में हमने कर्ज माफ किए हैं, मैं हाउस में यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा दिल्ली के नजदीक है, वह चलकर देखें, हरियाणा की हालत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, बैठ जाएं।

श्री भजन लाल : यह बातें देवी लाल जी ने कहीं। इन्होंने हाउस में कहा था कि बोफोर्स के कागजात सदन में पेश करेंगे, कल सैशन खत्म होने जा रहा है, पता नहीं उसमें क्या है कि ये कागजात हाउस के अन्दर क्यों नहीं रखते।

————

3.00 म० प०

संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम संविधान (अड़सठवां) संशोधन विधेयक, 1990 मतदान के लिए लिया जाएगा। विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर श्री गिरधारी लाल भार्गव ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यदि वे इसे वापस नहीं लेना चाहते, तो मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान संशोधन विधेयक है अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं। इससे पूर्व कि मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखूं, मैं सदस्यों की जानकारी के लिए मतदान का तरीका पढ़ना चाहूंगा। मैं प्रत्येक सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने निर्धारित स्थान पर बैठें। प्रत्येक सदस्य से यह निवेदन है कि वह प्रारम्भ से ही ठीक तरह से मतदान करे जैसे 'हां', 'नहीं' या 'मतदान में भाग न लेने के लिए' जैसी भी स्थिति हो, ताकि बाद में इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता?

मैं संक्षेप में पुनः याद दिलाना चाहूंगा हूं कि जैसे ही यह स्वचालित मत अभिलेखन यन्त्र चालू हो या अध्यक्ष पीठ द्वारा 'अब मत विभाजन' की घोषणा की जाए तो एक घंटा बजेगा जो सदस्यों को मतदान करने का संकेत होगा। प्रत्येक सदस्य को एक स्विच को दबाना हैं और उसके बाद अपनी इच्छानुसार तीनों, अर्थात 'हां', 'नहीं' या 'मतदान में भाग न लेने का बटन' दबाना है। दस सेकेण्ड के पश्चात जब तक घण्टा दूसरी बार नहीं बजता, तब तक पुश बटन और पुश स्विच दबाए रखना जरूरी है। सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब मत-विभाजन।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 6 **समय 3.12 म० प०**

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अग्रवाल, श्री जे० पी०

अजित सिंह, श्री

अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०

अन्तुले, श्री ए० आर०

अमात, श्री डी०

अम्बरी, श्री लेहता

अरुणाचलम, श्री एम०

अर्गल, श्री छविराम

अली, श्रीमती सुभाषिनी

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री अनवार

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी

आचार्य, श्री बसुदेव

~~आडवाणी, श्री लाल कृष्ण~~

इन्द्र जीत, श्री

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

उमा भारती, कुमारी

उरांव, श्रीमती सुमति

ओडेयर, श्री चनैया

कटारिया, श्री गुलाब चन्द

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कापसे, प्रो० राम गणेश

काबडे, डा० वेंकटेश

कालवी, श्री कल्याण सिंह

काले, श्री सुखदेव नन्दाजी

कुण्डू, श्री समरेन्द्र

कुमारमंगलम, श्री पी० आर०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कृपाल सिंह, श्री

कृष्ण कुमार, श्री एस०

~~केसरी लाल, श्री~~

कोटड़िया, श्री मनुभाई

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मुखेन्दु
खां, हाजी जी० एम०
खान, श्री आरिफ मोहम्मद
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गंगवार, श्री एस०
गजपति, श्री गोपीनाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गमित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री क्षेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जगपाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शशिभाई
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोम, डा० राम चन्द्र
ढाकणे, श्री बबन राव
तम्बि दुरै, डा०
तस्लीमुद्दीन, श्री

तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
तोपदार, श्री तरित बरण
त्यागी, श्री के० सी०
थामस, प्रो० के० वी०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री भक्त चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लव
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री राम
नायक, श्री नकुल
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
नीतीश कुमार, श्री

नेगी, श्री सी० एम०
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुखदेव
पुरोहित, श्री बनवारीलाल

पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नाण्डीज, श्री जार्ज
फर्नाण्डीज, श्री जॉस
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बागा रेड्डी, श्री एम०
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव
बाला, डा० असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर
बेग, श्री आरिफ
बेगा राम, श्री
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बोपचे, डा० खुशाल परसराम

ब्रह्म दत्त, श्री
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित
महावीर प्रसाद, श्री
महाले, श्री हरि शंकर
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल

मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नंदलाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुंधिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मुलतान सिंह, चौधरी
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मोहम्मद शफी, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राकेश, श्री आर० एन०
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राथवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम प्रकाश चौ०
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामकृष्ण, श्री वाई०
राममूर्ति, श्री के०
रामेश्वर प्रसाद, श्री
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री के० राम मोहन
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री राजमोहन
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्रीमती उषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचंद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०
वेकारिया, श्री एस० एन०

शंकरानंद, श्री बी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविंदभाई कानजीभाई
शेजवलकर, श्री एम० जी०
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
साठे, श्री वसंत
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नंद कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा

सिंह, प्रो० एन० तोम्बी	सुमन, श्री रामजी लाल
सिंह, श्री ललित विजय	सुम्बरुई श्री बागुन
सिंह, श्री जगन्नाथ	सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सिंह, श्री तेज नारायण	सूबेदार, श्री
सिंह, श्री धनराज	सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र	सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सिंह, श्री मानधाता	सेल्वारासु, श्री एम०
सिंह, श्री राधा मोहन	सैनी, श्री गुरदयाल सिंह
सिंह, श्री रामदास	सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद	सोढ़ी, श्री मानकूराम
सिंह, श्री लोकेन्द्र	सोनकर, श्री कल्पनाथ
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप	सोरेन, श्री शिबू
सिंह, श्री विश्वेन्द्र	सोलंकी, श्री सूरजभानु
सिंह, श्री सुखेन्द्र	हसदा, श्री मतिलाल
सिंह, श्री सूर्य नारायण	हन्नान मोल्लाह, श्री
सिंह, श्री हर गोविंद	हरीश पाल, श्री
सिंह, श्री हरि किशोर	हर्षवर्धन, श्री
सिंह देव, श्री ए० एन०	हांडू, श्री प्यारे लाल
सिदनाल, श्री एस० बी०	हीरा भाई, श्री
सिलवेरा, डा० सी०	हेत राम, श्री
सुंदरराज, श्री एन०	होटा, श्री भवानी शंकर

उपाध्यक्ष महोदय : * शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 360

विपक्ष में : कोई नहीं

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया : श्री यमुना प्रसाद शास्त्री, श्री यूसुफ बेग, श्री प्रताप सिंह, श्री भवानी शंकर होटा, श्री कालका दास, श्री गुमान मल लोढा, श्री भू० विजयकुमार राजू, श्री दसई चौधरी, श्री मंजय लाल, श्री कपिल देव शास्त्री, श्री राम बहादुर सिंह, श्री रमेश बैस, श्री बलवन्त मणवर, श्री राम नरेश सिंह, श्री अर्जुनभाई पटेल, श्री गोपाल पचेरवाल, श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता, डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, श्री प्रेम प्रदीप, श्री रामेश्वर पाटीदार, श्री रेशमलाल जांगड़े, कुमारी मायावती, श्री सी० श्रीनिवासन, श्री पाल आर० मन्टोष, बाबा सुच्चा सिंह, श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख, श्री मनोरंजन सुर, श्रीमती निर्मल कौर, श्री शंकर मुंजारे, डा० चिन्ता मोहन, श्री इरा अन्बारासु, श्री राजा अम्बान्ना नायक डोरे, श्री एस० बेंजामिन, श्री बासव पुन्नय्या सिंगम, श्री बोजा वेंकट रेड्डी और श्री ए० वेंकट रेड्डी ।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा संशोधनकारी विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

खंड-2 अनुच्छेद 338 में संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों ने कुछेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं उनके नाम लूंगा तथा मैं जानना चाहूंगा कि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री औस फर्नाण्डीज क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री ऑस फर्नाण्डीज (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाल आर० मन्टोष, उपस्थित नहीं हैं।

श्री अनादि चरण दास, क्या आप अपने संशोधन सं० 25 तथा 26 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस जी, क्या आप अपना संशोधन सं० 27 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादि चरण दास, क्या आप संशोधन सं० 28 तथा 29 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अनादि चरण दास : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : रामधन जी, आपने संशोधन सं० 30, 31, 32 तथा 33 का सुझाव दिया है। संशोधन सं० 30, 32 तथा 33 अन्य सदस्यों ने भी प्रस्तुत किए हैं। अतः वे एक से ही संशोधन हैं। इसलिए आपको उन्हें प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलेगा। आप केवल संशोधन सं० 31 प्रस्तुत कर सकते हैं। यह बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"तीन" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"सदस्यों को" के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

", लोक सभा के सदस्यों में से, लोक सभा के सदस्यों द्वारा उन्हें विधिवत् निर्वाचित किए जाने के पश्चात्,"। (3)

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं प्रस्ताव कर रहा हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 17,—

"अध्यक्ष" के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से होगा।" (12)

पृष्ठ 1, पंक्ति 17,—

"एक उपाध्यक्ष" का लोप किया जाए। (13)

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,—

"उपाध्यक्ष" का लोप किया जाए। (14)

पृष्ठ 1, पंक्ति 9,—

"उपाध्यक्ष" का लोप किया जाए। (15)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"सदस्यों को" के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"पांच वर्ष की अवधि के लिए" (16)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 15 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(खख) यह सुनिश्चित करना कि निचले न्यायालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा भरा जाए," (17)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 23, के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(घघ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक कल्याण के मार्ग में आ रही सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश देना और अनुपालन न करने वाले राज्यों के विरुद्ध भी कार्यवाही करना,"

(18)

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 17,—

"तीन" शब्द के स्थान पर "पांच" शब्द रखें। (20)

पृष्ठ 2, पंक्ति 15,—

"परीक्षा करना" शब्दों के स्थान पर "जांच करना" रखें। (21)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 15 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें।—

"(खख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना,"

(22)

पृष्ठ 2.—

पंक्ति 37 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें—

"(8) खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अंवेषण या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां, जो वाद के विचारण में उसे हैं, तथा विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सभी शक्तियां होंगी, अर्थात :—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीति के विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।" (23)

पृष्ठ 2, पंक्ति 38,—

"(8)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(10)" कोष्ठक और अंक रखें। (24)

श्री राम धन (लालगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 17.—

"तीन" के स्थान पर "छह" प्रतिस्थापित किया जाए। (31)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : इस विधेयक द्वारा कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं लाया गया है सिवाय इसके कि विशेष अधिकारी का दायित्व एक राष्ट्रीय आयोग को दे दिया गया है। हमने हमेशा इस विधेयक को "राम धन विधेयक" कहा गया है तथा हम इसे इसी नाम पुकारते रहेंगे। हमें

इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम यह देखकर प्रसन्न है कि उसे कुछ संवैधानिक दर्जा दिया गया है। परन्तु हमें यह देखकर अत्यन्त दुःख होता है कि सभापति तथा उप-सभापति के अतिरिक्त केवल तीन सदस्य हैं।

जहां तक आयोग का सम्बन्ध है, हम महसूस करते हैं कि उसमें और सदस्य होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार भी यही महसूस करती है। सरकार ने भी आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है। तीन के स्थान पर उन्होंने सात सदस्यों का सुझाव दिया है हमने दस का सुझाव दिया है। कार्य इतना अधिक है कि दस सदस्य का सुझाव पूरी तरह उचित है तथा इसकी आवश्यकता भी है।

इस विधेयक से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है सिवाय यह सुनिश्चित करने के कि एक अधिकारी के स्थार पर हमारे पास इस कार्य के लिए एक टीम, आयोग, ग्रुप, एक समिति उपलब्ध हो जाएगी। तथा इसमें केवल तीन सदस्य ही क्यों होने चाहिए? उसमें तीन अथवा सात सदस्य क्यों होने चाहिए? उसके लिए मनमानी संख्या वहां पर क्यों निर्धारित की जाती है? उसमें दस सदस्य क्यों नहीं होने चाहिए जिससे कि हम और बड़े स्तर पर छानबीन तथा कार्य कर सकें।

दूसरी बात यह है कि उसी खंड में पंक्ति 22 में यह कहा गया है :—

> "राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।"

हम समझते हैं कि यदि आयोग के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएं तो यह अधिक लोकतांत्रिक होगा तथा यह नहीं होना चाहिए कि वे अपने शासकीय अधिकारों का प्रयोग करके अपने व्यक्तियों को उस आयोग में ले आयें जिसमें कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं होगा जब तक कि वह एक ऐसा व्यक्ति ही जिसको हम सभी चाहते हों अर्थात श्री रामधन तथा उनका विधेयक। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यह संशोधन किया जाए तथा सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए विचार करे कि मूलतः इस विधेयक के संबंध में हमारा सिद्धान्ततः कोई मतभेद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : मैं समझता हूं कि जो भी यह कानून बनाया जा रहा है उसमें और मेरे अमेंडमेंट में कोई खास फर्क नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बात कही गयी है, उनके लिए मैं कहता हूं कि ज्यादा पावर्स दी जानी चाहिए। इसमें मेम्बर भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के होने चाहिए क्योंकि दूसरे लोग उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि इस अमेंडमेंट को मान लेना चाहिए। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इसमें शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही इसमें मेंबर बनाएं और उनको ज्यादा अख्तियारात दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामधन अपने संशोधन पर बोल सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : जिन माननीय सदस्य ने संशोधन दिया था, अपनी बात कह दी है। मन्त्री जी को उत्तर देना है। वह मन्त्री नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने संशोधन पर बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री शंकरानन्द बोल रहे थे तभी मैंने कहा था कि मैं अमेंडमेंट पर बोल रहा हूं, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं। ये पहले यही काम किया करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा बैठ जाइए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए। इस तरह से डिस्कशन बढ़ जाता है।

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आपको पूरी तरह ने सहयोग मिले। लेकिन ये सहयोग नहीं दे रहे हैं नाटक कर रहे हैं।

जो मेरा संशोधन है वह इसलिए जरूरी है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पूरा रिप्रेजेन्टेशन इस कमीशन में होना चाहिए। पहले भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संसद सदस्यों की ओर से यह डिमांड होती थी कि उनका अलग कमीशन बनाया जाए। इसलिए मैंने कहा कि अगर इसमें पांच सदस्य होंगे तो इसके नाते उनको कम रिप्रेजेन्टेशन मिल सकता है। जैसी उनकी आबादी है, और जो उनकी शंका है उसको दूर करने के लिए बराबर-बराबर का रिप्रेजेन्टेशन उनको आयोग में मिले ताकि उनको किसी प्रकार की शंका न रहे। जनजाति के सदस्य श्री महाले जी ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कही थी, इसलिए मैंने यह बात कही।

मन्त्री महोदय से अपील किया था। आपने हमारे तीनों संशोधनों को मान लिया, इसलिए इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह होती है कि मानने के बाद वे पीछे चले जाते हैं, इसलिए मुझे दुःख होता है। इसलिए जरूरी है कि तीन की जगह छः पर मेम्बरान उसके हों और एक चेयरमैन। विधेयक में इन लोगों ने वायस-चेयरमैन की बात कही है, लेकिन न तो यू० पी० एस० सी० में और न किसी दूसरी संस्था में कोई वाइस-चेयरमैन की बात कही गई है··· (व्यवधान)····आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी राय जाहिर करें, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, उसको आप सुनिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि··· (व्यवधान) ···मैंने कल कहा था कि कमीशन को मिनिस्ट्री आफ वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट बना दीजिए। पहले इस कमीशन को एक ज्वाइन्ट सैक्रेटरी चलाता रहा है। कांग्रेस की सरकार ने एक ज्वाइन्ट सैक्रेटरी को इस तरह से चलाने की बात कही है। मैंने कल कहा था और मैं समझता था कि यह बात साफ हो जाती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी चीज न हो, जिसकी वजह से कमीशन के स्मूथ फंक्शनिंग में कोई बाधा आए और वहां पर कोई पोलिटिक्स हो। यह सुझाव तो श्री भोला पासवान शास्त्री के जमाने में दिया गया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में करिए।

[हिन्दी]

श्री राम धन : ठीक है, मुझे कहने दीजिए। कल मैंने बताया था कि आयोग के चेयरमैन का

सुझाव श्री भोला पासवान शास्त्री ने दिया था और उस सुझाव को मान कर सरकार को चलना चाहिए। इसके सदस्य तीन के स्थान पर छः होने चाहिए और एक चेयरमैन। वाइस चेयरमैन की बात न हो, यही मैं चाहता हूं। सरकार इस सुझाव को भी मान ले।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, श्री कुमारमंगलम साहब ने जो संशोधन पेश किया है, उसमें कहा गया है कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए और तीन के स्थान पर दस किया जाए। आप जैसा कि जानती हैं कि संख्या बढ़ाकर तीन से पांच कर दी गई है। संख्या दस क्या, इतने बड़े विशाल देश में सौ भी कर दें तो कम पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कमीशन को इफैक्टिव करना और इफैक्टफुली काम करना, इसलिए मैं समझता हूं कि पांच सदस्य, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमेन सफिशिएंट है, उस काम को देखने के लिए। हमने संख्या पहले ही बढ़ा कर तीन से पांच कर दी है और पांच से ज्यादा सम्भव नहीं है।

दूसरी बात इन्होंने कही है कि कमीशन के सदस्य लोक सभा के सदस्य हों। मैं नहीं समझता हूं कि लोक सभा के सदस्य हों सभी पक्षों के सदस्य यहां बैठे हुए हैं, कमीशन के जो भी सदस्य हों, चेयरमैन हो, वे डेडिकेटेड होने चाहिए। जो पूरा समय देकर कमीशन का काम कर सकें और देख सकें। सदस्य लोक सभा के हों, इसमें कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार इस संशोधन को नहीं मानती है।

श्री वसंत साठे : क्या लोकसभा के सदस्य डेडिकेटेड नहीं हुए ?.... (व्यवधान) ...

श्री राम विलास पासवान : साठे साहब, लोक सभा सदस्य भी हो सकते हैं, लोक सभा के सदस्य भी हैं। इसलिए लोक सभा के सदस्य ही हों, ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस देश में ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित काम करने वाले लोग हैं, जो लोक सभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए हम समाज के सबसे डेडिकेटेड लोग हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वे डेडिकेटेड हैं, सामाजिक काम करने में उनको दिलचस्पी है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है।

श्री सुल्तानपुरी जी ने और श्री राम धन जी ने इस बात को दबाव डाल कर कहा है कि वाइस चेयरमैन नहीं रहना चाहिए। असल में उपाध्यक्ष जी, यह जो सब बात कही गयी है, हम कहना चाहते हैं कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है। अनुसूचित जातियों की समस्याएं अलग हैं और जनजातियों की समस्याएं अलग हैं। हम किसी भी रूप में दोनों को कम महत्व नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान) इसीलिए मैंने यह कहा है कि एक बार इस आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जाति का होगा और उसका उपाध्यक्ष जनजाति का होगा। दूसरी टर्म में जनजाति का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति का होगा। इसमें कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इसका ठीक ढंग से काम चलेगा और ये एक दूसरे के पूरक रहेंगे, कहीं विरोधाभास नहीं रहेगा। (व्यवधान) इसलिए जहां तक इस संशोधन का मामला है वह मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

सुल्तानपुरी जी ने कहा कि जो चेयरमेन या चेयरपरसन हो वहां पांच साल के लिए हो। हमने इसमें कोई समय सीमा नहीं रखी है। रूल्स जब बनाए जाएंगे तो देखा जाएगा कि तीन साल का समय अच्छा है या पांच साल का समय अच्छा है। जो भी समय सीमा अच्छी होगी वह रखी जाएगी। तीन साल या पांच साल कोई बहुत बड़े महत्व की बात नहीं है। इसलिए इसमें कोई संशोधन का मामला नहीं है।

जब शंकरानंद जी बोल रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वे ओरिजिनल बिल पढ़ रहे थे। जो हमने संशोधन पेश किया है और जो सारे सदस्यों को वितरित किया गया है उसमें अगर वे देखेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी।

उसके बाद में जो संशोधन नं० 18 है उसमें उन्होंने एक जगह पर स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में कहा है। उस विषय में हमारा जो संशोधन है उसमें आटोमेटिकली यह मामला सम्मिलित है।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : इसमें कितने सदस्य होने चाहिएं ?

श्री राम विलास पासवान : आप क्लाज 5 पढ़िए। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जो कमीशन का निर्माण हुआ है, इसमें और पुराने कमीशन में कोई अन्तर नहीं है। अगर यह पुराना कमीशन ही होता तो इसके लिए पार्लियामेंट में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वह पुराना कमीशन होता तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

जहां तक पावर की बात है, आप बतलाइए कि इसमें क्या पावर नहीं है ? आप गलत कहते हैं कि इसमें पावर नहीं है। अगर इसमें कोई पावर नहीं दी गयी है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। हमने इसमें प्रेजीडेंट को कहा है कि जो पावर इसमें छोड़ दी गयी हैं और जो पावर वे चाहेंगे तो प्रेजीडेंट को अधिकार रहेगा कि वह पावर उसको मिल जाएं।

राज्य सरकारों की या केन्द्रीय सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में परामर्श करने का, इन्वेस्टीगेट करने का, उनको एग्जामिन करने का सारा का सारा अधिकार दिया गया है। इन सारी चीजों से लेस करके, पूरे दांत दे करके इस कमीशन को बनाने का काम किया गया है। इसकी तुलना आप कमेटी या कमिश्नर से नहीं कर सकते। अगर इसके बारे में किसी साथी को कोई आशंका हो तो निश्चित रूप से बताएं। जो सुझाव इसको मजबूत करने के लिए आयेंगे उन पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान) जो सरकार के द्वारा मूव किया गया है, सरकार के मंत्री की हैसीयत से जो मैंने अमेंडमेंट मूव किया है, उन सारे के सारे संशोधनों को मैं स्वीकार करता हूं और माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापिस ले लें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकार की तरफ से लाए गए संशोधनों को पहले सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि माननीय मंत्री श्री राम विलास पासवान द्वारा रखे गए संशोधन सं० 20, 21, 22, 23 और 24..."

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, हम जानना चाहेंगे कि ये संशोधन क्या हैं। ये संशोधन एक ही विषय पर हैं। एक संशोधन कहता है पांच, एक संशोधन दस कहता है। इसलिए, कृपया हमें समझाइए कि अगर सरकार के संशोधन मतदान के लिए रखे गए और यह मानते हुए कि यह पारित हो जाता है, तो क्या इन संशोधनों को उसके बाद मतदान के लिए रखा जाएगा। हम यह जानना चाहते हैं। कृपया हमें प्रक्रिया से अवगत करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, शायद आप मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं और प्रक्रिया

नहीं समझना चाहते। प्रक्रिया यह है कि अगर सरकार द्वारा लाए गए संशोधन अन्य सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधनों के समरूप हों, तो इन संशोधनों को स्वीकृत माना जाता है। उन्हें दुबारा मतदान के लिए नहीं रखा जाता। यह आवश्यक नहीं है। किन्तु मान लीजिए कि माननीय सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधन मंत्री द्वारा लाए गए संशोधनों से भिन्न हैं, तो उन्हें मतदान के लिए रखा जाता है। प्रक्रिया यह है कि पहले, हम मंत्री द्वारा रखे गए संशोधन को मतदान के लिए रखते हैं और फिर अन्य सदस्यों द्वारा रखे गए संशोधनों पर आते हैं और उन्हें मतदान के लिए रखते हैं, यदि वे समरूप न हुए तो।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, आप कृपया हमें बताएं कि वे समरूप हैं अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया इतने विस्तार से न पूछें। मैं पहले उन संशोधनों को सदन के मतदान के लिए रख रहा हूं जो सरकार द्वारा रखे गए हैं। वे संशोधन जो समरूप नहीं है, वे अलग से सदन के मतदान के लिए रखे जायेंगे। आप प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, कृपया हमें यह भी बतायें कि हमारे संशोधन सरकार के संशोधनों के समरूप हैं अथवा नहीं। अन्यथा, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे मतदान करेंगे। मतदान करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सरकार के संशोधन और हमारे संशोधन समरूप है अथवा नहीं। आप हमें बताते क्यों नहीं ? अन्यथा, हम मतदान कैसे करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, छोटी-छोटी बातों पर हमें सदन का समय नहीं लेना चाहिए। आप सदन के बहुत जानकार सदस्य हैं और बहुत परिश्रमी सदस्य भी हैं। सारे संशोधनों को सदस्यों में बांटा गया है। शायद वे आप तक पहुंच गए होंगे और आपने उनका अध्ययन कर लिया होगा। इसलिए पीठासीन अधिकारी के लिए यहां से आपको यह समझाना जरूरी नहीं है कि ये संशोधन क्या हैं।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, आप कृपया बतायें कि मतदान की प्रक्रिया कैसे होगी.... **(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : महोदय, संशोधन, तत्वरूप में एक समान हो सकते हैं, पर विस्तार से देखने पर एक अन्तर है। सरकार का संशोधन पांच की मांग करता है और दूसरे जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन रखे हैं, वे दस के लिए कह रहे हैं। इसलिए, वे तत्वतः एकसमान हो सकते हैं, पर वैसे उनमें एक अन्तर है, हम पांच नहीं चाहेंगे, हम दस चाहेंगे, अतः वे समरूप नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, 'समरूप' एक लचीला शब्द है। सरकार के संशोधन और हमारे संशोधन में एक संख्या रूपी अन्तर है। वे पांच के लिए कह रहे हैं जबकि हम दस के लिए कह रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि ये समरूप हैं, तो उससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं प्रक्रिया संबंधी प्रश्न उठा रहा हूं। प्रधानमन्त्री द्वारा रखा हुआ संशोधन नं० 20, तीन की बजाय पांच के लिए कहता है जबकि मेरा संशोधन जो पहला है—3 की बजाय 10 के लिए कहता है। मैं अनुरोध करता हूं कि संशोधन संख्या 20 अलग से रखा जाए ताकि हम इस पर स्पष्ट रूप से मतदान कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हम वही कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि सदस्यगण प्रक्रिया से

भली-भांति परिचित है। अगर सरकार द्वारा रखे गए संशोधनों और सदस्यों द्वारा रखे गए संशोधनों में थोड़ा सा भी अन्तर है तो उन्हें सदन के मतदान के लिए अलग से रखा जाएगा। जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, हम सदन में काफी समय से हैं। हम संविधान जानते हैं, हम नियम जानते हैं और हम परम्परा से भी परिचित हैं।

अब प्रक्रिया के अनुसार खंडवार विचार और विभाजन के द्वारा मतदान से पारित किया जाएगा। अब संशोधनों के मामले में विभाजन के द्वारा मतदान जरूरी नहीं है, यह सिर्फ ध्वनि मत से किया जाता है। यह एक बहुत छोटा मामला है और इस पर हमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। अब, मैं सरकार के द्वारा रखे गए संशोधनों अर्थात संशोधन संख्या 20, 21, 22, 23 तथा 24 को एक साथ सदन के मत के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, आप इन संशोधन को एक साथ नहीं रख सकते। हम चाहते हैं कि संशोधन 20 को अलग से सभा के मतदान के लिए रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, आपका संशोधन सभा के मतदान के लिए अलग से रखा जाएगा।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आप हमारी समस्या को समझें। अगर आप संशोधन को एक साथ सभा के मतदान के लिए रख दें, तो हमारे संशोधनों का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अगर आप सभी 6 संशोधनों को एक साथ रखते हैं, तो मैं अपने संशोधन को अलग से पहचान नहीं पाऊंगा। मैं संशोधन संख्या 20 को पहचानना चाहूंगा, जिन्हें अलग से मतदान के लिए रखना होगा। अगर आप उन्हें एक साथ मतदान के लिए रखते हैं। तो मैं भेद कैसे कर पाऊंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब, आपने कहा है कि उन्हें अलग से मतदान के लिए रखना चाहिए क्योंकि वे आपके संशोधनों से भिन्न हैं। आपके संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखा जा रहा है और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा रखे गए प्रत्येक संशोधन को अलग से सभा के मतदान के लिए रखें, तो मैं वह कर सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा ही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : सिद्धांततः वे भी मान गए हैं। इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि इसे कुछ और व्यापक आधार पर किया जाए, उन्हें अलग-अलग सभा के मतदान के लिए रखा जा सकता है।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : मैं सोचता हूं कि अगर आप सरकार के चारों संशोधनों को अलग से रखें तो यह समस्या सुलझ जाएगी। मेरे ख्याल से इससे सभा संतुष्ट होगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा प्रकट की गई इच्छा का सम्मान करते हुए मैं सरकार के संशोधनों को अलग से सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं। मैं सोचता हूं कि इस पर कोई मुश्किल नहीं होगी। अब, हम उद्देश्य पर ज्यादा महत्व देंगे और प्रक्रिया को इतना महत्व नहीं देंगे। प्रक्रिया को उद्देश्य का सहयोग करना है। अब, मैं संशोधन संख्या 20 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री बसंत साठे : महोदय, हम मत-विभाजन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं पहले से ही खाली हैं। अगर आप सहमत हैं, तो मैं इस पर मत विभाजन कराऊंगा।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 17,—

"तीन" के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाए। 20

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

'पक्ष में'

मत-विभाजन संख्या 7 समय 3.43 म० प०

अजित सिंह, श्री

अमात, श्री डी०

अर्गल, श्री छविराम

अली, श्रीमती सुभाषिनी

अहमद, श्री अनवार

अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

इन्द्र जीत, श्री

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

उमा भारती, कुमारी

कटारिया, श्री गुलाब चन्द

कापसे, प्रो० राम गणेश

कावडे, डा० वेंकटेश

कालका दास, श्री

कालवी, श्री कल्याण सिंह

काले, श्री मूलदेव नन्द्राजी

कुन्डु, श्री समरेन्द्र

कृपाल सिंह, श्री

केशरी लाल, श्री

कोटड़िया, श्री मनुभाई

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम

खंडेलवाल, श्री प्यारे लाल

खटीक, श्री शंकर लाल

खां, श्री सुखेन्दु

खां, हाजी जी० एम०

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गांधी, श्रीमती मेनका

गिरि, श्री सुधीर

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्द्र शेखर, श्री

चांद राम, श्री
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सौमाभाई
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
*जगपाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जसवन्त सिंह, श्री
जाटव, श्री थान सिंह
जायनल अबेदिन, श्री
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
झा, श्री भोगेन्द्र
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोम, डा० राम चन्द्र
ढाकणे, श्री बबन राव
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारवाला, श्री अमृतलाल वेलजिभवास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
त्यागी, श्री के० सी०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री भक्त चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लब
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री चन्दूभाई
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नाईक, श्री राम
नायक, श्री नकुल
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पंचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री बाबूभाई अम्बाभाई

* गलती से पक्ष में मतदान किया ।

पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री बाबूराव
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री बासवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
फर्नाण्डीज, श्री जार्ज
फर्नाण्डीज, श्री ऑस
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव

बाला, डा० असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर
*बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मणवर, श्री बलवन्त
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल, हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महाले, श्री हरि शंकर
मायावती, कुमारी

* गलती से पक्ष में मतदान किया .

मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नंदलाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुलतान सिंह, चौधरी
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री

रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री यू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राथवा, श्री एन० जे०
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमण्णा
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
रावत, प्रो० रासा सिंह
बघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री बर्मेश्व प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचंद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण

विश्वनाथम, डा०
बेकारिया, श्री एम० एम०
शकीलुर्रहमान, डा०
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई
शाह, श्री मनुभाई मेघजी
शिवनकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविंदभाई कानजीभाई
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नंद कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री विश्वेन्द्र
सिंह, श्री सुखेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री ए० एन०
सुमन, श्री रामजी लाल
सूबेदार, श्री
सेल्वारासु, श्री एम०
सैनी, श्री गुरदयाल सिंह
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरेन, श्री शिबू
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरीश पाल, श्री
हर्षवर्धन, श्री
हीरा भाई, श्री
हेत राम, श्री
होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जे० पी०
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री अनवार
उरांव, श्रीमती सुमति
ओडेयर, श्री चनैया
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
खां, श्री जुल्फिकार अली
गजपति, श्री गोपीनाथ
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री छीतुभाई देवजीभाई
गुप्त, श्री जनकराज
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्री कमल
जयमोहन, श्री ए०
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शांतिभाई
जीवरत्नम, श्री आर०,
झिकराम, श्री मोहनलाल
डेनिस, श्री एन०
तम्बि दुरै, डा०
थामस, प्रो० के० वी०
दिनेश सिंह, श्री
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देशमुख, श्री अनन्तराव
नारायणन, श्री के० आर०.
नारायणन, श्री पी० जी०
पांजा, श्री अजीत
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे,
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरुमान, डा० पी० वल्लल
पेंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रसाद, श्री आर० एस०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बलरामन, श्री एल०
बागा रेड्डी, श्री एम०
बूटा सिंह, श्री
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भोंसले, श्री प्रतापराव बाबूराव

मरबनआंग, श्री पीटर जी०
महाजन, श्री वाई० एस०
महाबीर प्रसाद, श्री
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर
याजदानी, डा० गुलाम
रंगा, प्रो० एन० जी०
राकेश, श्री आर० एन०
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राठौड़, श्री उत्तम
राम प्रकाश चौ०
राममूर्ति, श्री के०
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
शंकरानंद, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शिंगडा, श्री डी० बी०
श्रीनिवास, श्री सी०
साठे, श्री वसंत
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंधिया, श्रीं माधवराव
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुम्बरई श्री बागुन
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हांडु, श्री प्यारे लाल

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	255
विपक्ष में	:	101

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया।

पक्ष में :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, श्रीमती उषा सिंह, श्री बेगा राय, श्री हर गोविन्द सिंह, श्री हरि केवल प्रसाद, श्री युसुफ बेग, श्री सन्तोष भारतीय, श्री एन० जे० राथवा, श्री गुमान मल लोढा, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राम सिंह, श्री मंजय लाल, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री राम नरेश सिंह, श्री अर्जुनभाई पटेल, श्री के० राम मोहन राव, श्री निर्मल कांति चटर्जी, डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, श्री प्रेम प्रदीप, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री ए० विजयराघवन, श्री दाऊ दयाल जोशी, श्री तरित बरण तोपदार, श्री नानी भट्टाचार्य, श्री चित्त बसु, श्री मोहम्मद शफी, बाबा सुच्चा सिंह, श्री सुधाम दत्तात्रेय देशमुख, श्री मनोरंजन सुर, श्रीमती बिमल कौर खालसा, श्री कंकर मुंजारे, श्री जगदीश सिंह कुशवाहा और श्री जय प्रकाश।

विपक्ष में :

श्रीमती ऊषा वर्मा, श्री जगपाल सिंह, प्रो० पी० जे० कुरियन, श्री जे० चोक्का राव, श्री येलैय्या नन्दी, श्री एस० बेंजामिन, श्री ए० वेंकट रेड्डी और श्री एस० गंगाधन,

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह शर्म की बात है कि यह सरकार स्वयं अपने बल पर एक सामान्य बहुमत भी नहीं जुटा सकती ? हर बार जब संविधान (संशोधन) विधेयक आते हैं, यह एक सामान्य बहुमत भी नहीं जुटा पाती। उनके पास बोलने के लिए कोई नैतिक शक्ति नहीं है। (व्यवधान) आप किस बारे में बात कर रहे हैं ? आपके पास संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करने का क्या अधिकार है ? (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : उसमें कई संशोधन सामने आ रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, उनका तो सामान्य बहुमत भी नहीं है। श्री राम विलास पासवान ने सुबह हमें बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे हमारे समर्थन के बिना भी विधेयक पास कर सकते हैं। उन्हें अब क्षमा मांगनी चाहिए। वे इसे केवल हमारे समर्थन से पारित कर रहे हैं। उन्हें उठकर क्षमा मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : किसी संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मन्त्री महोदय को अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० आर कुमारमंगलम : आपको हमारे विरुद्ध पहले की गई टिप्पणी वापिस लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम इस विधेयक को पारित करवाना चाहते हैं। इसलिए, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। अब यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे समर्थन के बिना वे यह विधेयक पारित नहीं कर सकते हैं। यही महत्वपूर्ण बात है।

इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता, माननीय मन्त्री, श्री राम विलास पासवान ने आज सुबह, कहा कि कांग्रेसी सदस्य आप बाहर चले जाएं ? हम इसे कांग्रेस के लोगों के बिना ही पारित कर लेंगे। (व्यवधान) अब यह सिद्ध हो गया है कि केवल हमारे समर्थन से ही यह विधेयक पारित किया जा रहा है। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। (व्यवधान) हम सहयोग दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम इन्हें अन्य संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में भी आगे सहयोग दें। उन्होंने जो कहा है उसके लिए वे क्षमा मांगें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात समझा दी है। इससे आगे बढ़ना आवश्यक नहीं है।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, कृपया श्री राम विलास पासवान द्वारा प्रस्तुत किए संशोधन संख्या 20 के खंड 2 पर किए गए मतदान का सही परिणाम घोषित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी घोषणा करूंगा। आप चिन्ता न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं यह कर दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री के अनुरोध पर, मैं यह घोषणा करता हूं :

पक्ष में : * 287

विपक्ष में : * 107

संशोधन संख्या 20, स्वीकृत हुआ क्योंकि इसे साधारण बहुमत से पारित करना होता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं। यदि आप सदन में अपने बहुमत की परीक्षा करना चाहते हैं, तो आप अगली बार ऐसा कर सकते हैं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 15—

"परीक्षा करना" शब्दों के स्थान पर "जांच करना" प्रतिस्थापित करें। (21)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 22 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2—

पंक्ति 15 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें—

"(ग्) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना," (22)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 37 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें—

"(8) खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अंवेषण या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां, जो वाद के विचारण में उसे हैं, तथा विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सभी शक्तियां होंगी, अर्थात—

* यथासंशोधित—पक्ष में 286, विपक्ष में 109।

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीति के विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।" (23)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 24 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 38,—

"(8)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(10)" कोष्ठक और अंक रखें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अन्य संशोधन भी हैं।

श्री कुमारमंगलम, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं इन संशोधनों के लिए जोर नहीं डालना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री पी० आर० कुमारमंगलम को अपने संशोधन संख्या 2 और 3 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 2 और 3 सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० डी० सुल्तानपुरी, क्या आप अपने संशोधन संख्या 12 से 18 वापस ले रहे हैं ?

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री के० डी० सुल्तानपुरी को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति दें ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 12 से 18, सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामधन जी आपने संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को अपने स्थानों पर खड़े होने की अनुमति नहीं दूंगा और दूसरे सदस्यों को सदन छोड़कर जाने के लिए नहीं कहूंगा। यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है और मुझे आशा है कि आप इसका ध्यान रखेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया ऐसे मत कीजिए और बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है और उन्होंने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, उन्होंने अपनी बात कह दी है और आपने अपनी बात कह दी है। यह इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है कि कोई सदस्य खड़े होकर दूसरे सदस्य को सदन छोड़कर जाने को कहे। और कृपया, भगवान के लिए, ऐसे मत कीजिए। और जो माहौल यहां बना हुआ है, उसे बना रहने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामधन जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामधन (लालगंज) : मैं अमेंडमेंट के बारे में मन्त्री जी का जवाब सुनना चाहता हूं, मेरे अमेंडमेंट के सम्बन्ध में इनके क्या विचार हैं, इनका जवाब क्या है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रामधन : लेकिन मेरी अमेंडमेंट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

मैं चाहता हूं मन्त्री जी मेरी अमेंडमेंट को मान लें, मैं इनसे अपील कर रहा हूं क्योंकि वह बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी अमेंडमेंट वापस लेने के लिए तैयार हैं।

श्री रामधन : मैं अपने संशोधित पर आग्रह करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रत्येक सदस्य को अपनी अन्तात्मा के अनुसार सदन में कार्य करने का अधिकार है और आप सदन में सदस्यों के अधिकारों के रक्षक हैं। माननीय सदस्य श्री रामधन ने स्पष्ट कहा है कि "मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।" यह देखा गया है कि इस सदन में उन पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है। क्या इस तरह अनुसूचित जाति के लोगों से व्यवहार किया जाता है? (व्यवधान) मेरा यह निवेदन है कि आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करें। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे पक्ष के सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं, परन्तु मेरा यह कहना है कि सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है परन्तु इसके साथ ही दूसरे सदस्यों को यह संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य को रजामन्द करने का भी अधिकार है। परन्तु मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इसके लिए किसी को डराया-धमकाया नहीं जाना चाहिए। इस सदन के दोनों पक्षों द्वारा यहां जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है, वह इस सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम नियमों को मानें और सदन की मर्यादा बनाये रखें। इस सदन के एक सदस्य के रूप में मैं श्री रामधन जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें और इसके लिए उन पर कोई दबाव न डाला जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, मिस्टर कुरियन ने एक बात मेरे बारे में कही है कि मेरे ऊपर दबाव है। मैंने हमेशा अन्तर-आत्मा की पुकार पर काम किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुसंगत विचार प्रकट करो।

[हिन्दी]

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई कायर नहीं हूं, यह बात सदन को मालूम होनी चाहिए और न मैंने कभी कायरता से कोई काम किया है। जो कुछ भी मैंने किया है अन्तर-आत्मा की पुकार पर किया है और सारा देश इसका गवाह है। जो इस तरह की बात कहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मैं कांग्रेस पालियामेंट्री पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इमरजेंन्सी में मुझे जेल में डाल दिया, भजनलाल जी के राज्य, हरियाणा जेल में मैं रहा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे ऊपर लांछन है। इस प्रकार के लांछन मैं बर्दाश्त नहीं करता। जो पी० जे० कुरियन ने मुझे कहा है और जिस तरह से इन लोगों ने यह सामने रखा है, वह ठीक नहीं है।···*···· ने इसी हाउस में मेरे ऊपर हमला किया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नाम* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

4.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री राम धन : आज श्री * को पार्टी से निकाल रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम धन : मुझे समाप्त करने दीजिए।.... (व्यवधान) मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : एक बार जब अमेंडमेंट मूव कर दिया जाता है तो उसे हाउस की परमीशन के बिना वापिस नहीं लिया जा सकता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करता हूं। मेरा यह मत है कि किसी सदस्य पर किसी भी प्रकार का दवाब नहीं डाला जाना चाहिए। परन्तु इस सदन के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह दूसरे सदस्य को किसी मुद्दे पर कोई विशेष रुख अपनाने के बारे में निवेदन कर सकता है और यह संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वसंत साठे जी साधारणतया हम सदन में व्याप्त मत को समझ कर संशोधन वापस लेने की अनुमति दे देते हैं। अगर आप जोर देते हैं तो हम सभा के मतदान द्वारा संशोधन वापस लेने की अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"क्या सभा श्री रामधन को अपना संशोधन सख्या 31 वापस लेने की अनुमति देती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में हैं, वे, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि निर्णय 'हां' कहने वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष हुआ।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"श्री रामधन को अपना संशोधन संख्या 31 वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

'पक्ष में'

मत-विभाजन संख्या 8 समय 4.10 म० प०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र	खंडेलवाल, श्री प्यारे लाल
अजित सिंह, श्री	खटीक, श्री शंकर लाल
अमात, श्री डी०	खां, श्री सुखेन्दु
अर्गल, श्री छविराम	खां, हाजी जी० एम०
अली, श्रीमती सुभाषिनी	खालसा, श्रीमती बिमल कौर
अहमद, श्री अनवार	खुराना, श्री मदन लाल
अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी	गंगवार, श्री संतोष कुमार
आचार्य, श्री बसुदेव	गांधी, श्रीमती मेनका
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण	गिरि, श्री सुधीर
इन्द्र जीत, श्री	गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०	गुप्त, श्री इन्द्रजीत
उमा भारती, कुमारी	गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
कटारिया, श्री गुलाब चन्द	चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
काबडे, डा० वेंकटेश	चटर्जी, श्री निर्मल कांति
कालका दास, श्री	चटर्जी, श्री सोमनाथ
कालवी, श्री कल्याण सिंह	चन्द्र शेखर, श्री*
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी	चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
कुन्डू, श्री समरेन्द्र	चांद राम, श्री
केशरी लाल, श्री	चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
कोटड़िया, श्री मनुभाई	चौधरी, श्री ईश्वर
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम	चौधरी, श्री दसई

* गलती से पक्ष में मतदान किया।

चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जायनल अबेदिन, श्री
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोम, डा० राम चन्द्र
ढाकणे, श्री बबन राव
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारवाला, श्री अमृतलाल बल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
त्यागी, श्री के० सी०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल

दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री भक्त चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लव
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पंचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री बासवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नाण्डीज, श्री जार्ज
फर्नाण्डीज, श्री ऑस
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर
बेग, श्री आरिफ
बेग, श्री यूसुफ
बेगा राम, श्री

बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मणवर, श्री बलवन्त
मन्टोष, श्री पाल आर०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूवल, हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महाले, श्री हरि शंकर
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल,

मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नंदलाल
मुंजारे, श्री कंकर
मुलतान सिंह, चौधरी
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द
मोहम्मद शफी, श्री
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राथवा, श्री एन० जे०
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
रावत, प्रो० रासा सिंह
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचंद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण

विजयराघवन, श्री ए०
वेकारिया, श्री एस० एन०
शकीलुर्रहमान, डा०
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिवनकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेलड़ा, श्री गोविंदभाई कानजीभाई
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नंद कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री तेजनारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री विश्वेन्द्र
सिंह, श्री सुखेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हर गोविंद
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री ए० एन०
सुच्चा सिंह, बाबा
सुमन, श्री रामजी लाल
सुर, श्री मनोरंजन
सूबेदार, श्री
सेल्वारासु, श्री एम०
सैनी, श्री गुरदयाल सिंह
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोमकर, श्री कल्पनाथ
सोरेन, श्री शिबू
हंसदा, श्री मतिलाल

हरीश पाल, श्री
हर्षवर्धन, श्री
हीरा भाई, श्री
हेत राम, श्री
होटा, श्री भवानी शंकर
अग्रवाल, श्री जे० पी०
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अम्बारासु, श्री इरा
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
उरांव, श्रीमती सुमति
ओडेयर, श्री चनैया
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री जुल्फिकार अली
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपीनाथ
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गुप्त, श्री जनकराज
गौंडर, श्री ए० एस०

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्री कमल
जग पाल सिंह, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शशिभाई
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
डेनिस, श्री एन०
तम्बि दुरै, डा०
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
दिनेश सिंह, श्री
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देशमुख, श्री अनन्तराव
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
नेताम, श्री अरविंद
पांजा, श्री अजीत
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरुमान, डा० पी० वल्लल
पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रसाद, श्री आर० एस०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बलरामन, श्री एल०
बागा रेड्डी, श्री एम०
बेंजामिन, श्री एस०
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भोंसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मल्लिकार्जुन, श्री
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
याजदानी, डा० गुलाम
रंगा, प्रो० एन० जी०
राकेश, श्री आर० एन०
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राठौड़, श्री उत्तम
राम प्रकाश चौ०
रामबाबू, श्री ए० जी० एस०
राममूर्ति, श्री के०
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
वर्मा, श्रीमती उषा
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विश्वनाथम, डा०
शंकरानंद, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शिंगडा, श्री डी० बी०
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीनिवास, श्री सी०
षण्मुख, श्री पी०
साठे, श्री वसंत
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिवलाल, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी० सेलवम, श्री कांसी पन्नीर

सुंदरराज, श्री एन० सोढ़ी, श्री मानकूराम

सुम्बरुई श्री बागुन सोलंकी, श्री सूरजभानु

सुल्तानपुरी, श्री के० डी० हांडू, श्री प्यारे लाल

सेठ, श्री इब्राहीमसुलेमान

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यह आंकड़े फर्जी हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : शुद्धि पत्र आ रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए और जांच कर लीजिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हर बार वास्तविक आंकड़ों और शुद्धि के बाद के आंकड़ों में अन्तर होता है। (व्यवधान) महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने गलत मत दिया था और उसे बाद में ठीक करना पड़ा था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : परिणाम घोषित करने से पहले मैं सदस्यों की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध में जो नियमों में प्रावधान है, उसकी जानकारी देना चाहूंगा। इन नियमों के अनुसार :

"जिस सदस्य ने कोई प्रस्ताव किया हो यह उसे सभा की अनुमति से वापस ले सकेगा।

अनुमति, प्रश्न पर नहीं अपितु अध्यक्ष द्वारा सभा की इच्छा जानकर व्यक्त की जाएगी। अध्यक्ष पूछेगा : "क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापस लिया जाए?" यदि कोई विमत न हो तो अध्यक्ष कहेगा : "प्रस्ताव अनुमति से वापस लिया गया।" किन्तु यदि कोई विमत ध्वनि सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी रखने के लिए उठे, तो अध्यक्ष तुरन्त प्रस्ताव करेगा।"

अब समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि माननीय सदस्य ने पहले यह कहा कि वह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। बाद में सभा के एक माननीय सदस्य के निवेदन पर उन्होंने यह कहा कि वह प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या उनको प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर कोई भी सदस्य असहमति व्यक्त नहीं करता है तो इन्हें प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई असहमति व्यक्त करता है तो संशोधन को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अब हमने ध्वनि मत तथा मत-विभाजन, दोनों तरीकों से मतदान करवा लिया है। अब परिणाम मेरे पास है जिसके अनुसार जो यह चाहते हैं कि अनुमति दे दी जाये उनकी संख्या 271 है और जो यह चाहते हैं कि अनुमति नहीं दी

जाए उनकी संख्या 116, जो शुद्धि के अध्यधीन है।" इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि सदन के 116 सदस्य चाहते हैं कि अनुमति प्रदान नहीं की जाए। इसलिए सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं और इसे अस्वीकार किया जा सकता है। प्रारम्भ में शायद विपक्ष के नेता ने भी यही पक्ष लिया था। अब हम दो चरणों से निकल चुके हैं। एक सदन का मत प्राप्त करके और दूसरा सभा में मत-विभाजन करवा कर। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि विमत ध्वनि हुई है। इसलिए, मुझे सभा में मत-विभाजन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, किस मुद्दे पर मत-विभाजन करवाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन पर।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कैसे हो सकता है? (**व्यवधान**) अगर सभा मत का पता नहीं लगाया जा सकता और अगर कोई असहमति है तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। (**व्यवधान**) कौन सा प्रस्ताव? क्या सदन की अनुमति है अथवा नहीं? (**व्यवधान**).

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चटर्जी, एक अच्छे वकील के रूप में आप स्वीकार करेंगे कि :

"किन्तु, यदि कोई विमत ध्वनि सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी रखने के लिए उठे, तो अध्यक्ष तुरन्त प्रस्ताव करेगा।"

अब यह बिल्कुल स्पष्ट है। सदस्यों ने यह कहा है कि वे यह नहीं चाहते कि इसे वापस लेने की अनुमति दी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे वापस लेने की अनुमति न देने के लिए मत भी दिया है।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : फिर इस मत-विभाजन का क्या उद्देश्य था? यही तो प्रावधान है कि प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

"क्या अनुमति दी जा रही है अथवा नहीं"—इस प्रस्ताव पर मतदान हो रहा है। (**व्यवधान**)

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में :

श्री भानवेन्द्र सिंह, श्री राज मंगल मिश्र, श्री नकुल नायक, श्री गुमान मल लोढा, श्री कृपालसिंह, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री अर्जुन भाई पटेल, श्री किशनराव बाबूराव बानखेले, श्री के० राम मोहन राव, प्रो० राम गणेश कापसे, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री कड़िया मुण्डा, श्री शोपत सिंह मक्कासर, श्री अजय मुखोपाध्याय, श्री तरित बरण तोपदार, श्री जगदीश सिंह कुशवाहा, श्री बाबूराव परांजपे।

विपक्ष में :

श्री बी० राजरवि वर्मा, श्रीमती एम० चन्द्र शेखर, श्री नन्दी येलैय्या।

अन्यथा यह सब निरर्थक है। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि क्या बहुमत अनुमति देने के पक्ष में है अथवा नहीं। यह मतदान द्वारा मालूम हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उसमें विमत ध्वनि भी थी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस स्थिति में किसी एक सदस्य का 'नहीं' कहना ही पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में मत-विभाजन किस लिए है। (व्यवधान) आपने मत-विभाजन से यह पता लगाया है कि अधिकांश सदस्य इसे वापस लेने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं हैं। आपने इसके पर मतदान कराया है (व्यवधान) और अब यह स्पष्ट हो गया है। अन्यथा यह उद्देश्यहीन रहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि मैंने इस प्रस्ताव को शुरू में ही सभा के मतदान के लिए रखा है। पहले वह इसे प्रस्तुत करना चाहते थे, वह इसे नहीं वापस लेना चाहते थे। तत्पश्चात उन्होंने इसे वापस लेने के लिए कहा। आप इससे उत्पन्न कठिनाई को समझिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस कठिनाई को मत-विभाजन द्वारा सभा की राय जानकर हल किया गया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव के विरुद्ध भी मतदान कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को पुनः सुनिश्चित करने के लिए कि इस बारे में कोई आपत्ति न रहे, एहतियात के तौर पर मैं इसे सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि वे ऐसा चाहते हैं तो सत्ता पक्ष के सदस्यों तथा उसकी सहायता करने वाले दलों के सदस्यों को मतदान पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण होगा। इससे ऐसा उदाहरण पैदा होगा जिसके बारे में प्रक्रिया नियमों में संकल्पना ही नहीं की गई है। (व्यवधान) महोदय, आप पूर्वोदाहरण पैदा कर रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है? (व्यवधान) ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें श्री आडवाणी की बात सुननी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, संभवतः नियम 339 के वाक्य-विन्यास को स्पष्ट किया गया है। यह खेद की बात है कि इस प्रकार की व्याख्या कोई भी कर सकता है। परन्तु सभा में इस प्रकार के मत विभाजन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। आखिरकार हमने मत विभाजन इसलिए कराया था कि श्री रामधन को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं। जब बहुमत से अनुमति मिल गई तो इससे इन्कार किस प्रकार किया जा सकता है? अन्यथा इसे मतदान के लिए नहीं रखा जाना चाहिए था। अध्यक्ष पीठ इस नियम के

आधार पर निर्णय कर सकते थे कि यदि कोई व्यक्ति 'नहीं' कहता है तो उसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें इस संशोधन पर तुरन्त मतदान कराना चाहिए।

मेरे विचार से मत विभाजन के पश्चात भी अध्यक्षपीठ सभा के निर्णय के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह तो किसी सदस्य पर अपने संशोधन के विरुद्ध मतदान के लिए दबाव डालना है। अध्यक्षपीठ नियम 339 की इसी व्याख्या के आधार पर कह सकते थे :—

"मूल संशोधन पर मतदान कराने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है।"

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा में मतदान के बाद यह आम मत नहीं बल्कि सभा का मत है कि श्री रामधन को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेरे विचार से सभा की इच्छा के अनुसार उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति ही जानी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, 'विमत ध्वनि' शब्द का तात्पर्य है कि कुछ मत वैभिन्य है। सभा में पुनः मतदान कराके इसका पता लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर्याप्त संख्या में सदस्यों ने विमत ध्वनि की है। सभा में मतदान विरोधी मत का पता लगाने लिए नहीं बल्कि उनको अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देने हेतु बहुमत का पता लगाने के लिए किया गया है। केवल इतना अन्तर है। हमने सभा में मतदान इसलिए नहीं कराया था कि क्या कोई विमत व्यक्त किया गया है अथवा नहीं। विमत का पहले से ही पता था परन्तु हमने सभा में मतदान इस उद्देश्य के लिए कराया था कि बहुमत से उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई एक सदस्य कहता है कि उसे संशोधन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो क्या उसे संशोधन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उस स्थिति में आपको इसके लिए सभा में मतदान कराना पड़ता है। उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देने के लिए आपको सभा में मत विभाजन कराना पड़ता है। (व्यवधान)

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : महोदय, बहुत देर बाद मैं इस सभा के सदस्य के रूप में बोल रहा हूं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपने जो कुछ कहा है वह उचित नहीं है। इस संदर्भ में नियम 87 लागू होता है। इसमें विशेषतः सभी विधान सभाओं के संशोधनों तथा इस सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का उल्लेख किया गया है। अन्य कोई दूसरा नियम उचित नहीं है। नियम 87 में कहा गया है :—

"प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य की प्रार्थना पर सभा की अनुमति से वापस लिया जा सकेगा, किन्तु अन्यथा नहीं।"

जब तस नियम में यह व्यवस्था है तो आप शेष नियमों का उल्लेख करके उनका सहारा नहीं ले सकते। संविधान (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में वही बात लागू होती है जो विधेयक पर होती है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार विधेयक के अर्थ तथा क्षेत्र के अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक इस सभा में प्रस्तुत विधेयक है। इसलिए यहां नियम 87 के अतिरिक्त प्रस्ताव, संकल्प तथा सभा के अन्य कार्य से सम्बन्धित कोई दूसरा निगम लागू नहीं होता है। मैं इस बात की आपको चुनौती दे सकता हूं तथा इसके उदाहरण दे सकता हूं। मेरा अभिप्राय किसी अपराध से नहीं है। यदि आप मुझे समय दें तो मैं उदाहरण दे सकता हूं। परन्तु यहां केवल नियम 87 लागू होता है। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : नियम 87 यहां प्रसांगिक नहीं है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : श्री साठे जी, क्या आप हमारे तर्क सुनेंगे ?··· (**व्यवधान**) श्री कमल चौधरी, कृपया मेरी बात सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय, सभा में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम माननीय सदस्य से अपना संशोधन वापस लेने का अनुरोध करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं···चूंकि आप भी पिछली लोकसभा के सदस्य थे इसलिए आपको याद होगा—कि तत्कालीन सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य, श्री डागा विभिन्न विधेयकों तथा संकल्पों के संबंध में अनेक संशोधन प्रस्तुत किया करते थे···· (**व्यवधान**) वह कभी संशोधन वापस नहीं लेते थे। जब वह शुरू में कह देते थे कि वह अपना संशोधन वापस नहीं लेना चाहते हैं तो सदस्यों द्वारा अनेक बार अनुरोध करने पर भी वह अपना संशोधन वापस नहीं लेते थे। (**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने इस घटना को देखा है। उपाध्यक्ष महोदय को भी यह बताना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके विपरीत सत्तारूढ़ दल के सत्तापक्ष के सदस्य वैसा ही कार्य करते थे जैसाकि आज चन्द्रशेखर जी ने किया है। वे उनसे अनुरोध करते थे कि अपना संशोधन वापस ले लीजिए। हमने इस पर कभी आपत्ति नहीं की थी। हम समझते थे कि आखिरकार, सत्तारूढ़ दल के सदस्य का यह अधिकार है।

दूसरे, जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, श्री उन्नीकृष्णन ने जिस बात को कहा है उसे इस सभा में अनेक बार कहा गया है कि जहां तक नियम 339 का सम्बन्ध है, यह सामान्य प्रस्ताव पर लागू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक प्रस्ताव है।

प्रो० मधु दंडवते : जैसे कि मैंने आपके बीच में व्यवधान नहीं डाला है वैसे ही आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए, यह आपसे मेरा अनुरोध है। इसी प्रकार यह बताया गया है कि जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, उनमें नियम 339 लागू नहीं होता बल्कि नियम 87 लागू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके बीच में व्यवधान नहीं डाल रहा हूं, बल्कि यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या यह प्रस्ताव है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के अनुरूप एक प्रस्ताव है।

प्रो० मधु दण्डवते : विधेयक और सामान्य प्रस्ताव में अन्तर होता है अन्यथा नियमों के निर्माता नियम 87 नहीं बनाते। नियम 339 को प्रस्ताव के लिए भी लागू किया गया है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए स्थगन प्रस्ताव को ही लीजिए। यह एक निश्चित प्रस्ताव है। जब कोई विपक्षी सदस्य खड़े होकर कहता है कि मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। यद्यपि सत्तारूढ़ दल कभी भी स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी वे शांत रहते हैं। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष यह मान लेता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और, इसलिए 50 सदस्यों को खड़े करने की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं और विभिन्न प्रकार के नियम हैं। मेरा मानना यह है कि यदि विपक्ष से एक व्यक्ति भी खड़ा होकर कह देता है कि उसे आपत्ति है, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। विपक्ष से एक भी

साठे पर्याप्त हैं। यदि वे कहते हैं कि वे विरोध कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे असन्तुष्ट हैं, किन्तु इसके बावजूद भी जब आपने सारे सदन को सदन के विभाजन की प्रक्रिया का पालन करने को कहा है तो यह विशेष प्रक्रिया बिल्कुल अनावश्यक हो जाती है। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि आप केवल नियम 87 का ही उल्लेख करें जिससे पूरे विषय को पुनः शुरू करने की आवश्यकता ही न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि यदि एक सदस्य कहता है कि कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तो क्या यह पर्याप्त नहीं है? मान लीजिए। 116 सदस्य हैं और वे कहते हैं कि कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो क्या किया जाना चाहिए?

प्रो० मधु दंडवते : जैसा मैंने कहा, यह विशेष प्रक्रिया बिल्कुल अनावश्यक है। एक व्यक्ति अपना असंतोष प्रकट कर सकता है, किन्तु इन सबमें जाने का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में इस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात आपको संशोधन पर उनके विचार भी मिल जाते हैं, इसलिए इसे फिर से मतदान के लिए रखना पूरी तरह से अनावश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात है कि एक सदस्य ध्वनि मत से यह कहता है कि वे इसे अनुमति देने के पक्ष में नहीं हैं। अब 116 सदस्य कहते हैं कि वे इसे अनुमति देने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नियम 87 के अधीन, आपको सदन की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रस्ताव है अथवा नहीं? अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों में से मैं पढ़ रहा हूं। पृष्ठ 25 पर—इसके अनुसार :

संशोधन—वे सहायक प्रस्ताव हैं जो···।

प्रस्ताव सम्बन्धी सामान्य प्रावधान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अध्याय 14 में दिए हुए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष के निदेश सर्वदा नियमों के अनुरूप ही होने चाहिए। और यदि कभी विरोधात्मक विचार हों तो ऐसी स्थिति में नियमों का ही पालन किया जाता है··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या मुझे यह स्पष्टीकरण मिल सकता है कि क्या सदन को नियमों में संशोधन करने का अधिकार है? यदि सदन को नियमों में संशोधन करने का अधिकार है और सदन अपनी समझ से संशोधन को वापस लेने की अनुमति देता है, वास्तव में, यह नियम जब लागू होता है जो संशोधित हो जाता है। यदि आपकी बात मान ली जाए तो उस मतदान का क्या होगा जो सदन में हो चुका है? 271 सदस्यों के उस विचार का क्या होगा जो उन्होंने इस विशेष प्रश्न पर व्यक्त की है। क्या आप सदन के रिकार्ड से सारी प्रक्रियाओं को समाप्त करवा सकते हैं। मुझे यह बताइए। आप भी सांसद हैं। आप इसे बेकार नहीं मान सकते। श्री उन्नीकृष्णन ने नियम 87 के बारे में जो कुछ भी कहा है यह विधेयक संशोधन संबंधी एक स्पष्ट टिप्पणी है। इसलिए इसे लागू किया जाना चाहिए। मान लीजिए आज सदन यह निर्णय करता है कि इस नियम को यहां संशोधित किया जाना चाहिए और अब बहुमत यहां नियम का संशोधन कर देता है, तो आप क्या करेंगे और उपाध्यक्ष के निर्णय की क्या स्थिति होगी?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर दे दूं उसके बाद आपको बोलने की अनुमति दूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देने दीजिए।

श्री कुरियन, कृपया शांत रहिए।

श्री पी० जे० कुरियन : महोदय, हम श्री रामधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे कहां हैं ? ऐसा लगता है कि उन्हें निकाल दिया गया है। ऐसा लगता है कि उन्हें सदन से जाने के लिए कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक मामला है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देने दें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे नियम 339 पढ़ने दें तभी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। नियम 339 के अनुसार :

"क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापस लिया जाए ?"

यह प्रस्ताव संशोधन के लिए है। यदि कोई भी असन्तुष्टि जाहिर नहीं करता तो अध्यक्ष महोदय कहेंगे :

'प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।'

किन्तु यदि कोई असतुष्ट आवाज सुनाई देती है या कोई सदस्य चर्चा को आगे जारी करने के लिए उठता है तो अध्यक्ष महोदय तत्काल प्रस्ताव को छोड़ देंगे।

अब, प्रस्ताव क्या है ? प्रस्ताव है :

"क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापस लिया जाए ?"

यह प्रस्ताव इस विशेष टिप्पणी का उल्लेख करता है। महोदय, इसलिए, यह बिना किसी शंका के स्पष्ट हो जाता है कि इसे सदन में मतदान के लिए रखा जाए और मत के द्वारा अनुमति प्रदान की जाए। मैं सोचता हूं कि श्री वसन्त साठे इससे सहमत होंगे कि यह प्रस्ताव इसे वापस लेने की अनुमति प्रदान करने का उल्लेख करता है। जब आपने हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर किया तब हमने इसे विशेष रूप से पढ़ा। मैं आपको भी इसे पढ़ने का निवेदन करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय को भी पुनः विचार करने में मदद करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मैं यह मान लेता हूं कि हम कार्य सूची के मद सं० 10 पर चर्चा कर रहे हैं और यह संविधान को संशोधित करने पर विचार करने के लिए लाया गया विधेयक है। इसलिए हमें इस पर स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और, संविधान के अनुच्छेद 368(1) और (2) के अनुसार, जो प्रक्रिया विहित की गई है उस के अनुसार ही यहां यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। आप कृपया लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

नियम के अध्याय 10 का हवाला दे। सदन में प्रस्तुत प्रस्तुत होने वाले विधेयक और नियम 87 ऐसे विधेयकों पर संशोधन के बारे में हैं जो भारत के संविधान का संशोधन करते हैं। इसलिए, कोई प्रश्न नहीं है। प्रस्ताव केवल अनुसरण में है। हम इसे इसके साथ न मिलाएं इसका इसके साथ कुछ लेना-देना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक मुद्दे पर जानकारी दें। क्या संशोधन एक प्रस्ताव नहीं है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ' प्रस्ताव है : विधेयक को पारित किया जाए या विधेयकों पर विचार किया जाए, संशोधन पारित किए जाएं या संशोधनों पर विचार किया जाए या सदन सदस्य को संशोधन वापस लेने की अनुमति देता है। यही प्रस्ताव है नकि पूर्णरूप से विधेयक अथवा खण्ड। इसलिए, इस मामले में केवल नियम 87 लागू होता है अन्य कोई नियम नहीं। एक न्यायविद के रूप में आप जानते हैं कि जब किसी विशेष नियम का प्रावधान होता है तो अन्य सहायक नियम लागू नहीं होते।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने संशोधनों के वापस लेने सम्बन्धी नियम की ओर ध्यान दिलाया है, जबकि आपके अपने निर्णय में प्रस्तावों के वापस लेने सम्बन्धी नियम की ओर ध्यान दिलाया है जबकि आपने अपने निर्णय में प्रस्तावों को वापस लेने संबंधी नियम का सहारा लिया है। मेरी समझ में दोनों में कोई भेद नहीं है। यद्यपि नियम 339 अधिक विस्तृत है, जबकि संशोधनों के वापस लेने सम्बन्धी नियम अधिक विस्तृत नहीं है। किन्तु जो व्याख्या पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई है या जिसका सुझाव दिया गया है उसे यदि एक उदाहरण के रूप में स्वीकार कर लें तो इसका परिणाम यह होगा कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य के पास हर उस प्रस्ताव या संशोधन को, जो प्रस्तुत किया गया है वीटो करने का अधिकार होगा। यदि इसे एक बार पेश कर लिया गया है तो उसके पश्चात् उस विशेष सदस्य या किसी अन्य सदस्य को इसे वापस लेने का अधिकार नहीं है चाहे एक अकेला सदस्य 'नहीं' कह दे। मैं किसी सदस्य को इस सदन में वीटो का कोई अधिकार नहीं देता। यदि बहुमत के द्वारा, सदन यह निर्णय करता है कि इस विशेष प्रस्ताव या इस विशेष संशोधन को वापस ले लेना चाहिए या सदस्य द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है, मैं नहीं सोचता कि उस नियम की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता है जो हर सदस्य को किसी मन्त्री अथवा सदस्य को वीटो करने की अनुमति देता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक मिनट। हम उसी प्रक्रिया कापालन कर रहे हैं, बिलकुल उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। यदि कोई एक सदस्य 'नहीं' कहता है, तो इसे सदन के मतदान के लिए रखा जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि एक अकेला सदस्य कहता है 'नहीं' तो उसे यह कहने का का अधिकार है, "ठीक है, सभा का मत विभाजन कर लो" किन्तु इससे आगे नहीं। वह सभा का मत विभाजन करवा सकता है जैसे वह कहता है और सभा में मत विभाजन हो जाता है। किन्तु, आज यदि इस व्याख्या को रखा जाए, तो इसका अर्थ है कि सदन की इच्छाएं केवल एक सदस्य द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। यह एक गलत उदाहरण और गलत नियम होगा।

मैं यहां इससे सहमत हूं। नियम 339 में कहा गया है। "अध्यक्ष तुरन्त प्रस्ताव करेगा।" यहां प्रस्ताव है, कि क्या श्री रामधन को इसे वापस लेने के लिए अनुमति दे दी जाए अथवा नहीं। यही उनका प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को रखा जा चुका है और इस पर निर्णय लिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वापस लेने के संबंध में हमारे नियमों में दो प्रावधान किए गए हैं। पहला, नियम, 87 जिसको, मैं मानता हूं, श्री उन्नीकृष्णन ने इसका ठीक और उचित उल्लेख किया है। यह नियम 87, विशेष तौर पर विधेयकों के संशोधन के वापस लिए जाने के बारे में संबंधित हैं। यह अध्याय 10 में है जो विधान से संबंधित है। दूसरा नियम जिसका आपने उल्लेख किया है, नियम 339 है। अब, आप कृपया इसे देखें। यह अध्याय 27 में है जो प्रक्रिया के सामान्य नियमों से संबंधित है। आप कानून के इस सुविख्यात तथ्य से परिचित होंगे कि अगर कोई विशेष प्रावधान है तो वह सामान्य प्रावधान से प्रभावित नहीं होगा। एक प्रस्ताव से संबंधित सामान्य प्रावधान क्या है ? यह विधेयकों के संशोधनों से सम्बन्धित एक विशेष प्रावधान है। अन्यथा, नियम 87 निरर्थक, पूरी तरह से अव्यावहारिक हो जाता है। बहरहाल, यह लागू हो सकता है। यह तरीका नहीं है। नियमों के किन्ही भी प्रावधानों को बेकार करने के लिए या निरर्थक करने के लिए कोई व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, आप मुझे एक बात बताइए। क्या हम यह जानने की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं कि क्या वापसी की अनुमति देनी चाहिए अथवा नहीं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नियम 87 में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर एक भी सदस्य 'नहीं' कहता है तो क्या हम उसे नामंजूर नहीं करते रहे हैं ? क्या प्रक्रिया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे 20 वर्षों के अनुभव में, मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं है, जब वापसी, अनुमति देने के किसी मामले पर मत-विभाजन किया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बात है। मैं यही मुद्दा उठा रहा हूं। आप कृपया नियम `7 देखें। आपको नियम 87 की व्याख्या करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सुनने के बाद, मैं निर्णय दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको नियम 87 को एक अर्थ देना पड़ेगा। कृपया आप नियम 87 देखें। कृपया नियम पुस्तिका का पृ० 43 देखें। इसमें कहा गया है :

> "प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य की प्रार्थना पर सभा की अनुमति से वापस लिया जा सकेगा, किन्तु अन्यथा नहीं।"

अगर किसी संशोधन पर संशोधन दिया गया है, तो वह अलग बात है। किन्तु एक संशोधन, यह मानते हुए कि यह प्रस्ताव है, नियम 87 के अंतर्गत आता है। एक संशोधन पहले रखा जा चुका है। हमने इसे देखा है। तब यह कहा गया है कि सभा की अनुमति से इसे वापस लेना चाहिए। और जब इस पर सभा की अनुमति ली गई—आपने ऐसा कहा है—और उन्होंने यह निश्चित करने के लिए मत विभाजन की मांग की थी कि क्या सदन की अनुमति वापसी के पक्ष में है अथवा नहीं ? यह मत विभाजन द्वारा निश्चित होना था तथा आपने मत विभाजन कराया। और एक प्रचुर बहुमत कहता है कि अनुमति दी जानी चाहिए। तब नियम 87 का क्या औचित्य रह जाता है ? इसलिए, यह एक विशिष्ट प्रस्ताव है। इसी कारण से यह एक विशेष नियम है, जिसको कानून में एक विशेष प्रक्रिया

कहते हैं, एक विशिष्ट प्रक्रिया । और अध्याय 27 में एक सामान्य प्रक्रिया है । सामान्य प्रक्रिया कभी भी एक विशेष प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं जा सकती । विधेयकों के संशोधन के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया दी गई है । इसलिए, एक सामान्य प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं जा सकती ।

नियम 339 एक अलग स्थिति के लिए है । किन्तु जहां संशोधनों के लिए विशिष्ट प्रक्रिया हो, इसे लागू करना होगा, और नियम 87 कोई रुकावट नहीं डालता । आपने मत विभाजन के द्वारा सदन की अनुमति मालूम की है; अन्यथा, नियम 87 कभी भी लागू नहीं हो सकता । (व्यवधान)

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : इन दो संविधान (संशोधन) विधेयकों को पारित करने के प्रयत्नों के बारे में सदन में सहमति है । अब संशोधन के प्रश्न पर और इसकी वापसी पर कई विचार प्रकट किए जा रहे हैं, जो वास्तव में विधेयक को पारित कराने में कोई विशेष महत्व नहीं रखते क्योंकि बहुमत विधेयक को पारित करने के पक्ष में है । यहां कई विद्वान वकील इस सदन के माननीय सदस्य हैं जिनके अलग-अलग विचार हैं । मेरा अनुरोध है कि इसमें जाने की अपेक्षा आप सदन का विचार जानिये, और अगर प्रत्येक व्यक्ति सहमत है तो हम विवादों में पड़ने की अपेक्षा हमें मुख्य विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत उपयोगी सुझाव है ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : नियम 87 और नियम 339 एक दूसरे के पूरक है : इनमें कोई भी विरोध नहीं है । नियम 87 के अंतर्गत वह व्यक्ति, जिसने विधेयक से सम्बन्धित संशोधन रखा है, उसे इसको वापस लेने का अधिकार है । वापस लेने का अधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है जिसने वह संशोधन रखा है । अब, प्रश्न यह है कि उस अधिकार को कैसे क्रियान्वित किया जाए । अतः नियम 87 में यह अधिकार दिया गया है; यह प्रक्रिया को विनियमित नहीं करता । यह दो बातें कहता है अर्थात वापसी का अधिकार इन बातों पर निर्भर करता है : (1) संशोधन रखने वाले को ही वापस लेने का अधिकार है । श्री राम धन, जिन्होंने संशोधन रखा है, पहले ही यह कर चुके हैं; और (2) वापसी सदन की अनुमति से होती है । सदन की अनुमति कैसे ली जाए— इसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है । यह पीठासीन अधिकारी पर छोड़ दिया गया है । पीठासीन अधिकारी को सलाह··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब नियम 87 का क्या औचित्य है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : नियम 87 इसलिए बनाया गया है ताकि संशोधन रखने वाले व्यक्ति को अपना संशोधन वापस लेने का मूलभूत अधिकार दिया जा सके । (व्यवधान) इस अधिकार का कैसे प्रयोग किया जा सकता है ? इसकी दो शर्तें हैं : पहली, संशोधन रखने वाले व्यक्ति अर्थात श्री राम धन द्वारा वह अधिकार प्राप्त किया जाए··· (व्यवधान) और दूसरी, इस वापसी के लिए सदन की अनुमति ली जाए । वापस लेने की अनुमति पर अध्यक्ष को सदन की सहमति लेनी होगी ।

नियम 339 कहता है कि सदन की सहमति इस प्रश्न के द्वारा निश्चित की जाती है कि क्या अनुमति दी जाये या नहीं । अब बात यह है कि चूंकि इस पर पहले से ही मतभेद प्रकट हो चुके थे अतः मत विभाजन नहीं होना चाहिए था । मत-विभाजन के अपेक्षा क्या विनिर्णय है । नियम 339 स्पष्टतः कहता है कि जब भी किसी विषय पर मतभेद हों तो, उस मामले पर अविलम्ब पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय किया जाए और वह प्रश्न सदन में नहीं रखा जा सकता । किन्तु इस प्रश्न पर मत-विभाजन कराया गया था । मत-विभाजन अनियमित है । मैं कहता हूं कि मत-विभाजन

को अनुचित घोषित कर दिया जाये और आप असम्मत विचारों के आधार पर घोषित करें कि अनुमति नहीं दी जा गई।

श्री वसन्त साठे : हमने पश्चिम बंगाल के विद्वान वक्ता को सुना है। नियम 339 और नियम 87 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट है। अभी श्री बनातवाला ने कहा कि नियम 87 सिर्फ जांच का अधिकार देता है। (**व्यवधान**) नियम 339 केवल यही कहता है : आप यह प्रश्न पूछें कि क्या आपकी सहमति है कि प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए ? वह वापसी की अनुमति के बारे में है। आपने कि केवल अहसमति का पता लगाया था। अहसमति ध्वनि-मत से भी सुनिश्चित की जा सकती थी। बहुत अधिक सावधानी बरतते हुए आपने इस पर मत-विभाजन कराया। यह सिर्फ अहसमति है, चाहे यह एक मत से हो या 116 मतों से या कितने ही मतों से। नियम बहुत स्पष्ट है। यह कहता है कि प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए। यह इससे ज्यादा संगत है। पृष्ठ 137 पर नियम 339 कहता है :

> "किन्तु यदि कोई विमत ध्वनि सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी करने के लिए उठे, तो अध्यक्ष तुरन्त प्रस्ताव रखेगा।"

उन्हें वह मुख्य प्रस्ताव रखना पड़ेगा जो प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में काफी सुन चुका हूं। यदि श्री राम धन ने इसे पहले ही वापस ले लिया होता तो मुझे यह प्रक्रिया न अपनानी पड़ती। कुछ सदस्यों ने भी इनसे इसे वापिस लेने की प्रार्थना की थी। मैं यह कह सकता था कि मैं उसे भी नहीं नकारता। बाद में विशेष निवेदन करने पर इन्होंने इसे वापिस लेने के लिए कहा था। एक बार इन्होंने कहा था कि वे इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर कहा कि वे इसे वापिस ले रहे हैं। इस स्थिति में क्या करना चाहिए ? अतः यह प्रश्न सदन के समक्ष रखा गया था और कुछ सदस्यों ने इसे सभा का मत जानने के लिए रखने के लिए कहा था और हमने इसे सदन का मत जानने के लिए रखा था; सभा ने श्री राम धन को प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दे दी। अब यदि श्री राम धन इस प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं तो वे ले सकते हैं; यदि वे इसे वापिस नहीं लेना चाहते तो मैं इसे सभा का मत जानने के लिए रखूंगा और इस विवाद को समाप्त करूंगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम धन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 17,—

"तीन" के स्थान पर "छः" प्रतिस्थापित किया जाए।" (31)

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया 'हां' कहें।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हैं, वे कृपया "नहीं" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "हां" वालों के पक्ष में हुआ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली की जा रही हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अब दीघाएं खाली हो गई गई हैं।

मैं अब श्री राम धन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 17,—

"तीन" के स्थान पर "छ:" प्रतिस्थापित किया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 2, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं। खंड 2 सभा के मततान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अत: इस पर मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं पहले ही खाली की जा चुकी हैं।

"प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

'पक्ष में'

मत विभाजन संख्या 9　　　　　　　　समय 4.57 म० प०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र	अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अग्रवाल, श्री जे० पी०	अन्तुले, श्री ए० आर०
अजित सिंह, श्री	अमात, श्री डी०

अम्बरी, श्री लेइता

अरुणाचलम, श्री एम०

अर्गल, श्री छविराम

अली, श्रीमती सुभाषिनी

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री अनवार

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

इन्द्र जीत, श्री

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

उमा भारती, कुमारी

उरांव, श्रीमती सुमति

ओडेयर, श्री चनैया

कटारिया, श्री गुलाब चन्द

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कापसे, प्रो० राम गणेश

कावडे, डा० वेंकटेश

कालका दास, श्री

कालवी, श्री कल्याण सिंह

काले, श्री सुखदेव नन्दाजी

कुमारमंगलम, श्री पी० आर०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कृष्ण कुमार, श्री एस०

केशरी लाल, श्री

कोटड़िया, श्री मनुभाई

कौल, श्रीमती शीला

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम

खंडेलवाल, श्री प्यारे लाल

खटीक, श्री शंकर लाल

खां, श्री जुल्फिकार अली

खां, श्री सुखेन्दु

खां, हाजी श्री० एम०

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गंगाधर, श्री एस०

गजपति, श्री गोपी नाथ

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्री राजीव

गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई

गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब

गिरि, श्री सुधीर

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार

गुप्त, श्री जनकराज

गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह

गोमांगो, श्री गिरिधर

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कांति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्द्र शेखर, श्री

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०

चव्हाण, श्री प्रेमलाबाई

चांद राम, श्री

चार्ल्स, श्री ए०

चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई

चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जगपाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जय मोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शशिभाई
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोम, डा० राम चन्द्र
डोरे, श्री राजा अम्बाम्मा नायक
ढाकणे, श्री बबन राव
तम्बि दुरै, डा०
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री बृज भूषण
त्यागी, श्री के० सी०
थापा, श्री नन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दासगुप्त, डा० विप्लव
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देव, श्री संतोष मोहन
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
देशमुख, श्री सुधाम दत्तात्रेय
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री

नायक, श्री नकुल
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
नेताम श्री अरविन्द
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल श्री अर्जुनभाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री बाबूराव
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रबि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पेंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नाण्डीज, श्री जार्ज
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बंसीलाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एस०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव

बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बेग, श्री यूसुफ
बेगा राम, श्री
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भार्गव गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मणवर, श्री बलवन्त
मन्टोष, श्री पाल आर०
मनबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्लिकार्जुन, श्री

मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल, हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाता, श्री चित्त
महावीर प्रसाद, श्री
महाले, श्री हरि शंकर
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल,
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नंदलाल
मुंजारे, श्री शंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मुलतान सिंह, चौधरी
मूर्ति, श्री एस० बी० चन्द्र शेखर
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
याजदानी, डा० गुलाम

यादव, डा० एस० पी०

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री छोटे सिंह

यादव, श्री जनार्दन

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री मित्रसेन

यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि

यादव, श्री रामजीलाल

यादव, श्री शरद

यादव, श्री सूर्य नारायण

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादवेन्द्र दत्त, श्री

युवराज, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रशीद मसूद, श्री

राउतराय, श्री नीलमणि

राघवजी, श्री

राजदेव सिंह, श्री

राजवीर सिंह, श्री

राजू, श्री एम० एम० पल्लम

राजू, श्री भू० विजयकुमार

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राथवा, श्री एन० जे०

राठोड़, श्री उत्तम

राठौर, डा० भगवान दास

राणा, श्री काशीराम छबीलदास

राम प्रकाश चौ०

रामबाबू, श्री ए० जी० एस०

राम सजीवन, श्री

राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सागर, श्री (सैदपुर)

राम सिंह, श्री

रामकृष्ण, श्री वाई०

राममूर्ति, श्री के०

राय, श्री ए० के०

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हरधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री आर० गुंडू

राव, श्री के० एस०

राव, श्री जे० चौक्का

राव, श्री श्रीनिवास

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावत, श्री हरीश

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री ए० वेंकट

रेड्डी, श्री एम० जी०

रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर

रेड्डी, श्री पी० नरसा

रेड्डी, श्री राजमोहन

बघेला, श्री शंकर सिंह

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

वर्मा, श्रीमती उषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचंद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०
वेकारिया, श्री एस० एन०
शंकरानंद, श्री बी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविंदभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
षणमुखम, श्री पी०
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
साठे, श्री वसंत
साम्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नंद कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेजनारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह, श्री रामदास,

सिंह, श्री लोकेन्द्र	सेठ, श्री इब्राहीमसुलेमान
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप	सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सिंह, श्री सुखेन्द्र	सैनी, श्री गुरदयाल सिंह
सिंह, श्री सूर्य नारायण	सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सिंह, श्री हर गोविंद	सोढ़ी, श्री मानकूराम
सिंह, श्री हरि किशोर	सोरेन, श्री शिबू
सिंह देव, श्री ए० एन०	सोलंकी, श्री सूरजभानु
सिवनाल, श्री एस० बी०	हंसदा, श्री मतिलाल
सिलवेरा, डा० सी०	हन्नान मोल्लाह, श्री
सुंदरराज, श्री एन०	हरीश पाल, श्री
सुच्चा सिंह, बाबा	हांडु, श्री प्यारे लाल
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०	हीरा भाई, श्री
सूबेदार, श्री	होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

* श्री प्रताप सिंह

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि** के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	368
विपक्ष में	:	001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

* गलती से विपक्ष में मतदान किया।

** निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान पक्ष में किया।

श्री हेतराम, श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री हर्षवर्धन, श्री प्रताप सिंह, श्री गुमान मल लोढा, श्री ईश्वर चौधरी, श्री कल्पनाथ सोनकर, श्री दिलीप सिंह जू देव, श्री कृपाल सिंह, श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट, श्री के० राम मोहन राव, डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, श्री तरित वरण तोपदार, श्री नटुभाई एम० पटेल, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री मोहम्मद शफी, श्री जौस फर्नाण्डीज, श्रीमती राजेन्द्र कौर बुलारा, श्री वामनराव महाडीक, श्री एम० सेल्वारासू, श्री जगदीश सिंह कुशवाहा, कुमारी कमलाजी करेदुला, श्री अन्बारासु ईरा, श्री एम० बागा रेड्डी, श्री ए० एस० गौंडर, श्री बनवारीलाल पुरोहित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड—1 — संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 3,—

"अड़सठवां" के स्थान पर "पैंसठवां" प्रतिस्थापित किया जाए । (19)

(श्री राम विलास पासवान)

उपाध्यक्ष महोदय : खंड संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा । दीर्घाएं पहले ही खाली की जा चुकी हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

'पक्ष में'

मत-विभाजन संख्या 10 समय 5.01 म० प०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र	अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी
अग्रवाल, श्री जे० पी०	आचार्य, श्री बसुदेव
अजित सिंह, श्री	आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०	इन्द्र जीत, श्री
अन्तुले, श्री ए० आर०	उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
अन्बारासु, श्री इरा	उमा भारती, कुमारी
अमात, श्री डी०	उरांव, श्रीमती सुमति
अम्बरी, श्री लेहता	ओडेयर, श्री चनैया
अरुणाचलम, श्री एम०	कटारिया, श्री गुलाब चन्द
अर्गल, श्री छविराम	करेदुल्ला, कुमारी कमलाजी
अशोकराज, श्री ए०	कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
अहमद, श्री अनवार	कापसे, प्रो० राम गणेश
अहमद, श्री कमालुद्दीन	कावडे, डा० वेंकटेश

कालका दास, श्री
कालवी, श्री कल्याण सिंह
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृपाल सिंह, श्री
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केशरी लाल, श्री
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुखेन्दु
खां, हाजी जी० एम०
खालसा, श्रीमती बिमल कौर
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशमलाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शशिभाई
जायनल अबेदिन, श्री

जीवरत्नम, श्री आर०

जू देव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री श्रीकान्त

जोरावर राम, श्री

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

झिकराम, श्री मोहनलाल

टंडेल, श्री डी० जे०

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

डेनिस, श्री एन०

डोम, डा० राम चन्द्र

डोरे, श्री राजा अम्बाल्ला नायक

ढाकणे, श्री बबन राव

तम्बि दुरै, डा०

तस्लीमुद्दीन, श्री

तारवाला, श्री अमृतलाल बल्लभदास

तारीफ सिंह, श्री

तिवारी, श्री बृज भूषण

त्यागी, श्री के० सी०

थापा, श्री नन्दू

थामस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

दण्डवते, प्रो० मधु

दत्त, श्री अमल

दानवे, श्री पुंडलीक हरि

दास, श्री अनादि चरण

दासगुप्त, डा० विप्लव

दिनेश सिंह, श्री

दीक्षित, श्री नरसिंहराव

देव, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

देवी लाल, श्री

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री बापूभाई

धनखड़, चौ० जगदीप

धवन, श्री हरमोहन

धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार

नन्दी, श्री येल्लैया

नाईक, श्री राम

नाथू सिंह, श्री

नायक, श्री नकुल

नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०

नीतीश कुमार, श्री

नेगी, श्री सी० एम०

नेताम श्री अरविन्द

पंवार, श्री हरपाल सिंह

पचेरवाल, श्री गोपाल

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, डा० ए० के०

पटेल श्री अर्जुनभाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री नटुभाई एम०

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई

पटेल, श्री राम पूजन

पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री बाबूराव
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पेंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नाण्डीज, श्री जार्ज
फर्नाण्डीज, श्री जॉस
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एस०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर
बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बेग, श्री यूसुफ
बेगा राम, श्री
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री

भट्टाचार्य, श्री मानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मणवर, श्री बलवन्त
मन्टोष, श्री पाल आर०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल, हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महाबीर प्रसाद, श्री
महाले, श्री हरि शंकर
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नंदलाल
मुंधारे, श्री शंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुथिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मुलतान सिंह, चौधरी
मूर्ति, श्री एस० बी० चन्द्र शेखर
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद

यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राथवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम धन, श्री
राम प्रकाश चौ०
रामबाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामकृष्ण, श्री वाई०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री राजमोहन
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्रीमती उषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचंद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण

विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०
वेकारिया, श्री एस० एन०
शंकरानंद, श्री बी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिवलकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविंदभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ
षण्मुखम, श्री पी०
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
साठे, श्री वसंत
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नंद कुमार
सारण, श्री दौलत राम
साबे, श्री मोरेश्वर
सिगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेजनारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सुखेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हर गोविंद
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री ए० एम०
सिंघल, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी०

सुंदरराज, श्री एन०

सुच्चा सिंह, बाबा

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सूबेदार, श्री

सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान

सेलवम, श्री कांसी पन्नीर

*सेल्वारासु, श्री एम०

सैनी, श्री गुरदयाल सिंह

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सोढ़ी, श्री मानकूराम

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरेन, श्री शिबू

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरीश पाल, श्री

हर्षवर्धन, श्री

हांडू, श्री प्यारे लाल

हीरा भाई, श्री

हेत राम, श्री

होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

* बागा रेड्डी, श्री एम०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि** के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	382
विपक्ष में	:	001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें ।",

* गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान पक्ष में किया :

श्री भागेय गोवर्धन, श्री अजय सिंह, श्री मंजय लाल, श्री के० राम मोहन राव, श्रीमती सुभाषिनी अली, डा० महादीपक सिंह शाक्य, श्री सुशान्त चक्रवर्ती, श्री तरित बरन तोपदार, श्री मोहम्मद शफी, श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर, श्री जगदीश सिंह कुशवाहा, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर, श्री सूरजभानु सोलंकी, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री एम० बागा रेड्डी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया ।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है । अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा । दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 11 समय 5.04 म० प०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अग्रवाल, श्री जे० पी०
अजित सिंह, श्री
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
अमात, श्री डी०
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्गल, श्री छबिराम
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री अनवार
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्र जीत, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उमा भारती, कुमारी
उरांव, श्रीमती सुमति
ओडेयर, श्री चनैया
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम गणेश
कावडे, डा० वेंकटेश
कामका दास, श्री

कालवी, श्री कल्याण सिंह
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृपाल सिंह, श्री
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केशरी लाल, श्री
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुखेन्दु
खां, हाजी जी० एम०
खालसा, श्रीमती बिमल कौर
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह

गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० एस०
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशमलाल
जाटव, श्री धान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शशिभाई
जायलल अबेदिन, श्री

जीवरत्नम, श्री आर०
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोम, डा० राम चन्द्र
ढाकणे, श्री बबन राव
तम्बि दुरै, डा०
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारवाला, श्री अमृतलाल बल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री बृज भूषण
त्यागी, श्री के० सी०
थापा, श्री नन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दालवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लब
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देब, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नारायणन, श्री पी० जी०
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
नेताम श्री अरविन्द
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल श्री अर्जुनभाई
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सोमाभाई
पराश्ते, श्री दलपत सिंह
पराांजपे, श्री बापूराव

पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पेंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री बी० श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नाण्डीज, श्री जार्ज
फर्नाण्डीज, श्री जॉस
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एस०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बागा रेड्डी, श्री एम०
बाला, डा० असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर
बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बेग, श्री यूसुफ
बेगा राम, श्री
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्री मानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोबर्धन, श्री

भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मणवर, श्री बलवन्त
मन्टोष, श्री पाल आर०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल, हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महाबीर प्रसाद, श्री
महाले, श्री हरि शंकर
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नंदलाल
मुंजारे, श्री कंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मुलतान सिंह, चौधरी
मूर्ति, श्री एस० बी० चन्द्र शेखर
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह

यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राथवा, श्री एन० जे०
राठोड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम धन, श्री
राम प्रकाश चौ०
रामबाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामकृष्ण, श्री वाई०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमण्णा

राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री राजमोहन
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्रीमती उषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचंद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विजयराघवन, श्री ए०

विश्वनाथम, डा०
वेकारिया, श्री एस० एन०
शंकरानंद, श्री बी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविंदभाई कानजीभाई
शेलर, श्री एम० जी०
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ
षणमुखम, श्री पी०
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
साठे, श्री वसंत
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नंद कुमार
सारण, श्री दौलत राम
साबे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सुरेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हर गोविंद
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री ए० एन०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी०

सुंदरराज, श्री एन०

सुच्चा सिंह, बाबा

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सूबेदार, श्री

सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान

सेलवम, श्री कांसी पन्नीर

सेल्वारासु, श्री एम०

सैनी, श्री गुरदयाल सिंह

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सोढ़ी, श्री मानकूराम

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरेन, श्री शिबू

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरीश पाल, श्री

हर्षवर्धन, श्री

हांडू, श्री प्यारे लाल

हीरा भाई, श्री

हेत राम, श्री

होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

* डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के** अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 385

विपक्ष में : 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

* गलती से विपक्ष में मतदान किया।

** निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किए :

पक्ष में :

श्री दिलीप सिंह जू देव, श्री के० राम मोहन राव, श्रीमती सुभाषिनी अली, श्री सुखदेव नन्दाजी काले, श्री तरित बरण तोपदार, श्री चन्द्रेश पटेल, श्री मोहम्मद शफी, श्री जगदीश सिंह कुशवाहा, कुमारी कमलाजी, करेददुल्ला, श्री राजा अम्बान्ना नायक डोरे, श्री के० आर० नारायणन, श्री रामलाल राही।

5.08 म० प०

अमरीकी कांग्रेस की विदेशी मामलों संबंधी समिति के सभापति श्री एस० सोलार्ज का स्वागत

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है। भारत सरकार द्वारा आमन्त्रित अमरीकी कांग्रेस की विदेशी मामलों सम्बन्धी समिति के सभापति श्री एस० सोलार्ज हमारे माननीय अतिथि हैं। इस समय वह विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं। मैं, अपनी तरफ से तथा सदन की तरफ से उनका तथा उनके सहयोगियों का स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि वे हमारे देश में अपने भ्रमण के दौरान आनन्द का अनुभव करेंगे।

हम उनके माध्यम से अमरीकी सरकार तथा वहाँ की जनता के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहेंगे।

5.10 म० प०

संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान (छियासठवा संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि यह संविधान संशोधन विधेयक है और इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 12 **समय 5.12 म० प०**

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अग्रवाल, श्री जे० पी०

अजित सिंह, श्री

अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०

अन्तुले, श्री ए० आर०

अन्बारासु, श्री इरा

अमात, श्री डी०

अम्बारी, श्री लेइता

अरुणाचलम, श्री एम०

अर्गल, श्री छविराम

अली, श्रीमती सुभाषिनी

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री अनवार
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्र जीत, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उमा भारती, कुमारी
उरांव, श्रीमती सुमति
ओडेयर, श्री चनैया
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
करेद्दुल्ला, कुमारी कमलाजी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम गणेश
काबडे, डा० वेंकटेश
कालका दास, श्री
कालवी, श्री कल्याण सिंह
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृपाल सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खां, श्री जुल्फिकार अली

खां, श्री सुखेन्दु
खां, हाजी जी० एम०
खालसा, श्रीमती बिमल कौर
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० एस०
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री ईश्वरचन्द्रभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशमलाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शशिभाई
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोरे, श्री राजा अम्बाम्मा नायक
ढाकणे, श्री बबन राव

तम्बि दुरै, डा०
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री बृज भूषण
त्यागी, श्री के० सी०
थापा, श्री नन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लव
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देब, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री बाबूभाई
देशमुख, श्री सुधाम दत्तात्रेय
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल

नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०

नीतीश कुमार, श्री

नेगी, श्री सी० एम०

नेताम श्री अरविन्द

पंवार, श्री हरपाल सिंह

पचेरवाल, श्री गोपाल

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, डा० ए० के०

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री नटुभाई एम०

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री राम पूजन

पटेल, श्री सोमाभाई

परास्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री बाबूराव

पांजा, श्री अजीत

पांडे, श्री राजमंगल

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाठक, श्री हरिन

पाणि, श्री रबि नारायण

पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाल, श्री एम० एस०

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पुरोहित, श्री बनवारीलाल

पेरूमान, डा० पी० वल्लल

पेंचालैया, श्री पी०

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी श्री के०

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री आर० एस०

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रेम प्रदीप, श्री

फर्नाण्डीज, श्री जार्ज

फर्नाण्डीज, श्री ऑस

फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक

बंगाली सिंह, डा०

बंसी लाल, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह

बर्मन, श्री पलाश

बलरामन, श्री एल०

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव

बाला, डा० असीम

बीरेन्द्र सिंह, राव

बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर

बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बेग, श्री यूसुफ
बेगा राम, श्री
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोबर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोंसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मजबर, श्री बलवन्त
मस्टोष, श्री पाल आर०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल, हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महावीर प्रसाद, श्री
महाले, श्री हरि शंकर
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नंदलाल
मुंजारे, श्री शंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री करिया
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मुलतान सिंह, चौधरी
मूर्ति, श्री एस० बी० चन्द्र शेखर
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह

मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
मोहम्मद शफी, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राथवा, श्री एन० जे०
राठोड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम धन, श्री
राम प्रकाश चौ०
रामबाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामकृष्ण, श्री वाई०
राममूर्ति, श्री के०
रामेश्वर प्रसाद, श्री
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री रामचन्द्र
लोढा, श्री गुमान मल
बघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्रीमती उषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचंद
वर्मा, श्री बी० राजरवि
वर्मा, श्री रतिलाल कालिदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०
वेकारिया, श्री एस० एन०
शंकरानंद, श्री बी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण
सेखड़ा, श्री गोविंदभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
षण्मुखम, श्री पी०
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
साठे, श्री वसंत
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नंद कुमार
सारण, श्री दौलत राम
साबे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण

सिंह, श्री धनराज

सिंह, श्री के० मानवेन्द्र

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मानधाता

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम नरेश

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री राम बहादुर

सिंह, श्री रामदास

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री सुरेन्द्र

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह, श्री हर गोविंद

सिंह श्री हरि किशोर

सिंह, देव, श्री ए० एन०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी०

सुंदरराज, श्री एन०

सुच्चा सिंह, बाबा

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सूबेदार, श्री

सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान

सेलवम, श्री कांसी पन्नीर

सेल्वारासु, श्री एम०

सैनी, श्री गुरदयाल सिंह

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सोढ़ी, श्री मानकूराम

सोरेन, श्री शिबू

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरीश पाल, श्री

हर्षवर्धन, श्री

हांडू, श्री प्यारे लाल

हीरा भाई, श्री

हेत राम, श्री

होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

शून्य

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के* अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	386
विपक्ष में	:	शून्य

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में अपने मत कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए :

श्री बाल गोपाल मिश्र, श्री कल्पनाथ सोनकर, श्री बासवराज पाटिल, श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री अर्जुनभाई पटेल, श्री के० राम मोहन राव, श्री निर्मल कांति चटर्जी, डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, श्री जनार्दन तिवारी, श्री तरित बरण तोपदार, श्री मनोरंजन सुर, श्री जगदीश सिंह कुशवाहा, श्री राजा बम्बाम्ना नायक डोरे ।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक के खंड 2 के लिए संशोधन हैं। एक संशोधन श्री सोमनाथ चटर्जी के नाम से है। माननीय मन्त्री श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा सरकारी संशोधन प्रस्तुत किया गया है। अब श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा कृपया अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

खंड 2—नौवीं अनुसूची में संशोधन

[हिन्दी]

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

(अध्याय 7—धारा 49-कक से धारा 49थ तक)" का लोप किया जाए। (4)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 तथा 8,—

"अध्याय 7-क धारा 49कक से धारा 49थ तक)" का लोप किया जाए। (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

"258 भूमि अर्जन (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1986" (3)

महोदय, सार्वजनिक हित के उद्देश्य से राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में अनेक प्रावधान तथा कानून बनाए गए हैं। आजकल, अनेकों बहुमंजिला इमारतें हैं। वे काफी बड़ी सम्पत्ति हैं। यदि सरकार किसी इमारत का एक फ्लैट अथवा हिस्सा राज्य-कार्य हेतु अथवा सार्वजनिक-कार्य के उद्देश्य हेतु अधिग्रहीत करना चाहे, तो वर्तमान भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अनुसार जब तक भू-स्वामी भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी रजामन्दी नहीं देता है तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि भू-स्वामी इस बात पर अड़ा रहता है कि पूरी इमारत देनी है चाहे सरकार एक अथवा दो फ्लैट चाहती हो, तब तक उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। इस समय इसका दुरुपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ऐसा हुआ है कि सरकारी कामकाज हेतु एक फ्लैट लिया गया था परन्तु भू-स्वामी चाहता था कि वह पूरी इमारत ले ली जाए अन्यथा वह अपनी इमारत का केवल एक फ्लैट नहीं देगा। इस समय पिछले कानून को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि आंशिक अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी

जा सकती। करोड़ों रुपयों की लागत वाला पूरा का पूरा मकान केवल एक फ्लैट के लिए लेना होगा। तत्पश्चात पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन किया है। जिसके अनुसार भूस्वामी की सहमति के बिना सम्पत्ति का आंशिक अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। यह विधेयक 1987 में पारित किया था। श्री राजीव गांधी की सरकार ने इसे चार वर्षों तक अनुमति नहीं दी। अनुमति रोके रखी गयी थी। तत्पश्चात यह सरकार सत्ता में आई और इसे अनुमति दे दी गई। अब यह कानून बन गया है तथा ज्यों ही यह कानून बना है त्यों ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है कि यह संविधान के विरुद्ध है। जमींदारी के लोभ के कारण बिना किसी वजह के, जनहित तथा सार्वजनिक लाभ के कानून को चुनौती दी जा रही है। वे सम्पत्ति के उस भाग को जिसका अधिग्रहण सरकार जनहित में करना चाहती है, रोकना चाहते हैं। अब इस कानून की रक्षा की जाए। नवीं अनुसूची की मद संख्या 194 में भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम सम्मिलित है। कृपया मद संख्या 194 को देखिए। बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम इस नवीं अनुसूची की मद संख्या 194 का एक भाग है। फिर, इस कानून को, जिसमें निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था की गई है, चुनौती क्यों दी जा रही है। मुझे मन्त्री महोदय को याद दिलाने में कुछ विलम्ब हो गया था परन्तु मेरा उनसे अनुरोध है कि इस कानून को इस वजह से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसे गुण-दोष के आधार पर रद्द अथवा स्वीकृत किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दूरी से अपना सिर हिलाकर कोई यह संकेत कर रहा है कृपया ऐसा मत कीजिए, इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए तथा मेरा भी मन्त्री महोदय से अनुरोध है : कृपया इसके बारे में जाने बिना इस प्रकार 'जी नहीं' मत कहिए। पिछली सरकार हमारे संशोधनों को बिना पढ़े ही अस्वीकार कर देती थी। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है.... (व्यवधान) मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं, कृपया उन्हें बता दीजिए। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इससे किसी का अहित नहीं होगा। (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : हम इस पर विचार करेंगे। यह फ्लैट्स के लिए नहीं बल्कि जमींदारों के लिए है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अभी आप वापस ले लें, फिर इस पर विचार करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विचार करेंगे, एडजर्नमेंट होने के बाद। (व्यवधान)

अच्छा ठीक है सिमपैथिटीकली सोचना।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मन्त्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन संख्या 3 को वापस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 3, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 2 को, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व, मैं यह बता दूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा ।

मुझे सूचित किया गया है कि वीथिकाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं । अब मैं खंड 2, यथा संशोधित सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 13 **समय 5.25 म० प०**

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अग्रवाल, श्री जे० पी०
अजित सिंह, श्री
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
अमात, श्री डी०
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्गल, श्री छविराम
अली, श्रीमती सुभाषिनी
अशोकराज, श्री ए०
अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्र जीत, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उरांव, श्रीमती सुमति
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
काबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम गणेश
कावडे, डा० वेंकटेश
कालका दास, श्री
कालवी, श्री कल्याण सिंह
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कृपाल सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खंडेलवाल, श्री प्यारे लाल
खटीक, श्री शंकर लाल

खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुखेन्दु
खां, हाजी जी० एम०
खालसा, श्रीमती बिमल कौर
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिकराव होडल्य
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर श्री ए० एस०
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कांति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चह्वाण, श्री प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शशिभाई
जायनल अबेदिन, श्री
जीवररत्नम, श्री आर०
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोम, डा० राम चन्द्र
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक

डाकणे, श्री बबन राव
तम्बि दुरै, डा०
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
त्यागी, श्री के० सी०
थापा, श्री नन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लव
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देब, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नारायणन, श्री पी० जी०
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
नेताम श्री अरविन्द
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री बाबूराव
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० बल्लल
पेंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी श्री के०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नाण्डीज, श्री जार्ज
फर्नाण्डीज, श्री ऑस
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव
बाला, डा० असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर
बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बेग, श्री यूसुफ
बेगा राम, श्री
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोबर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मणवर, श्री बलवन्त
मन्टोष, श्री पाल आर०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल

मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल, हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महावीर प्रसाद, श्री
महाले, श्री हरि शंकर
मायकर, श्री गोपालराव
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नंदलाल
मुंजारे, श्री कंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुरलीधरण, श्री के०
मुलतान सिंह, चौधरी
मूर्ति, श्री एस० बी० चन्द्र शेखर
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
मोहम्मद शफी, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राघवा, श्री एन०जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम धन, श्री
राम प्रकाश चौ०
रामबाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामकृष्ण, श्री वाई०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री राजमोहन
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्रीमती उषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचंद
वर्मा, श्री बी० राजरवि
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विजयराघवन, श्री ए०
शंकरानंद, श्री बी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण

शेखड़ा, श्री गोविंदभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ
षण्मुखम, श्री पी०
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
साठे, श्री वसंत
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नंद कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सुरेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह श्री हरि किशोर
सिंह, देव, श्री ए० एन०
सिवनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुर, श्री मनोरंजन
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूबेदार, श्री
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सेल्वारासु, श्री एम०
सैनी, श्री गुरदयाल सिंह
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरेन, श्री शिबू
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हलदर, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री

हरीश पाल, श्री

हर्षवर्धन, श्री

हांडू, श्री प्यारे लाल

हीरा भाई, श्री

हेत राम, श्री

होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

शून्य

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन,* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	376
विपक्ष में	:	शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-1

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा खंड 1 में संशोधन लाया गया है । क्या श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : जी, नहीं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया :

श्री हरि किशोर सिंह, श्री अनवार अहमद, श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा, श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट, श्री अर्जुनभाई पटेल, श्री के० राम मोहन राव, कुमारी उमा भारती, श्री रुद्रसेन चौधरी, श्री तरित बरण तोपदार, श्री एस० एन० वेकारिया, श्री आर० मुथिया, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री जगदीश सिंह कुशवाहा, श्रीमती एम० चन्द्रशेखर, श्री कमालुद्दीन अहमद, श्री चनैया ओडेयर, श्री धर्मपाल शर्मा, श्री के० विजय भास्कर रेड्डी, श्री के० नारायणन, डा० विश्वनाथम ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः, इस पर मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 14 समय 5.28 म० प०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अग्रवाल, श्री जे० पी०
अजित सिंह, श्री
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अम्बारासु, श्री इरा
अमात, श्री डी०
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्गल, श्री छविराम
अली, श्रीमती सुभाषिनी
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्र जीत, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उमा भारती, कुमारी
उरांव, श्रीमती सुमति
ओडयर, श्री चनैया
कटारिया, श्री गुलाब चन्द

करेद्दुल्ला, कुमारी कमलाजी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम गणेश
कावडे, डा० वेंकटेश
कालका दास, श्री
कालवी, श्री कल्याण सिंह
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कृपाल सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुखेन्दु
खां, हाजी जी० एम०
खालसा, श्रीमती बिमल कौर
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० एस०
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय मोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जामोद, श्री शशिभाई

जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकान्त
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोम, डा० राम चन्द्र
डोरे, श्री राजा अम्बाम्मा नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
त्यागी, श्री के० सी०
थापा, श्री नन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री भक्त चरण
दासगुप्त, डा० विप्लव
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देब, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवी लाल श्री
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
नेताम, श्री अरविंद
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री अर्जुन भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री बाबूराव
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पेंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फर्नान्डीज, श्री जॉस
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव
बाला, डा० असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर
बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बेग, श्री युसुफ
बेगा राम, श्री
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको

भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंजय लाल, श्री
मंडल श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मणवर, श्री बलवन्त
मन्टोष, श्री पाल आर०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महावीर प्रसाद, श्री
महाले, श्री हरि शंकर
मायकर, श्री गोपालराव
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नन्दलाल
मुंजारे, श्री कंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मुलतान सिंह, चौधरी
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन

यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री रामकृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री भू० विजय कुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राथवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम धन, श्री
राम प्रकाश चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सजीवन, श्री
राम सागर श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)

रामकृष्ण, श्री वाई०
राममूर्ति श्री के०
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री राजमोहन
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री बी० राजरवि

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०
वेकारिया, श्री एस० एन०
शंकरानंद, श्री बी०
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगड़ा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरताज सिंह, श्री
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री वसंत
सान्याल, श्री मणिक
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नन्द कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंधिया, श्री विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम बहादुर
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सुखेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह, श्री हर गोविंद
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह, देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुच्चा सिंह, बाबा
सुर, श्री मनोरंजन
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूबेदार, श्री
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सेल्वारासु, श्री एम०
सैनी, श्री गुरुदयाल सिंह
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरेन, श्री शिबू
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरीश पाल, श्री
हर्षवर्धन, श्री
हान्डु, श्री प्यारे लाल
हीरा भाई, श्री
हेत राम, श्री
होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

शून्य

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 385

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

विधेयक, संशोधन रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

डा० शकीलुर्रहमान, श्री अनवार अहमद, श्री राम सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री राधा मोहन सिंह, श्री के० राम मोहन राव, श्री लोकनाथ चौधरी, श्री इन्द्रसेन चौधरी, श्री तरित बरण तोपदार, श्री मोहम्मद शफी, श्री जगदीश सिंह कुशवाहा, प्रो०पी०जे० कुरियन, श्री जयप्रकाश ।

5.59 म० प०

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे। वह है राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक।

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है "राष्ट्रीय महिला आयोग" बिल, 1990 पेश किया जा चुका है। किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और हमारे जैसे विकासशील देश में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के चालीस वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी देश में महिलाओं की स्थिति एक महत्वपूर्ण मसला रहा है। एक और कुछ निश्चयात्मक विकास हुआ है फिर भी कई ऐसे नकारात्मक संकेत हैं जो सरकार और नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। शिशु बालिकायों और युवतियों की अधिक मृत्यु-दर, उनका घटिया शिक्षात्मक स्तर, लाभकारी रोजगार प्राप्त करने और निर्णय लेने में उनको बहुत कम पहुंच, उनके असमान स्टेटस के कुछ संकेत हैं और उन तथ्यों के कारण और परिणाम हैं जो महिलाओं को सीमित करते हैं। वंचना और भेदभाव पूर्ण सभी श्रेणियों, जातियों और वर्गों की महिलाओं में व्याप्त हैं। वे रोजगार अवसरों की कमी, निम्न और भेदभावपूर्ण मजदूरी और शोषणात्मक परिस्थितियों से पीड़ित हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें स्थायी आधार पर रोजगार नहीं मिल पाता।

राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा-पत्र में महिलाओं के प्रति भेदभाव को रोकने तथा उनकी शिकायतों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित करने का वायदा किया गया है। इस विभाग को इस सम्बन्ध में महिला संगठनों से विचार-विमर्श करके एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार 5-2-90 को हुए एक सम्मेलन में महिला संगठनों, विशिष्ट व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श करके मंत्रिमंडल के लिए एक प्रारूप टिप्पणी, मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में प्रधान मंत्री को अनुमोदनार्थ भेजी गई, तब यह नोट विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को उनके अभिमत और सहमति लेने के लिए परिचालित किया गया था। जहां सम्भव हुआ उनकी टिप्पणियां मंत्रिमंडल के लिए संशोधित नोट में शामिल कर ली गयीं जिसे बाद में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद मंत्रिमंडल में 18-4-90 को इसे स्वीकृति दी गई। महिलाओं पर अपराध और अत्याचार की घटनाएं समाज के एक विशेष वर्ग को कुप्रभावित करने वाली कुछ घटनाएं नहीं हैं। मूल्यों पर ये अच्छे प्रश्न चिह्न हैं और इन पर समाज के व्यापक परिवेश में विचार करना होगा। इनसे समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके सम्मान के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की मांग का बुनियादी प्रश्न उठा है। इनसे ही समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं के हितों के संरक्षण के संवैधानिक उपबंधों के बावजूद पिता और पति के घर में, समाज में और कार्यस्थलों में शोषण और दमन का मामला उभरा है। हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता प्राप्ति का निश्चय किया गया है, परन्तु महिलाओं को इसका कुछ लाभ नहीं मिलता है इसमें न केवल भेदभाव को निषिद्ध किया गया है बल्कि महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक उपबन्ध भी किए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर

श्रम कानूनों के क्षेत्र में विशेष उपबन्ध रखे गए हैं। महिलाओं के लिए कई कानून बने हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। उसमें ज्यादातर जो शिकायतें आती हैं उसको देखने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। महिलाओं पर उत्तरवती आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी हैं और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के स्टेटस और असमानता को नोट किया है और सुझाव दिए हैं कि महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए और तत्सम्बन्धी कार्यों की देखरेख के लिए एक एजेंसी बनाई जाए। कई महिला कार्यकर्ता और महिला स्वयं सेवी संगठनों ने एक महिला आयोग की स्थापना के लिए मांग की, जिसको मंजूर करते हुए सरकार ने महिला आयोग को गठित करने का निर्णय लिया। जो बिल यहां प्रस्तुत किया गया है उस आयोग में 6 सदस्य होंगे। महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सरकार के उस वायदे के अनुरूप है जो हमारे घोषणा पत्र में है। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के लिए उपबन्ध कराना है और सांविधानिक और विधिक संरक्षणों सम्बन्धी मामलों का अध्ययन करना और उनके प्रबोधन करना, महिलाओं सम्बन्धी मौजूद कानूनों का पुनरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो संशोधनों का सुझाव देना है। आयोग शिकायतों की जांच करेगा और महिलाओं के अधिकारों की वंचना सम्बन्धी मामला पर स्वप्रेरणा से ध्यान देकर उस पर कार्यवाही करेगा। आयोग महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए सभी विधानों के समुचित कार्यान्वियन की देख रेख करेगा। ताकि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त कर सकें और राष्ट्र के विकास में उनका सहयोग मिल सके। आयोग का एक अध्यक्ष और सचिव सहित 6 सदस्य होंगे और आयोग को ऐसी समितियां नियुक्त करने का अधिकार होगा कि उसमें जो तत्कालीन मामले होंगे, उस पर विचार कर सके। समिति के सदस्यों को समायोजित करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रस्तावित विधेयक में उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम भी बनाये गये हैं। महोदय, में इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव करती हूं :

"कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उससे संशक्त या 'उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपायक्ष महोदय : श्री गिरधारी भार्गव द्वारा एक संशोधन दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 24 अगस्त, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (2)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नई सरकार के गठन होने के पश्चात जब प्रथम सैशन मे राष्ट्रपति का अभिभाषण यहां पर प्रस्तुत किया गया था तो उसमें सरकार की तरफ से महिला आयोग गठन के बारे में उल्लेख किया गया था और नई सरकार अपने दिए हुए वचन के अनुसार यह बिल यहां लायी है और मैं इस नई सरकार का

स्वागत करती हूं और इस बिल को समर्थन देती हूं। देश की आजादी के 42 वर्ष के बाद इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करनी पड़ रही है। इससे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गयी है कि गत 40 सालों में महिलाओं में यदि कुछ विषयों में प्रगति हुई तो भी महिलाओं का जीवन अधिक दुखी हुआ है और जहां प्रगति होनी चाहिए थी, वहां उसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है।

5.37 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अनुसार 1975 में एक बार पार्लियामेंटरी रिपोर्ट प्रकाशित की गयी थी जिसका नाम स्टेटस ऑफ वुमैन है। उस रिपोर्ट के पन्ने-पन्ने पर जो बातें छपी हुई हैं, उससे यह बात निश्चित हो जाती है कि आजादी के बाद महिलाओं की साक्षरता में दिन प्रति दिन कमी होती चली गयी है। इतना ही नहीं, महिलाओं में जन-प्रतिनिधि की संख्या धीरे-धीरे कम होती चली गयी है। इसके पहले कांग्रेस सरकार राज्य चला रही थी, उसमें महिलाओं की संख्या अधिक रहती थी लेकिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर अपना समर्थन महिलाओं के नाते नहीं दिया। वह पार्टी के हित में हमेशा मतदान करती रही और आज भी यह परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी महिला प्रतिनिधि यहां उपस्थिति नहीं है।

श्री कमल चौधरी (होशियापुर) : श्रीमती वासवा राजेश्वरी यहां बैठी हुई हैं। कृपया उनका अपमान न करें। (**व्यवधान**)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : लेकिन इसमें ज्यादा एक्साईट होने जरूरत नहीं है। जितनी चुनकर आयी हैं, केवल एक बैठी है। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। एकमात्र महिला यहां आकर बैठी हैं। गत चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी बातें और घोषणाएं की गयी थीं और यह कहा गया था कि महिलाओं को 30% प्रतिनिधित्व देंगे लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूं सभापति महोदय कि जो बात उन्होंने कहीं थी, उसका उन्होंने पालन तक नहीं किया? उन्होंने केवल 5.5% महिलाओं को ही टिकट दिया और जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है केवल 3 महिलाओं को दिया गया और वे टिकट भी वापस ले ली गयीं या महिलाओं की शक्ति को कम करने वाली इस तरह की बातें निर्बलता साबित करने के लिए पार्टी की तरफ से कही जाती हैं। नहीं तो एक महिला की उपस्थिति को लेकर इतनी बात कहने की इन्हें आवश्यकता नहीं थी। फिर भी, मैं उस चर्चा में यहां ज्यादा नहीं पड़ना चाहती। महिला आयोग का गठन आज की परिस्थितियों में नितांत आवश्यक था क्योंकि इस देश में महिलाओं की समस्याओं की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चाहे इस देश की गरीब महिलाएं हों या अमीर महिलाएं हों, आज स्थिति यह है कि जो महिला गरीब है, वह भी दुखी है, और जो महिला धनवान है, जिसके पास काफी धन है, वह भी दुखी है। दोनों की समस्याएं अलग-अलग हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि इस देश में 40 साल की आजादी के बाद भी महिलाए अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। इस देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में काफी समय तक रही हैं, परन्तु उनके राज्य काल में भी, सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गयी, उनमें कोई कमी नहीं आयी। आज इस देश में सरकार बदली है, जिससे समाज के हर वर्ग को नई-नई उम्मीदें हैं। यह सरकार समाज के हर व्यक्ति की आशा और आकांक्षा को पूरा करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में, कुछ कदम उठाना चाहती है। उसी उद्देश्य को सामने रखकर राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का यह बिल सदन के सामने लाया गया है, जो निश्चित रूप से बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। इस आयोग के उद्देश्यों में यह कहा गया है कि महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग-अलग तरह के ग्रुप्स बनाए जायेंगे, अलग-अलग समितियों का गठन

किया जाएगा, जो महिलाओं की समस्याओं पर अलग-अलग रूप से विचार करेंगे। सभापति महोदय, मैं इस प्रावधान का हृदय से स्वागत करती हूं : जैसे महिला और रोजगार, महिला और उद्योग, महिला और कानून, महिला और शिक्षा, महिला और चिकित्सा, इस तरह के अन्य अलग-अलग ग्रुप्स बनाकर, हर क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं पर विचार होगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए, ऐसी समितियों का गठन किया जाना आज की परिस्थितियों में नितांत आवश्यक हो गया था। मैं अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करते समय आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को अवश्य ध्यान में रखें। इसके दो पहलू होने चाहिए: एक भाग ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हो और दूसरा भाग शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान हेतु होना चाहिए। हमारे देश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाओं की समस्याएं भी बहुमुखी हैं, कई श्रमजीवी महिलाएं होती है, चाहे वे पत्थर तोड़ने का काम करती हों, चाहे वे किसान के रूप में खेत और खलिहानों में काम करती हों या अलग प्रकार के श्रमसाद्ध कामों में लगी हों, उनकी अपनी तरह की समस्याएं हैं। दूसरी ओर जो महिलाएं शहरी क्षेत्रों में रहती हैं, और विभिन्न तरीकों से अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, नौकरी करती हैं, कोई शिक्षिका है, कोई नर्स सुलझाने के लिए है, कोई आफिसों में काम करती है, उनकी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं को दोनों पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है और इसे दृष्टि में रखते हुए ही समितियां गठित की जानी चाहिएं। सभापति महोदय, मैं यहां स्पष्ट करना चाहती हूं कि आज हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज बन गया है और इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का महिलाओं के नाते जीने का अधिकार छीन लिया गया है। उन्हें तरह-तरह की यातनाओं का शिकार बनना पड़ता है, उन्हें उपभोग की वस्तु समझा जाता है जो महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। वैसे तो हमें देश में अलग-अलग तरह की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, कहीं स्त्री मुक्ति आंदोलन की बातें की जाती हैं, मेरा निवेदन है कि स्त्री कभी अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती। स्त्री मुक्ति के नाम पर यदि कहीं हम अपनी संस्कृति के विभाजन की बात करें तो उसे कोई सही नहीं कह सकता। हर नारी अपने गौरव के साथ गौरवान्वित होकर जीने का अधिकार चाहती है। साथ-साथ वह अपने मातृत्व की जिम्मेदारी को भी निभाने में पीछे नहीं रहती। वह पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करके अपनी भूमिका निभाना चाहती है, कई जगहों पर महिलाओं ने अपनी इस भावना का प्रदर्शन भी करके दिखाया है। आप जानते हैं कि जिस तरह से आज की दुनिया में विज्ञान का विकास हो रहा है, उसके साथ-साथ विज्ञान के विकास का दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। वहां गर्भजल परीक्षा का कानून पारित हुआ और इस तरह स्त्रियों के भ्रूण हत्या को रोकने की तरफ कदम उठाने का काम किया गया। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि उस कानून के बारे में केन्द्रीय स्तर पर विचार किया जाए, उस कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू कराया जाए ताकि इस देश में स्त्री समाज के साथ किसी तरह का अन्याय न होने पाए, यह मेरा आपके जरिए सरकार से आग्रह है।

इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी महिला हो, पहले वह महिला है, भले ही वह अलग-अलग धर्म को मानने वाली हों, हर धर्म में महिलाओं के अलग परसनल लॉज हो सकते हैं, मैं यहां किसी धर्म के प्रति आस्था या अनादर प्रकट नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से यहां बताना चाहती हूं कि हमारी मुसलमान बहनें भी आखिर बहनें हैं, यदि उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है कि सिर्फ तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहने के पश्चात उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, सभापति महोदय, मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहूंगी कि वह भी एक नारी है, उसकी अपनी भी कुछ समस्याएं हैं। महाराष्ट्र में और भारतवर्ष में कई जगहों पर ग्रुप के माध्यम से उनके ओपी-

नियन लिए गए और सर्वे किया गया। सर्वे की रिपोर्ट यह आई है कि कोई भी मुसलमान बहनें इस प्रकार का अन्याय नहीं चाहतीं क्योंकि आखिर वह एक बहन है और स्त्री सम्बन्धी जो समस्या है, उनके बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, बच्चों के निर्वाह की, उनके समान जीवन जीने की, उनको शिक्षा देने की समस्या है, इन सारी समस्याओं को पूरा करने की दृष्टि से यदि हम सोचें तो मैं यह कहना चाहूंगी कि समान नागरिक कानून बनाने की आवश्यकता हर महिला को उसका दर्जा प्राप्त करके देने के लिए आवश्यक है। इस बारे में सरकार विचार करे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि आज पूरे देश में 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है, वन फोर्थ पोपूलेशन आज बच्चों की मानी जाती है। महिला और बच्चे, जिसका मतलब है माता और बालक, इन दोनों के विकास के ऊपर ही देश का विकास निर्भर करता है। महिलाओं को सामाजिक तौर पर अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिक स्थिति का उत्थान करने के लिए, ऊपर लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आज उनके प्रति अलग-अलग प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि विवाह के पश्चात कुछ ही दिन में यदि अपने पति के साथ नहीं बनती है तो वे डाईबोर्स की शिकार बन जाती हैं। यह बात क्यों होती है ? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। आज आदमी इतना स्वार्थी हो चुका है, पुरुषों की महिलाओं के साथ जो सहिष्णुता होनी चाहिए उसकी मात्रा में कमी आ चुकी है। सहिष्णुता की भावना न होने के कारण डाईबोर्स के केसेज अधिक से अधिक होते चले जा रहे हैं। विवाहित महिलाओं के बारे में यदि सोचें तो उनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसी समस्या है जिससे वे अपना जीवन स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकती हैं। इस प्रकार की संख्या में वृद्धि होने के कारण जो कानून बने हैं, उन कानूनों के अन्तर्गत पूरा न्याय नहीं मिल पाता है। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि दहेज जैसा एक कानून बना है। उसके लिए 1985 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई प्रकार के सुझाव लेकर उस कानून को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन आज भी वह कानून महिलाओं की समस्याओं के पीछे एक राक्षस बनकर खड़ा हुआ है। आज हम देखते हैं कि आजादी के 40 साल बाद भी दहेज की शिकार महिलाएं, नववधुएं जलाई जा रही हैं। इसके पीछे सामाजिक कारण के साथ यह बात भी स्पष्ट है कि महिलाओं के न्याय के बारे में जो कानून बने हैं, उनका सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि कानून की दृष्टि से महिलाओं को जो हक प्रदान किया गया है, उनके बारे में सरकार की पूरी समानता बरते। लड़की जब घर में जन्म लेती है तो 5-6 साल के बाद उसके साथ अलग प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कहा जाता है कि ज्यादा पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, यह ज्यादा पढ़कर क्या करेगी, यह तो विवाह के पश्चात ससुराल में चली जाएगी। इसलिए साक्षरता को बढ़ाने की दृष्टि से फ्री ऐजुकेशन महिलाओं को मिले, इस प्रकार की बात कही गई। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं होती। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक जागृति का निर्माण करने की आवश्यकता होगी कि बिना शिक्षा के कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक यह बात मन में नहीं आएगी तब तक महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जा सकती। आज भारत में महिलाओं के साथ कई प्रकार की ज्यादतियां होती हैं। आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, हमारे दक्षिण भारत से कई छोटी-छोटी लड़कियों का बड़े-बड़े 50-55 साल के अरब वासियों के साथ विवाह कर दिया जाता है और उन लड़कियों को उनकी पत्नी बनाकर भारत के बाहर भेज दिया जाता है। उस पर क्या गुजरती है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। गरीबी का शिकार होकर, घर में खाना नहीं है, ऐसा समझकर छोटी-छोटी उम्र की लड़कियों को विदेश भेज दिया जाता है। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, अशोभनीय बात है। इस दृष्टि से कानून में ऐसी बातें होनी चाहिए कि जब तक लड़की अपने पैरों पर खड़ी होकर समझ नहीं सकेगी, आयु परिपक्व नहीं हो जाएगी, तब तक इस प्रकार के विवाह पर रोक लगा दी जाएगी। और उसको जबरदस्ती से

भेजने वाली जो घटनाएं होती हैं, वे नहीं हों। इसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। यहां एक और विशेष बात मैं बताना चाहती हूं, जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, वहां पर देवदासी की प्रथा बहुत ही कठिन समस्या बन चुकी है। उसी तरह से दक्षिण भारत में भी यलम्मा की प्रथा एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। पुराना कुछ इस प्रकार का विश्वास चला आ रहा है जिसके अनुसार छोटी-छोटी लड़कियों को भगवान को अर्पण कर दिया जाता है। इस प्रकार की बात कहकर उसका दुरुपयोग किया जाता है और अनीतिपूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जाता है। जन्म लेने वाली हर बालिका सपने संजोकर आती है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो मेरा विवाह होगा, मेरा अपना घर होगा, मेरा एक पति होगा और अपने बच्चे होंगे, लेकिन उसके इन स्वप्नों को चूर-चूर कर दिया जाता है और इस प्रकार से इन अनैतिक कामों के लिए उनको भेज दिया जाता है।

सभापति महोदय, 26 तारीख की बात मैं आपको बताना चाहती हूं। मैं अपने मतदान क्षेत्र की बात बता रही हूं कि वहां भांडूप क्षेत्र में पुलिस वालों ने बहुत बड़ी मात्रा में रेड डाली, वहां 1500 लड़कियां जो तमिलनाडु से सम्बन्धित थीं, उनको पकड़ा गया। उनको पुलिस न पकड़ पाए, इसलिए उनको गड्ढे में खड़ा करके उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। यदि दस मिनट से अधिक समय हो जाता और पुलिस नहीं ढूंढ़ पाती, तो शायद वे बिना हवा के मर जातीं। इस प्रकार से अनेक अत्याचार उनके ऊपर इन्हीं माध्यमों से होते रहे हैं। महिलाओं से क्रय-विक्रय को अधिक प्रोत्साहन दलालों ने दिया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि महिलाओं की सामाजिक व्यवस्था, महिलाओं का अपना गौरव और मान-मर्यादा, इन सारी चीजों को लेकर यदि यह राष्ट्रीय महिला आयोग काम करना चाहेगा, तो निश्चित रूप से उसको सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा। मैं यहां सभी पार्टियों से अपील करती हूं कि यह महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का सवाल है, इसमें कोई राजनीतिक बात न लाकर, महिलाओं के विकास की दृष्टि से समर्थन देना चाहिए। यहां पर मैं यह भी बता देना चाहूंगी कि राजनीति को अलग रखकर यदि सहयोग दिया जाएगा और नारी यदि आगे आएगी, तो निश्चित रूप से आगे आने वाली भावी पीढ़ी, हमारे बच्चे एक ऐसा सुदृढ़ राष्ट्र बना सकेंगे जिसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।

सभापति महोदय, आजादी के 40 वर्ष में मैंने यह देखा है, जैसा मैंने दहेज प्रथा का उल्लेख किया, उसी प्रकार से मैं सती प्रथा के बारे में कहना चाहूंगी कि यदि किसी को जबरदस्ती सती होने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह बहुत गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार से जबरदस्ती करना बुरी बात है। इसके लिए जो छोटे-छोटे कानून बने हैं, वे भी इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके लिए भी निश्चित रूप से इस आयोग के अन्दर भी कोई कानून बनाया जाए, ताकि उनके लिए संरक्षण न मिले जो जबरदस्ती करते हैं, बल्कि महिलाओं को संरक्षण मिले। यह मुझे आपके सामने रखना है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से चिकित्सा की बात दूरदर्शन पर आती है और जिस प्रकार से थोड़ी सी चिकित्सा की विधि बताई जाती है, उससे कुछ विशेष बनने वाला नहीं है। आज हमारी महिलाओं को चिकित्सा की उपलब्धियां और उसकी विधियां सही मायनों में नहीं आती हैं। मैं बताना चाहूंगी कि यदि गर्भवती स्त्री है, वह गिरिजन है, हरिजन है, बनवासी है, गरीब है, उसके पास खाने-पीने के लिए भी नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी पौष्टिक आहार और उसकी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना भी इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में आए, ताकि वह अच्छे बच्चों को जन्म दे और किसी प्रकार के विकलांग बच्चों को जन्म न दे। इस दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से भी इस आयोग को सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय, जब मैं रोजगार की दृष्टि से बात करती हूं तो मैं कहना चाहूंगी कि कई

जगह पर समान काम के लिए समान वेतन उनको नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, यदि महिला मजदूर होती है, तो उसको मजदूरी पांच रुपए दी जाती है और यदि पुरुष मजदूर है, तो उसको मजदूरी सात रुपए दी जाती। यह एक प्रकार का महिलाओं के साथ अन्याय है। महिला यदि काम करती है तो उसको समान काम के अनुसार ही समान वेतन भी मिलना चाहिए।। इस प्रकार से जो मैंने बताया है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और कानून आदि के बारे में अलग-अलग ग्रुप के माध्यम से हम महिलाओं का यदि विकास करेंगे, तो यह राष्ट्रीय आयोग सही प्रकार से कामयाब हो सकता है। इसके साथ मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगी कि इस राष्ट्रीय आयोग में जन प्रतिनिधियों का भी स्थान होना जरूरी है। पार्लियामेंट के स्तर पर केन्द्रीय कमेटी में जन-प्रतिनिधि को स्थान मिले, राज्य स्तर पर विधान सभा के सदस्य को स्थान मिले और ग्राम पंचायत के स्तर तक प्रतिनिधित्व इस राष्ट्रीय महिला आयोग में होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी यह आयोग ज्यादा सफलता से काम कर सकता है। काम अधिक है और काम करने वालों की संख्या कम है। मैं तो यह चाहूंगा कि जहां पर अलग-अलग प्रकार की सब सुविधाएं प्राप्त हैं वहां की ये बहनें शहरों से गांवों की तरफ जाकर उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से जन-प्रतिनिधियों को उसमें स्थान दें और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जो महिला मंडल, जो भगिनी समाज और नारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनकी भी राय इसके बारे में ली जाए।

सभापति महोदय, दो-तीन दिन पहले, दिल्ली में वेश्यावृत्ति निरोध के बारे में एक सेमीनार हुआ, उसमें भी बताया गया कि इनके बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए और इनको सम्मानित नाग-बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो एक बात स्पष्ट है कि नारी की सुरक्षा के आधार पर और नारी के विकास के आधार पर ही देश का विकास होना सम्भव है। यदि नारी विकास सही माने में नहीं हुआ तो देश का विकास होने में भी अलग-अलग प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और हर प्रकार की सामाजिक उच्चता प्राप्त करने के लिए भी हम इस राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का स्वागत करते हुए, उसके गठन में हर प्रकार की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर यह कार्य पूरा किया जाए, ऐसा मैं चाहती हूं। मैं एक ही बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करने जा रही हूं कि :

"अबला नहीं कहा जा सकता अब भारत की नारी को,
राख समझना भूल बहुत है, छिपी हुई चिंगारी को।"

यह कहकर मैं माननीय मन्त्री महोदय का स्वागत करके राष्ट्रीय महिला आयोग के इस प्रस्ताव को समर्थन देती हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, कल हमारी पार्टी की सम्मानित महिला सदस्या··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पुरुष सदस्या को भी आपका समर्थन करने दीजिए। अब आप क्यों भेदभाव कर रही हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी माता और बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण के कार्यक्रमों को देखने के लिए, मॉनीटर करने के लिए जो बिल यहां पर लाया गया है, एक ऐसा बिल है जिस बिल के पास न तो दांत हैं और यदि दांत कुछ हैं भी तो उनको इस्तेमाल करने के लिए कोई दाना उसमें नहीं रखा गया है। यह बात मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं, आप इस कमीशन के जो फंक्शंस हैं, यदि उन फंक्शंस को देख लीजिए तो इसमें यह कहने की चेष्टा की गई है कि जितने भी सेफगार्ड्स विभिन्न कानूनों के तहत महिलाओं को प्राप्त हैं और जो जो कदम महिलाओं के कल्याण के लिए उठाये जाने चाहिए या जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, उन

सारे कार्यक्रमों का निष्पण करने का, निष्पादन करने का काम इस महिला कमीशन को करना है और जबकि यह हकीकत यह है कि इस कमीशन के पास जो अपनी मशीनरी है, यह इतनी छोटी रखी गई है कि मैं नहीं समझता कि इतनी छोटी मशीनरी के साथ यह कमीशन अपने इण्टरनल मैनेजमेंट को देख ले, जहां कमीशन को बैठना है तो अपने आपमें यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। यदि केवल राजनैतिक उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, क्योंकि, मैं अपनी बहन की दिक्कत को समझता हूं, वह भारतीय जनता पार्टी से आई हैं और उनकी यह बाध्यता है, उनके लिए यह आब्लीगेटरी है कि वह इस बिल का समर्थन करें मगर हमारी मुसीबत यह है कि जिस काम को वह नहीं कर पाये हैं, उस कमी की तरफ हमको जरूर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा और वह कमी इस रूप में है, इसके फाइनेंशियल मैमोरेण्डम को देख लीजिए तो सरकार ने कहा है कि हम केवल दो करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था इस वर्ष में इस कमीशन के लिए करेंगे, 2 करोड़ रु० कितना है, आपने 6 मेम्बर कमीशन बनाया और उसके लिए काम आपने सारी दुनिया भर के जितने जहां के दर्द हैं, वह सारे उस कमीशन के जिम्मे कर दिये और··· उस कमीशन के पास वित्तीय व्यवस्था के नाम पर केवल दो करोड़ रुपये हैं। क्या यह वास्तव में मजाक नहीं है ? इतना ही नहीं यह हमारी महिलाओं के साथ भी मजाक है। जिनसे देश के लोगों को बहुत बड़ी आशायें हो सकती थीं, उनकी आशाओं पर इन्होंने पानी फेर दिया है। आपने जिस समय यह बिल पेश किया था उस समय यह कहा था कि यह नेशनल फ्रंट का वायदा है। यह नेशनल फ्रंट का वायदा मैं नहीं समझ पाया हूं। यदि यही वायदा है जिसको कि आप इस कागज के टुकड़े के रूप में यहां लेकर आये हैं, ऐसा वायदा आपको ही मुबारक हो। आप जिस वायदे के जरिए जो उपहार महिलाओं को दे रहे हैं और जो मजाक महिलाओं के साथ यहां करने की चेष्टा कर रहे हैं, केवल महिला नाम होने से और महिला कमीशन का नाम देने की वजह से हम को उसका समर्थन करना पड़ रहा है। आप हमारे दिल से सोचिए। इधर कम्युनिस्ट पार्टी की महिला सुभाषिनी जी हैं, इनसे पूछ कर देख लें, माननीय गीता जी हैं, इनसे पूछ कर देख लें, ये मन-ही-मन खुश हो रही हैं कि जो हम नहीं कह पाये, हमारा भाई कह रहा है। इतना ही नहीं इनको इस बात की भी खुशी हो रही है कि हमारा भाई जो कांग्रेस पार्टी में है, इस बिल के प्रति हमारी जो तकलीफ थी, उसको वह यहां कह रहा है और सरकार की आलोचना कर रहा है।

मैं साठे जी की इस बात से सहमत हूं कि न केवल ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए बल्कि इस बात का भी प्रयास होना चाहिए कि वे कौन-कौन से कदम हैं जिनको ऐहतियाती तौर पर और फौरी तौर पर महिलाओं के कल्याण के लिए उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

6.00 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अन्तर-राज्य परिषद आदेश, 1990

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की ओर से, संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन जारी किया गया अन्तर-राज्य परिषद आदेश 1990, जो 28 मई, 1990 को भारत के राज्य में अधिसूचना संख्या स० का० नि० 513(अ) में प्रकाशित हुआ, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 1107/90]

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 31 मई, 1990/10 ज्येष्ठ, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, दिल्ली